संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं.11/2022-सीडीएस-(II) **दिनांक : 18.05.2022**

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 07.06.2022)

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2022

[एसएससी महिला (गैर-तकनीकी) कोर्स सहित]

(आयोग की वेबसाइट http://upsc.gov.in)

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाता है।

2. आवेदन कैसे करें :

2.1 उम्मीदवार वेबसाइट **http://upsconline.nic.in** का प्रयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट-II (क) में दिए गए हैं । विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2.2 जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट II (ख) में प्रदान किए गए हैं।

2.3 इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। **उम्मीदवारों को** फोटो आईडी की एक स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका विवरण उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया गया है। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तित्व परीक्षण/ एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन प्रपत्र भरने व वापस लेने की अंतिम तारीख:

(i) ऑनलाइन आवेदन 07 जून, **2022 सायं 6:00** बजे तक भरे जा सकते हैं ।

(ii) ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14.06**.2022 से 20.06.2022 को सायं 6.00** बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। आवेदन वापस लेने संबंधी विस्तृत अनुदेश **परिशिष्ट-II (ख)** में प्रदान किए गए हैं।

4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। **डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा।** ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम का इस्तेमाल करेगा।

5. गलत उत्तरों के लिये दंड :

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड **(नेगेटिव मार्किंग)** दिया जाएगा।

6. ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल **काले रंग के बाल पेन** का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल वर्जित है, पेंसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट-III में निहित 'विशेष अनुदेशों' को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

7. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543** पर संपर्क कर सकते हैं।

8. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) किसी भी मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में), पेजर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियाँ आदि अथवा कैमरा या ब्लू टूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण या उससे संबंधित सहायक सामग्री, चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में जिसे परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उन्हें भावी परीक्षाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके अपने हित में मोबाइल फोन सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु अथवा मूल्यवान/महंगी वस्तु परीक्षा स्थल पर न जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परीक्षा स्थल पर सामान की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड http://upsconline.nic.in से आवेदन करने की जरूरत है। किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा.सं. 8/1/2022 प.1 (ख) संघ लोक सेवा आयोग द्‌वारा निम्नलिखित कोर्सों में प्रवेश हेतु **18 मई 2022** को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा **(II)**, **2022** आयोजित की जाएगी।

कोर्स का नाम तथा रिक्‌तियों की संभावित संख्‌या

(1) भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून, जुलाई 2023 में प्रारंभ होने वाला 155 वां कोर्स।	100 {एनसीसी 'सी' (सेना स्कंध) प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 13 रिक्तियां सम्मिलित हैं}।
(2) भारतीय नौसेना अकादमी, इझीमाला, जुलाई, 2023 में प्रारंभ होने वाला (कार्यपालक/हाइड सामान्य सेवा)।	22 {एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र के लिए 03 रिक्तियों सहित (एनसीसी विषेष प्रविष्टि के माध्यम से नौसेना विंग) धारकों}
(3) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद, जुलाई, 2023 में प्रारंभ होने वाले उड़ान पूर्व प्रषिक्षण कोर्स अर्थात नं. 214 एफ पी कोर्स	32 {एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारकों (वायुसेना स्कंध) के लिए 3 आरक्षित रिक्तियां विशेष प्रवेश के लिए निर्धारित हैं}।
(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई 118 वां एसएससी (पुरुष) कोर्स (एनटी) (यूपीएससी) अक्तूबर 2023 में आंरभ।	169
(5) अधिकारी प्रषिक्षण अकादमी, चेन्नई 32 वां एसएससी (महिला) गैर तकनीकी (कोर्स) (यूपीएससी) अक्तूबर 2023 में आंरभ।	16
कुल	339

टिप्पणी : (i) आयोग यदि चाहे तो उपर्युक्त परीक्षा की तारीख में परिवर्तन कर सकता है।

टिप्पणी : (ii) उपरोक्त रिक्तियां अनुमानित हैं तथा सेवा मुख्यालय द्‌वारा किसी भी समय बदली जा सकती हैं।

ध्यान दें : (I)(क) उम्मीदवार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के संबंधित कॉलम में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि वह सेवाओं को अपने वरीयता क्रम में किस-किस पर विचार किए जाने के इच्छुक हैं, पुरुष उम्मीदवारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा (ख) एवं (ग) में बताई गई शर्तों के अनुसार जितनी वरीयता के इच्छुक हों उन सभी का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओ.टी.ए.) के लिए पात्र हैं, उन्हें केवल ओ.टी.ए. को ही अपनी प्रथम तथा एकमात्र वरीयता देनी चाहिए ।

(ख) (i) यदि कोई पुरूष उम्मीदवार केवल अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना) के लिए आवेदन कर रहा है तो उसे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को ही अपने विकल्प के रूप में निर्दिष्ट करना चाहिए। तथापि अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के अल्पकालिक सेवा कमीशन पाठ्‌यक्रम के साथ-साथ भारतीय सैनिक अकादमी तथा वायु सेना अकादमी के लिए स्थायी कमीशन पाठ्‌यक्रम के प्रतियोगी पुरूष उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपने अंतिम विकल्प के रूप में

निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार द्वारा उच्च वरीयता दिए जाने पर भी अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अंतिम विकल्प माना जाएगा।

(ख) (ii) चूंकि महिला अभ्यर्थी केवल अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओ.टी.ए.) में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस.एस.सी.) के लिए ही पात्र है । उन्हें ओ.टी.ए. को ही अपनी प्रथम तथा एकमात्र वरीयता देनी चाहिए।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार, वायु सेना अकादमी (ए एफ ए)को ही अपना प्रथम विकल्प दर्शाएं क्योंकि केंद्रीय संस्थापना/उड़ान चिकित्सा संस्थान में उनके लिए कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सी पी एस एस) तथा/अथवा वायु सेना चिकित्सा परीक्षण आयोजित किया जाएगा। वायु सेना अकादमी को द्वितीय/तृतीय आदि विकल्प दर्शाए जाने की स्थिति में उसे अमान्य समझा जाएगा।

(घ) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ध्यान दें: (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त उन्हें केवल उन कोर्सों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए उसने अपनी वरीयता दी होगी और अन्य किसी कोर्स (कोर्सों) के लिए नहीं। (ङ.) किसी भी उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बढ़ाने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार दी गयी वरीयता में परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेना मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गयी हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गयी हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें : (II) भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्सों के बचे हुए उम्मीदवार अर्थात इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर स्थाई कमीशन प्राप्त करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिनकी सिफारिश की गयी है लेकिन जिन्हें किन्हीं कारणों से इन कोर्सों में शामिल नहीं किया जा सकता है यदि वे बाद में अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने के लिए विचार योग्य हो सकते हैं, चाहे उन्होंने अपने आवेदन प्रपत्रों में इस कोर्स के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है :

(i) यदि अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए प्रतियोगी सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद भी कमी है और

(ii) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन हेतु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं उन्हें वरीयता सूची के क्रम में उस अंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा जिसने इस कोर्स के लिए अपना विकल्प दिया हुआ था क्योंकि ये उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा सकेंगे जिसके लिए वे व्यक्त वरीयता के अनुसार हकदार नहीं हैं।

(iii) वायु सेना को अपने प्रथम तथा एकमात्र विकल्प के रूप में चुनने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में विफल रहते हैं उन्हें एसएससी (ओटीए) प्रदान करने हेतु विचारार्थ शेष उम्मीदवारों को श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यदि ऐसे उम्मीदवार एसएससी (ओटीए) हेतु विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे ओटीए के लिए भी अपना **विकल्प** दें।

टिप्पणी - (I) : एनसीसी [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध]के 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारों अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्सों की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। चूंकि उनके लिए इस कोर्स में कोई आरक्षण नहीं है, अत: इस कोर्स में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह ही समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एनसीसी में 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किंतु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के लिए पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। किन्तु उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र [सेना स्कंध(वरिष्ठ प्रभाग)/वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध] की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई एण्ट्री, (एसएससी पुरुष उम्मीदवार और एसएससी महिला एंट्री, महिला उम्मीदवारों के लिए) वेस्ट ब्लॉक **- III,** आरके पुरम, नई दिल्ली- 110066 तथा एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना)/डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3 (ए)/वायुसेना मुख्यालय, जे ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110106 को 13 मई 20**22** तक पहुंच जाएं। आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर डिवीजन सेना स्कंध/ वायु सेना/नौसेना स्कंध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए भारतीय सैनिक अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्स के लिए 24 मास से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी - (II) : भारतीय सैनिक अकादमी कोर्स/वायु सेना अकादमी/भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स में एनसीसी (सेना स्कंध/सीनियर डिवीजन वायु सेना स्कंध/नौसेना स्कंध) के 'सी' प्रमाण-पत्र धारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त इन उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गयी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर उपर्युक्त कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा।

(क) परीक्षा की योजना स्तर और पाठ्यविवरण, (ख) आवेदन प्रपत्र भरने हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेशों, (ग) वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश, (घ) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश तथा (ड.) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमशः परिशिष्ट - I, II, III, IV, और V में विस्तार से समझाए गए हैं।

2. परीक्षा केन्द्र: परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

केन्द्र	**केन्द्र**	**केन्द्र**	**केन्द्र**
अगरतला	धारवाड़	कोहिमा	राजकोट
आगरा	दिसपुर	कोलकाता	रांची
अजमेर	फरीदाबाद	कोझीकोड (कालीकट)	संबलपुर
अहमदाबाद	गंगटोक	लेह	शिलांग
ऐजल	गया	लखनऊ	शिमला
अलीगढ़	गाजियाबाद	लुधियाना	सिलिगुडी
अल्मोड़ा (उत्तराखंड)	गौरखपुर	मदुरै	श्रीनगर
अनन्तपुरु	गुड़गांव	मुम्बई	श्रीनगर (उत्तराखंड)
औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	ग्वालियर	मैसुरू	ठाणे
बैंगलूरू	हैदराबाद	नागपुर	तिरूवनंतपुरम
बरेली	इम्फाल	नवी मुंबई	तिरूचिरापल्ली
भोपाल	इंदौर	गौतमबुद्धनगर	तिरूपति
बिलासपुर (छतीसगढ़)	ईटानगर	पणजी (गोवा)	उदयपुर
चंडीगढ़	जबलपुर	पटना	वाराणसी
चेन्नई	जयपुर	पोर्ट ब्लेयर	वेल्लोर
कोयम्बटूर	जम्मू	प्रयागराज (इलाहाबाद)	विजयवाड़ा
कटक	जोधपुर	पुडुचेरी	विशाखापटनम
देहरादून	जोरहाट	पूना	वारंगल
दिल्ली	कोच्चि	रायपुर	धर्मशाला
मंडी			

आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आबंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों के आबंटन ‘पहले

आवेदन करो, पहले आबंटन पाओ' पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदन को कोई केन्द्र आबंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें : उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट : उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए पसंद के केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रवेश प्रमाण पत्र में आयोग द्वारा दर्शाए गए केन्द्र/प्रश्न पत्र के अलावा किसी अन्य केन्द्र पर/प्रश्न पत्र में परीक्षा में बैठता है तो ऐसे उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. पात्रता की शर्तें:

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार अविवाहित होना चाहिए और या तो

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा हो, या
3. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, यूगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मालावी, जैरे तथा इथियोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन करके आया हो।

परंतु उपर्युक्त वर्ग 2 और 3 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो ।

लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा ।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्तपर अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले दे दिया जाए।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति:-

(1) भारतीय सैनिक अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरूष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म **02 जुलाई 1999** से पहले का तथा **01 जुलाई 2004** के बाद का न हो।

(2) भारतीय नौसेना अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरूष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म **02 जुलाई 1999** से पहले का तथा **01 जुलाई 2004** के बाद न हो।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए :

केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जो **01 जुलाई 2023** को 20 से 24 वर्ष के हैं अर्थात उनका जन्म **02 जुलाई 1999** से पहले और **01 जुलाई 2003** के बाद का नहीं होना चाहिए (डीजीसीए (भारत) द्वारा जारी वैध एवं वर्तमान वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस धारकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष तक शिथिलनीय है अर्थात् उम्मीदवार का जन्म **02 जुलाई 1997** से पहले और **01 जुलाई 2003** के बाद का नहीं होना चाहिए।

नोट: 25 वर्ष की आयु से कम के उम्मीदवार अविवाहित होने चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान विवाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। 25 वर्ष की आयु से अधिक वाले विवाहित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं परन्तु प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें न ही विवाहित अधिकारियों हेतु निर्धारित आवास दिया जाएगा और न ही वे परिवार के साथ बाहर रह सकते हैं।

(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (पुरुषों के लिए एसएससी कोर्स): केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं, जिनका जन्म **02 जुलाई 1998** से पहले का तथा **01 जुलाई 2004** के बाद का न हो।

(5) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए (महिलाओं के लिए एसएससी गैर-तकनीकी कोर्स): अविवाहित महिलाएं, संतानहीन विधवाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, तथा संतानविहीन तलाकशुदा महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो, (तलाक के कागजात होने पर) पात्र हैं। इनका जन्म **02 जुलाई 1998** से पहले का तथा **01 जुलाई 2004** के बाद न हुआ हो।

नोट : तलाकशुदा/विधुर पुरुष उम्मीदवार आईएमए/आईएनए/एएफए/ओटीए, चेन्नई कोर्सों में प्रवेश के लिए अविवाहित पुरुष नहीं माने जाएंगे और तदनुसार वे इन कोर्सों के लिए पात्र नहीं हैं।

आयोग जन्म की वह तिथि स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से संबंधी उद्धरण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

'अनुदेशों के इस भाग में आए हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं। कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिए होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए

प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी - 1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी - 2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन या बाद की किसी अन्य परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि इंगित करने में असावधानीवश/अनजाने में/टंकण संबंधी त्रुटि हो जाती है, तो उम्मीदवार परीक्षा के नियम 2(बी) में निर्दिष्ट किए अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बाद में सुधार के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है और आयोग द्वारा उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि ऐसा अनुरोध दिनांक 04.09.2022 को आयोजित होने वाली सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा **(II),** 2022 के दिन तक किया जाता है।

इस संदर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए:-

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. रजिस्ट्रेशन आइ डी (RID)
3. अनुक्रमांक नंबर (यदि प्राप्त हुआ हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा मोटे अक्षरों में)
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता
6. वैध एवं सक्रिय ई-मेल आइडी

टिप्पणी - 3 : उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि यदि उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(1) **भारतीय सैनिक अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई के लिए :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।

(2) **भारतीय नौसेना अकादमी के लिए :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्‌यालय/संस्था से इंजीनियरी में डिग्री।

(3) **वायु सेना अकादमी के लिए :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्‌यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी में स्नातक।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता वाले स्नातकों को ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अनंतिम प्रमाण पत्र सेवा चयन बोर्ड द्‌वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे ।

जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष/सेमेस्टर डिग्री पाठ्‌यक्रम की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करना अभी शेष है, वे भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय तक उम्मीदवार के पास अंतिम सेमेस्टर/वर्ष जिनके लिए परिणाम घोषित किए गए हैं, हेतु कोई मौजूदा बैकलॉग नहीं होना चाहिए और उन्हें कोर्स के प्रारंभ होने के समय डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जो एकीकृत, मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) मुख्यालय, सीडीएसई एंट्री, पश्चिमी ब्लॉक - III आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204,सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ3 (ए)/वायु सेना मुख्यालय, जे ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110 106 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाए, जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(1) भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में प्रवेश हेतु 01 जुलाई **2023** को या उससे पहले, भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश हेतु 01 जुलाई **2023** को या उससे पहले तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश हेतु 13 मई 2023 को या उससे पहले।

(2) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रवेश के लिए 01 अक्तूबर 2023 तक या उससे पहले ।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्‌वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे ।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है, जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

टिप्पणी 1: जिन उम्मीदवारों को अभी उनकी डिग्री परीक्षा पास करनी शेष हो, उन्हें तभी पात्र माना जाएगा जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों। जिन उम्मीदवारों द्‌वारा डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में अभी अर्हता प्राप्त की जानी शेष है और उन्हें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की गई है; उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि यह उन्हें दी गई एक विशिष्ट छूट है। उनके लिए निर्धारित तिथि तक, उनके द्‌वारा डिग्री परीक्षा

पास किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है तथा इस तिथि को आगे बढ़ाने के किसी भी अनुरोध को इस आधार पर, कि मूलभूत पात्रता विश्वविद्यालय परीक्षा देर से संचालित की गई; परीक्षा परिणाम की घोषणा में विलंब हुआ; अथवा किसी भी अन्य आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। डिग्री/सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे निर्धारित तिथि तक स्नातक डिग्री/ परीक्षा पास कर लिए जाने का प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे, जिसमें विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-2 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनके उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पिणी-3 : उड़ान सीखने में असफल होने के कारण वायु सेना के जिन उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किया जा रहा हो उन्हें भारतीय वायु सेना की नौ परिवहन/ग्राउंड ड्यूटी (गैर-तकनीकी) शाखाओं में शामिल किया जाएगा। यह रिक्तियों की उपलब्धता और निर्धारित गुणात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के आधार पर होगा।

(घ) शारीरिक मानक:

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा - (II), 2022 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-IV में दिए गए शारीरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देश के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ।

4. शुल्क:

उम्मीदवारों को रु. 200/- (केवल दो सौ रुपए) फीस के रूप में (सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/ यूपीआई भुगतान या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-1 : जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्यदिवस को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। “नकद भुगतान प्रणाली” का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक 06.06.2022 को रात्रि 11:59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन-स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन-स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात 07.06.2022 को सांय 6:00 बजे तक

ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ यूपीआई भुगतान अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी-3 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी-4 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से दस दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

सभी महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि, अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

(5) आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवारों को **www.upsconline.nic.in** लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आवेदकों को केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार ये नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन कि सी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे सशस्त्र बल, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में अथवा निजी रोजगार सहित सरकारी सेवा में कार्यरत हों, अपने आवेदन आयोग को ऑनलाइन प्रस्तुत करने होंगे।

कृपया ध्यान दें-I तथापि पहले से ही सरकारी सेवा कर रहे व्यक्तियों, चाहे वे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हों अथवा अनियमित या दैनिक वेतन श्रेणी के अतिरिक्त कार्य प्रभार (वर्क

चार्ज्ड) कर्मचारी के रूप में अथवा लोक उद्यमों में हों, को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

कृपया ध्यान दें-II सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने कमान अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उन्हें इस संदर्भ में सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करवाना है।

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि आयोग को उम्मीदवारों के नियोक्ता से उनके आवेदन करने/परीक्षा में बैठने की अनुमति रोकने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन रद्द किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए होंगे, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

आयोग ने जिस परीक्षा में उन्हें प्रवेश दिया है, उसके प्रत्येक स्तर, अर्थात् लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पूर्व या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के शीघ्र बाद, जिसके अक्तूबर, 2022 माह में घोषित किए जाने की संभावना है, सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित तैयार रखें।

(1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष।

डिग्री/अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के पात्र हैं।

प्रथमत: सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है, उन्हें कॉलेज/ संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर आना चाहिए

कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुका/रहा है। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाण पत्र अपने साथ नहीं लाते हैं, उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट प्रदान नहीं दी जाती है तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाणपत्रों में से कोई मूल प्रमाण पत्र साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उनके खर्च पर उनके घर वापिस भेज दिया जाएगा ।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात् :

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण -पत्र या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिएः

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

6. आवेदन प्रपत्र भरने व वापस लेने की अंतिम तारीख:

(i) ऑनलाइन आवेदन 07 जून **2022 सांय 6:00** बजे तक भरे जा सकते हैं ।

(ii) ऑनलाइन आवेदन दिनांक **14.06.2022 से 20.06.2022 को सायं 6.00** बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। आवेदन वापस लेने संबंधी विस्तृत अनुदेश **परिशिष्ट-II (ख)** में

प्रदान किए गए हैं।

7. आयोग/सेना/नौसेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **www.upsc.gov.in** पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आरआईडी तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यत: किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की असंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश आवेदन प्रपत्र पर उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णत: अनंतिम होगा। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा।

(iii) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(iv) उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(v) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा

दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय हो।

महत्वपूर्ण : आयोग/ सेना मुख्यालय से पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)।
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

कृप्या ध्यान दे :

(1) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

(2) यदि किसी परीक्षा समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(3) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता, बिना टिकट लगे लिफाफे पर लिखकर, भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को अपनी पहली वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय/महानिदेशक भर्ती (भर्ती ए) सीडीएसई, एंट्री सेक्शन पुरुष उम्मीदवारों के लिए वेस्ट ब्लॉक - 3, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को और नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को पीओ-3 (ए), वायुसेना मुख्यालय, 'जे' ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110 106 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए समन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा। केन्द्रों का आबंटन एसएसबी साक्षात्कार की तारीख योग्यताक्रम सूची, ज्वाइन करने के लिए अनुदेश संबंधी सभी प्रश्नों और चयन प्रक्रिया से संबद्ध किसी अन्य प्रकार की संगत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट **www.joinindianarmy.nic.in** देखें अथवा सभी कार्यदिवसों में 14:00 बजे से 17:00 बजे के बीच दूरभाष सं. (011)-26173215 और फैक्स सं. 011-26196205 पर भर्ती निदेशालय से संपर्क करें और वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए पीओ-3(ए)/वायुसेना मुख्यालय, 'जे' ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-

110 106 तथा नौसेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डीएमपीआर, (ओआई एंड आर अनुभाग) कमरा नं. 204, सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखना चाहिए।

उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे गए समन पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय/नौसेना मुख्यालय होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त होता है, को भेजे जाने चाहिए। नौसेना के उम्मीदवार परिणाम के प्रकाशन के तीन सप्ताह के बाद अपना बुलावा पत्र नौसेना की वेबसाइट **<u>www.joinindiannavy.gov.in</u>** से डाउनलोड कर सकते हैं, या **officer-navy@nic.in** पर ई मेल भेजें।

कृप्या ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैनिक अकादमी हेतु **फ़रवरी 2023** के चौथे हफ्ते तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु मई **2023** के चौथे हफ्ते तक सेवा चयन बोर्ड के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय / भर्ती सीडीएसई एंट्री / एसएससी महिला एंट्री अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, वेस्ट ब्लॉक - III रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए। नौसेना/ वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के मामले में उन्हें नौसेना मुख्यालय/वायुसेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान दें- **(III**) में उल्लिखित है। फ़रवरी **2023** के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)

8. **लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :**

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। । लिखित परीक्षा में अर्हक हुए उम्मीदवारों को, जिन्होंने वरीयता क्रम में सेना (भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई) को प्रथम विकल्प दर्शाया है, <u>उन्हें सवयं को भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर पंजीकृत करना होगा ताकि उन्हें एसएसबी साक्षातकार के लिए आमंत्रण पत्र प्राप्त हो सके। वे अभ्यर्थी जो पहले से स्वंय को पंजीकृत कर चुके है, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करने की सलाह दी जाती हैं।</u> भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट अर्थात् <u>www.joinindianarmy.nic.in</u> पर पंजीकृत ईमेल आईडी और संघ लोक सेवा आयोग को प्रदान की गई आईडी एक ही होनी चाहिए और उम्मीदवार की अपनी होनी चाहिए। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित रूप से रहेंगे (अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी) (डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून, भारतीय नौसेना अकादमी

इझीमाला पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान पूर्व) पाठ्यक्रम हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई पर एसएससी (एनटी पाठ्यक्रम) जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है। चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो।

सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले स्तर का परीक्षण पास कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय स्तर/शेष परीक्षणों में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला स्तर पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को निम्नलिखित की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी :-

(i) जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष।

(ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सेमिस्टरों के अंक पत्रकों सहित बैचलर डिग्री/अनंतिम डिग्री

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति और सहायता पाने के वह हकदार नहीं होंगे। वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण पत्रपर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो क्रमश: आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जाएगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि से रखते हुए योग्यता के क्रम में किया जाएगा।

टिप्पणी : वायु सेना तथा नौसेना उड़ान (एवियेशन) के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूट टेस्ट केवल एक बार होता है । अत:, उम्मीदवार द्वारा प्रथम परीक्षण (सीपीएसएस तथा/अथवा पीएबीटी) में प्राप्त किया ग्रेड ही भविष्य में वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष होने वाले प्रत्येक साक्षात्कार के समय लागू होगा । भारतीय नौसेना चयन बोर्ड/कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में पहले विफल रहे उम्मीदवार तथा आदतन चश्मा पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं ।

वायु सेना के लिए एक से अधिक माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष परीक्षण/साक्षात्कार:- एफ (पी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के तीन माध्यम हैं, अर्थात् सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई)/एनसीसी/एयरमेन। वायु सेना के लिए एक से अधिक माध्यम से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का, वायु सेना हेतु वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष परीक्षण/साक्षात्कार केवल एक बार होगा। एनसीसी अथवा एयरमेन के रूप में कंप्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सीपीएसएस) तथा/अथवा पायलट एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में विफल रहने वाले समान उम्मीदवारों को सेना/नौसेना/ओटीए हेतु ओएलक्यू परीक्षण के लिए पुन: तभी बुलाया जाएगा यदि उन्होंने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से आवेदन किया हो। आईएमए (डीई) पाठ्यक्रम तथा/अथवा नौसेना (एसई) पाठ्यक्रम तथा/अथवा वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक हुए उम्मीदवारों को, भले ही वे एसएससी पाठ्यक्रम के लिए भी सफल हुए हों अथवा नहीं, फ़रवरी-मार्च 2023 तक आयोजित होने वाले एसएसबी परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और केवल एसएससी पाठ्यक्रम के लिए सफल होने वाले उम्मीदवारों को अप्रैल से जून 2023 तक आयोजित होने वाले एसएसबी परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

9. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए निरर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, वायुसेना अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिए गए हैं, उनको भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी या थल सेना अकादमी से अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सैनिक अकादमी से वापस किया गया हो उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एंट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रतिष्ठानों से वापस किया हो वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एनसीसी तथा स्नातक कोर्स से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण एनसीसी तथा स्नातक कोर्स से पहले वापस किया गया हो, उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10. अंक सार्वजनिक किए जाने की योजना

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आयोग, उम्मीदवारों के प्राप्तांक (लिखित परीक्षा तथा एसएसबी साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंक) सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा। अंकों की यह घोषणा केवल उन उम्मीदवारों के मामले में की जाएगी, जो सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा हेतु एसएसबी साक्षात्कार में शामिल होंगे, परंतु अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकटन योजना के माध्यम से असफल उम्मीदवारों के बारे में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा, सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई उक्त सूचना के आधार पर, उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जा सकेगा।

एसएसबी में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को, आयोग द्वारा पूछे जाने पर इस संबंध में अपना विकल्प प्रदान करना होगा। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं और ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंकों संबंधी विवरण का प्रकटन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाएगा।

इस सीडीएस परीक्षा के अनर्हक उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि आयोग की परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

11. **भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :**

भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी के कोर्स के उम्मीदवारों को या **अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई** को जो अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती होते हैं इस बात का परिवचन देना है कि जब तक उसका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली परीक्षा में भले ही सफल हों। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में ही शादी कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

उम्मीदवारों को यह वचन देना होगा कि वे प्रशिक्षण पूरा होने तक विवाह नहीं करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार यदि अपने द्वारा आवेदन करने की तारीख के बाद विवाह कर लेता है तो वह प्रशिक्षण का पात्र नहीं होगा, भले ही वह लिखित परीक्षा अथवा सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार अथवा चिकित्सा परीक्षा में सफल रहा हो। जो उम्मीदवार अपनी प्रशिक्षण अवधि के

दौरान विवाह करेंगे उन्हें निर्मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें, सरकार द्वारा उन पर व्यय समस्त राशि लौटानी होगी।

12. भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिए विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैनिक अकादमी या भारतीय नौसेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. आवेदनों की वापसी: जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट II (ख) में प्रदान किए गए हैं।

(ओम प्रकाश)
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा

(ख) उन उम्मीदवारों का बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिए दिए जाने वाला समय तथा प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	**कोड**	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
1. अंग्रेजी	11	2 घंटे	100

2. सामान्य ज्ञान	12	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	13	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए

विषय	**कोड**	**अवधि**	**अधिकतम अंक**
1. अंग्रेजी	11	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	12	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किए गए हैं, वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात भारतीय सैनिक अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक क्रमश: 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. **सभी विषयों के प्रश्नपत्र केवल वस्तुपरक प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में, द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे।**

4. प्रश्न पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जाएगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर है।

7. उम्मीदवारें को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिए केलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अत: वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण :

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, अन्य विषयों में प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी (कोड सं. 01)

प्रश्न पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 02)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामले के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देने मे सक्षम होना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 03)

अंकगणित

संख्या पद्धतियां : प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं - जोड़ना, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमल भिन्न।

एकिक विधि: समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2,3,4,5,9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण/ गुणनखंड और भाज्य प्रमेय/ महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गुणकीय सारणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं: साधारण गुणनखंड, शेषफल प्रमेय, बहुपदों का महतम, समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघातीय समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए) दो अज्ञात राशियों के युगपद रैखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रैखिक असिमिकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रैखिक समीकरण या असिमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X, जब $0^0 \leq X \leq 90^0$ कोटिज्या, स्पर्श रेखा X का मान जबकि X 0^0, 30^0, 45^0, 60^0 और 90^0 सरल त्रिकोणमितीय सारणयों, सरल त्रिकोणमितीय सारणयों का प्रयोग, ऊंचाइयों और दूरियों संबंधित सरल प्रशन ।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति: निम्नलिखित पर प्रमेय: (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुणधर्म, (2) समांतर रेखाएं, (3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर

चतुर्भुजों, आयात और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुणधर्म, (8) वृत्त और उनके गुणधर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब भी शामिल हैं, (9) स्थानिल संयक।

क्षेत्रमिति

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल। ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल जिन्हे (फील्ड बुक) इन आकृतियों में विभाजित किया जा सकता हैं। घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब, वृतीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व क्षेत्र तथा आयतन और गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बारता, बहुभुज, आयत, चित्र, बार चार्ट, पाई चार्ट आदि । केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापन ।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के दो चरण होते हैं - चरण-I तथा चरण-II । चरण- II में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है, जो चरण- I में सफल रहते हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है :-

(क) चरण- I के अंतर्गत अधिकारी बुद्धिमता रेटिंग (ओआईआर) परीक्षण चित्र बोध (पिक्चर परसेप्शन)* विवरण परीक्षण (पीपी एवं डीटी) शामिल होते हैं। उम्मीदवारों को ओआईआर परीक्षण तथा पीपी एवं डीटी में उनके संयुक्त रूप में कार्य निष्पादन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ख) चरण-II के अंतर्गत साक्षात्कार, ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी टास्क, मनोविज्ञान परीक्षण तथा सम्मेलन (कांफ्रेंस) शामिल होता है। ये परीक्षण चरणबद्ध होते हैं। इन परीक्षणों का विवरण वेबसाइट **www.joinindianrmy.nic.in** पर मौजूद है।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व का आकलन तीन विभिन्न आकलनकर्ताओं, नाम: साक्षात्कार अधिकारी (आईओ), ग्रुप टेस्टिंग अधिकारी (जीटीओ) तथा मनोवैज्ञानिक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के लिए अलग-अलग अंक (वेटेज) नहीं हैं । आकलनकर्ताओं द्वारा उम्मीदवारों को अंकों का आबंटन सभी परीक्षणों में उनके समग्र कार्यनिष्पादन पर विचार करने के पश्चात ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कांफ्रेंस हेतु अंकों का आबटंन भी तीनों तकनीकों में उम्मीदवार के आरंभिक कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड के निर्णय के आधार पर किया जाता है। इन सभी के अंक (वेटेज) समान हैं।

आईओ, जीटीओ तथा मनोविज्ञान के विभिन्न परीक्षण इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिससे उम्मीदवार में अधिकारीसम्मत गुणों (आफिसर लाइक क्वालिटीज) के होने/नहीं होने तथा प्रशिक्षित किए जाने की उसकी क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एसएसबी में उम्मीदवारों की अनुशंसा की अथवा नहीं की जाती है।

परिशिष्ट - II (क)

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को http://**upsconline.nic.in** का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1. ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

2. उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से उपर्युक्त साइट पर उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।

3. उम्मीदवारों को **200/- रु.** के शुल्क (महिला, अजा और अजजा उम्मीदवारों, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई भुगतान या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।

4. ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करने से पहले उम्मीदवार के पास विधिवत स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर .जेपीजी (.JPG) प्रारूप में इस प्रकार होने चाहिए ताकि प्रत्येक फ़ाइल 300 के.बी. से अधिक न हो और यह फोटो और हस्ताक्षर के मामले में 20 के.बी. से कम न हो।

5. अपना आवेदन फार्म भरना प्रारंभ करने से पहले उम्मीदवार के पास उसका मैट्रिक का प्रमाणपत्र तैयार होना चाहिए। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म की तारीख आदि मैट्रिक प्रमाणपत्र में उल्लेखित विवरण के अनुसार ही भरे जाने चाहिए।

6. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। उम्मीदवारों को फोटो आईडी की एक स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका विवरण उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया गया है। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तित्व परीक्षण/ एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

7. ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को दिनांक, **18 मई 2022** से 07 जून **2022** सांय **6:**00 बजे तक भरा जा सकता है ।

8. आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजने चाहिए। तथापि यदि किसी

अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भेजता/भेजती है तो वह यह सुनिश्चित कर ले कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है।

9. एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

10. आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

11. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।

12. उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। इसके अतिरिक्त, आयोग ने आवेदन वापस लेने का प्रावधान किया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं है वे अपना आवेदन वापस ले सकते हैं।

परिशिष्ट- II (ख)

आवेदन वापस लेने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन वापस लेने संबंधी अनुरोध पत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं है उनके लिए आयोग ने **दिनांक 14.06.2022 से 20.06.2022 (सायं 6.00 बजे तक)** आवदेन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है।
3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पूर्ण और अंतिम रूप से सब्मिट किए गए आवदेन का पंजीकरण आईडी और विवरण प्रदान करें। अपूर्ण आवेदनों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
4. आवेदन वापसी का अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके पास वह पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध है, जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय प्रदान किया था। अनुरोध तभी स्वीकार किया जाएगा जब उम्मीदवार के मोबाइल और ई-मेल पर भेजे गए ओटीपी को वैलीडेट किया जाएगा। यह ओटीपी 30 मिनट के लिए मान्य होगा।
5. **आवेदन वापसी के संबंध में ओटीपी जनरेट करने का अनुरोध दिनांक 20.06.2022 को सायं 5.30 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।**
6. यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए हैं तब आवेदन (सबसे बाद वाले) के उच्चतर पंजीकरण आईडी पर ही वापसी संबंधी विचार किया जाएगा और पहले के सभी आवेदनों को स्वत: ही खारिज मान लिया जाएगा।
7. आवेदन वापसी के ऑनलाइन अनुरोध को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाने के बाद आवेदक अधिप्रमाणित रसीद प्रिंट करेगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन वापस लिए जाने के बाद भविष्य में इसे पुन: सक्रिय नहीं किया जा सकेगा।
8. संघ लोक सेवा आयोग में उम्मीदवार द्वारा अदा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत:, उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन वापस लिए जाने के बाद ऐसे मामलों में शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
9. वापसी संबंधी आवेदन के पूरा होने के बाद उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल पर ऑटो-जनरेटेड ई-मेल और एसएमएस भेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार ने आवेदन वापसी संबंधी आवेदन जमा नहीं किया है तब वह ई-मेल आईडी : upscoap@nic.in के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकता है।
10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी किसी से साझा न करें।

परिशिष्ट - III

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म का काला बाल पेन, लिखने के लिए भी उन्हें काले बाल पेन का ही प्रयोग करना चाहिए। उत्तर पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, आदि परीक्षा हाल में न लाएं।
मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर/ब्लूटूथ सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का $^{1}/_{3}$ (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया

जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन मेंआचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक काले बाल प्वांइट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बाल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अत: उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रखरखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए। **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बाल पेन का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले बाल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अत: उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।**

10. **उत्तर अंकित करने का तरीका**

वस्तुपरक परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है।

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3 ...... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं, प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कोन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम हैं, **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बाल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है।**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बाल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) • (c) (d)

11. उम्मीदवार अपने उत्तरों को अपने ही हाथ से लिखें। उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. **स्कैनेबल उपस्थिति सूची में एंट्री कैसे करें** :

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, जैसा नीचे दिया गया है, अपने कॉलम के सामने **केवल काले बाल पेन** से संगत विवरण भरना है।

(i) उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में, [P] वाले गोले को काला करना है।

(ii) समुचित परीक्षण पुस्तिका सीरीज के संगत गोले को काला करें।

(iii) समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।

(iv) समुचित उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।

(v) दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

13. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

<u>अनुबंध</u>

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे। उम्मीदवार को उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

केन्द्र	विषय	विषय कोड			अनुक्रमांक						

मान लो यदि आप अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको काले बाल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।

केन्द्र	विषय	विषय कोड		अनुक्रमांक					
दिल्ली	अंग्रेजी(ए)	0	1	0	8	1	2	7	6

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बाल पेन से लिखें।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।
आप काले बाल पेन से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।
आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूढ़ें। जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य काले बाल पेन से करें। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात् ही करना चाहिए। 'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के अंग्रेजी प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है, इसे इस प्रकार लिखें।

पुस्तिका क्रम (ए) **विषय**

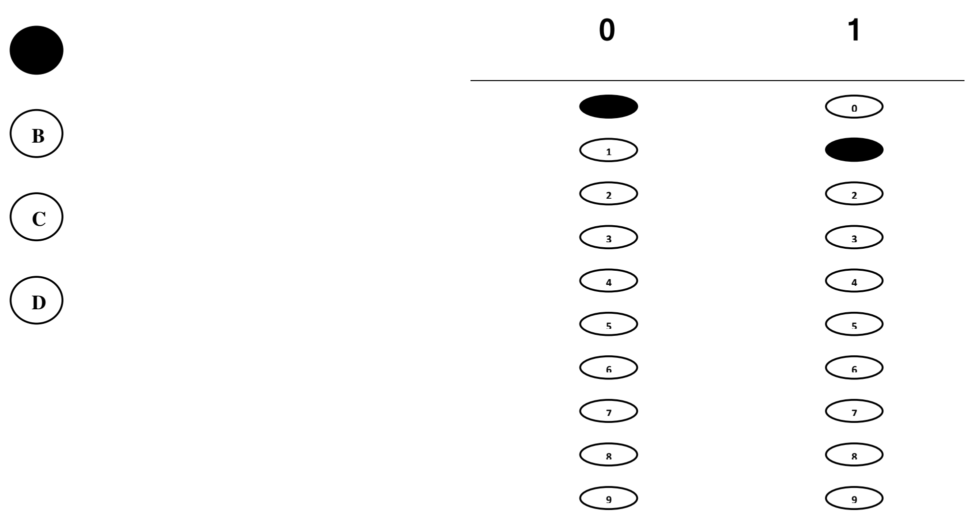

अनुक्रमांक

0	8	1	2	7	6

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कॉलम में)

और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कॉलम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे, तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

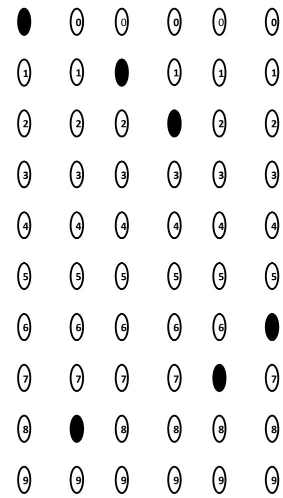

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट - IV

<u>सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश</u>

<u>भारतीय सेना</u>

<u>सेना में अफसर पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा मानक और मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया</u>

1. **<u>उद्देश्य</u>**

इस दस्तावेज का उद्देश्य जनसाधारण को विभिन्न प्रकार की भर्ती के माध्यम से सेना में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए विहित चिकित्सा मानकों से परिचित करवाना है। यह दस्तावेज आर टी आई अधिनियम-2005 के तहत सूचना आयोग की नीति के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध करवाने का काम भी करता है।

2. **परिचय**

(क) सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख उत्तरदायित्व देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है और इसीलिए सशस्त्र सेनाओं को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखा जाता है। युद्ध की तैयारी के लिए सैन्यकर्मियों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके साथ-साथ जब भी जरूरत हो जैसे कि आपदाओं के समयए सशस्त्र सेनाएं सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए भी उपलब्ध रहती हैं। इस प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं में शारीरिक सौष्ठव और सुदृढ़ मानसिक संतुलन वाले जवानों की जरूरत होती है। ऐसे उम्मीदवार दुर्गम क्षेत्रों और विषम परिस्थितियों में बगैर मेडिकल सुविधाओं के भी अपने सैन्य दायित्वों के निर्वाह में सक्षम होने चाहिएं जो उन परिस्थितियों में कठोर तनाव को झेल सकें। किसी रोग/अपंगता के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य कार्मिक न केवल कीमती संसाधनों की बरबादी करेगा बल्कि सैन्य आॅपरेशनों के दौरान अपने दल के अन्य सदस्यों के लिए भी मुसीबत और खतरे का सबब बन सकता है। इसलिए केवल चिकित्सीय रूप से योग्य अथवा फिट उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है जो युद्ध प्रशिक्षण के लिए योग्य हों।

(ख) सशस्त्र सेनाओं में ‘चिकित्सीयरूप से योग्य’ कार्मिकों का चयन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस का होता है।

(ग) अपनी पेशेवर विशिष्टता यूनिट में सौपा गया कार्यए आयु अथवा लिंग से परे हटकर हर सशस्त्र सेना कार्मिक के लिए सेना में शामिल होने के समय आधारभूत ‘मेडिकल फिटनेस’ होना अनिवार्य है। फिटनेस के इसी आधारभूत स्तर को उनकी भावी पेशेवर विशिष्टताओं अथवा यूनिट कार्यों के लिए प्रशिक्षण के बंेचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे युद्ध में उनकी तैनाती की तत्परता में भी वृद्धि होगी।

(घ) सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस के मेडिकल अफसरों द्वारा चिकित्सा जांच का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाता है। बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के बाद ये मेडिकल अफसर सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट कार्य परिस्थितियों में काम करने के लिए भली-भांति तैयार होते हैं। एक मेडिकल अफसर बोर्ड द्वारा इन चिकित्सा जांचों का अंतिम निर्णय लिया जाता है। गौरतलब है कि मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार के नामांकन/कमीशन के दौरान किसी रोग/अपंगता/चोट/आनुवंशिक रोग अथवा विकार के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो तो संदेह का लाभ प्राधिकारी को दिया जाएगा।

<u>चिकित्समानक</u>

3. निम्नलिखित पैराग्राफों में विर्णत चिकित्सा मानक सामान्य दिशानिर्देश हैं जो रोगों से संबंधित अथाह ज्ञान के संदर्भ में संपूर्ण नहीं हैं। वैज्ञानिक ज्ञान में प्रगति और नए उपकरणों/ट्रेड के प्रवेश के साथ सशस्त्र सेनाओं में काम करने के तरीकों में परिवर्तनों के चलते यह मानक भी परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के नीति पत्रों द्वारा लागू किए जाते हैं। इन दिशानिर्देशों व सिद्धांतों के आधार पर मेडिकल अफसरोंए विशेष मेडिकल अफसरों तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

4. चिकित्सीय रूप से फिट अथवा योग्य करार दिए जाने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार की शारीरिक व मानसिक दशा सही हो तथा वह ऐसे किसी भी रोग/अपंगता/लक्षणों से मुक्त हो जो समुद्र व हवाई भूभागों सहित दुर्गम क्षेत्रों में तथा विषम परिस्थितियों में मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता के बगैर उसके सैन्य दायित्वों के निर्वहन में बाधक हों। उम्मीदवार ऐसी किसी भी चिकित्सीय परिस्थितियों से मुक्त होना चाहिए जिसमें नियमित रूप से दवाओं अथवा चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग की जरूरत हो।

(क) यहसुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार स्वस्थ हो तथा उसके शरीर के किसी अंग अथवा प्रणाली में खराबीए जन्मजात विकृति/बीमारी के लक्षण न हों।

(ख) ट्यूमर/सिस्ट/लिम्फ नोड्स में सूजन सहित शरीर के किसी भी भाग में कोई सूजन न हो तथा शरीर में कहीं साइनस अथवा नासूर की शिकायतन हो।

(ग) शरीर की त्वचा पर कहीं हाइपर या हाइपो पिगमेंटेशन अथवा किसी अन्य प्रकार की बीमारी के लक्षण/अपंगता न हो।

(घ) शरीर में ह्ार्निया की शिकायत न हो।

(ङ) शरीर पर ऐसे कोई निशान न हांएे जो कामकाज को बाधित करते हों या विकलांगता अथवा अक्षमता उत्पन्न करते हों।

(छ) शरीर में कहीं भी धमनी व शिराओं से संबंधित खराबी न हो।

(ज) सिर और चेहरे में किसी प्रकार की खराबी जिसमें एकरूपता न होए अस्थिभंग अथवा खोपड़ी की हड्डियों के दबाव से बनी विकृतियांए अथवा पूर्व में किए गए किसी मेडिकल आॅपरेशन के निशान तथा साइनस व नासूर इत्यादि जैसी खराबियां शामिल हैंए न हों।

(झ) रंगो की पहचान करने में खराबी तथा दृष्टि क्षेत्र में खराबी सहित किसी प्रकार की दृष्टिबाधिता न हो।

(ट) सुनने में किसी प्रकार की अक्षमताए कानों के प्रकोष्ठ-कर्णावर्त प्रणाली में किसी प्रकार की खराबी/अक्षमता न हो।

(ठ) किसी बीमारी के कारणवश बोलने में किसी प्रकार की बाधा न हो।

(ड) नाक अथवा जिह्वा की हड्डियों अथवा उपास्थि मंे किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/जन्मजात विकृति/लक्षण न हों अथवा तालूए नाक में पाॅलिप्स अथवा नाक व गले की कोई बीमारी न हो। नाक में कोई विकृति अथवा टाॅन्सिलाइटिस की शिकायत न हो।

(ढ) गलेए तालू टाॅंसिल अथवा मसूड़ों की कोई बीमारी/लक्षण/अक्षमता न हो अथवा दोनों जबड़ों के जोड़ों के काम को बाधित करने वाली कोई बीमारी अथवा चोट न हो।

(त) जन्मजातए आनुवांशिकए रक्तचाप और चालन विकारों सहित दिल तथा रक्त वाहिकाओं संबंधी कोई रोग/लक्षण/अक्षमता न हो।

(थ) पलमोनरी टी बी अथवा इस रोग से संबंधित पुराने लक्षण अथवा फेफड़ों व छाती संबंधी कोई अन्य बीमारी/लक्षण/अक्षमता जिसमें किसी प्रकार की एलर्जी/प्रतिरक्षा स्थितियांए संयोजी ऊतक विकार तथा छाती के मस्कयूलोस्केलेटल विकार शामिल हैंए न हों।

(द) पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी जिसमें असामान्य लिवर तथा लिवर रोग तथा अग्न्याशय की जन्मजातए आनुवाशिक बीमारयां/लक्षण तथा अक्षमताएं शामिल हैंए न हों।

(ध) एंडोक्राइनसिस्टम अथवा प्रणाली तथा रेटिक्युलोएंडोथीलियल सिस्टम संबंधी किसी प्रकार का रोग/लक्षण /अक्षमता न हो।

(न) जेनिटो-यूरीनरी सिस्टम संबंधी कोई रोग/लक्षण /अक्षमता जिसमें किसी अंग अथवा ग्रंथि की विकलांगताए एट्राॅफी/हाइपरट्राॅफी शामिल हैंए न हो।

(प) किसी प्रकार का सक्रियए अव्यक्त या छिपा हुआ अथवा जन्मजात यौन रोग न हो।

(फ) किसी प्रकार के मानसिक रोगए मिर्गीए मूत्र नियंत्रण संबंधी अक्षमता न हो अथवा उसका इतिहास न हो।

(ब) मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टम तथा खोपड़ीए रीढ़ की हड्डी व अन्य अंगों सहित जोड़ों से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी/अक्षमता/लक्षण न हों।

(भ) कोई जन्मजात अथवा आनुवांशिक रोग/लक्षण /अक्षमता न हों।

5. एस एस बी चयन प्रक्रिया के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षा आयोजित की जाएगी मगर चिकित्सीय जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो वह उम्मीदवार के चयन की अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

6. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के आधार पर सामान्यतः जिन चिकित्सीय जांच अनियमितताओंए कमियों या अक्षमताओं के कारण किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को अस्वीकृत किया जाता हैए वे निम्नलिखित हैं:-

(क) रीढ़ की हड्डी, छाती व कूल्हे तथा अन्य अंगों से संबंधित मस्क्युलो-स्केलेटल विकलांगता जैसे, स्कोलियाॅसिस, टाॅरटीकाॅलिस, कायफाॅसिस, मेरूदण्ड, पसलियों, वक्ष-अस्थि तथा अस्थि पिंजर की अन्य विकलांगताएं, विकृत अंग, उंगलियां, पैरो की उंगलियां तथा रीढ़ की हड्डी के जन्मजात विकार।

(ख) अंगों की विकलांगताः विकृत अंग, हाथों व पैरों की उंगलियां, विकृत जोड जैसे कि क्यूबिटस वलगस, क्युबिटस, वॅरस, नाॅक नीज, बो लेग, हाइपरमोबाइल जोड़, हाथ व पैरों की विच्छेदित उंगलियां तथा शरीर के अंग, जो वास्तविक आकार से छोटे हों।

(ग) नेत्र व नेत्रज्योति: मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग, काॅर्निया, लेंस, रेटिना में चोट, आंखों में भैंगापन एवं टाॅसिस।

(छ) सुनने की क्षमता, कान, नाक व गला: सुनने की क्षमता अथवा श्रवण शक्ति कम होना, बाहृय कर्ण, कान की पट्टी की झिल्लियों, कान का भीतरी हिस्सा, नाक का सेक्टम मुड़ा हुआ होना एवं होंठ, तालू, पेरी-आॅरिक्युलर साइनस तथा लिम्फेंडिनाइटिस/एडीनोपैथी आॅफ नेक। दानों कानों के लिए बातचीत तथा फुसफुसाहट को सुनने की क्षमता 610 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(च) चंतचिकित्सा की स्थिति :

(i) जबड़ों की प्रारंभिक रोगात्मक स्थिति जो बढ़ भी सकता है और बार-बार भी हो सकता है।

(ii) ऊपरी और निचले जबड़े के बीच विसंगति होना जिससे खाना चबाने में और बोलने में दिक्कत होती है जो उम्मीदवारी रद्द करता है।

(iii) रोगसूचक टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ एवं उसमें सूजन होना। मुंह का किनारों पर 30 सेंटीमीटर से कम खुलना तथा मुंह ज्यादा खोलने पर टेम्पोरो-मैंडीबुलर जोड़ अपने स्थान से हटना।

(iv) कैंसर की सभी संभावित स्थितियां।

(v) मुंह खोलने के प्रतिबंध के साथ तथा उसके बगैर सब-म्यूकस फाइब्रोसिस की नैदानिक पहचान।

(vi) दंतसंरचना में खराबी तथा/अथवा मसूड़ों से खून निकलना जिसके कारण दंत-स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

(vii) दांत ढीले होना: दो से अधिक दांत हिलने पर या कमजोर होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द होगी।

(viii) का ॅस्मेटिक अथवा मैक्सिलोफैशियल सर्जरी/ट्रामा के बाद उम्मीदवार सर्जरी/चोट लगने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कम से कम 24 सप्ताह तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के अयोग्य ठहराया जाएगा।

(ix) यदि दांतों के रखरखाव में कमी के कारण भोजन चबाने, दंत-स्वास्थ्य एवं मुंह की स्वस्थता को बनाए रखने अथवा सामान्य पोषण को कायम रखने में दिक्कत हो अथवा उम्मीदवार के कत्र्तव्यों के निवर्हन में दिक्कत हो तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

(छ) **छाती:** तपेदिक रोग अथवा तपेदिक होने के प्रमाण हों, दिल या फेफड़ों में घाव, छाती की दीवार पर मस्क्यूलो-स्केलेटल घाव हों।

(ज) **पेट तथा जेनिटर-मूत्र प्रणाली:** हर्निया, अन-डिसेंडेड टेस्टीस, वेरिकोसील, आ ॅर्गेनोमिगैली, सा ॅलिटरी किडनी, हा ॅर्सशू किडनी, तथा किडनी/लिवर में सिस्ट होना,

गाॅल ब्लेडर में पथरी, रीनल एवं यूरेट्रिक पथरी, यूरोजिनाइटल अंगों में अपंगता अथवा घाव होना, बवासीर रोग तथा लिम्फैडिनाइटिस रोग होना।

(झ) **तंत्रिका तंत्र:** झटके/दौरे पड़ना, बोलने में दिक्कत होना या असंतुलन होना।

(ट) **त्वचा:** विटिलिगो, हीमैजियोमास, मस्से होना, काॅर्न की समस्या होना, त्वचा रोग, त्वचा संक्रमण, त्वचा पर कहीं वृद्धि तथा हाइपरहाइड्राॅसिस होना।

7. <u>लम्बाई एवं वजन</u>

सेना में प्रवेश की शाखा के आधार पर वांछित लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है। शरीर का वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में होना चाहिए जैसा कि निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:-

आयु (वर्ष में)	**सभी आयु के लिए न्यूनतम वजन**	**आयु वर्गः 17 से 20 वर्ष**	**आयु वर्गः 20+01दिन से 30वर्ष**	**आयु वर्गः 30+01दिन से 40 वर्ष**	**आयु 40 वर्ष से अधिक**
लंबाई (से.मी.)	**वजन (कि.ग्रा.)**	**वजन (कि.ग्रा.)**	**वजन (कि.ग्रा.)**	**वजन (कि.ग्रा.)**	**वजन (कि.ग्रा.)**
140	35.3	43.1	45.1	47.0	49.0
141	35.8	43.7	45.7	47.7	49.7
142	36.3	44.4	46.4	48.4	50.4
143	36.8	45.0	47.0	49.1	51.1
144	37.3	45.6	47.7	49.8	51.8
145	37.8	46.3	48.4	50.5	52.6
146	38.4	46.9	49.0	51.2	53.3
147	38.9	47.5	49.7	51.9	54.0
148	39.4	48.2	50.4	52.6	54.8
149	40.0	48.8	51.1	53.3	55.5
150	40.5	49.5	51.8	54.0	56.3
151	41.0	50.2	52.4	54.7	57.0
152	41.6	50.8	53.1	55.4	57.8
153	42.1	51.5	53.8	56.2	58.5
154	42.7	52.2	54.5	56.9	59.3
155	43.2	52.9	55.3	57.7	60.1
156	43.8	53.5	56.0	58.4	60.8
157	44.4	54.2	56.7	59.2	61.6
158	44.9	54.9	57.4	59.9	62.4
159	45.5	55.6	58.1	60.7	63.2
160	46.1	56.3	58.9	61.4	64.0
161	46.7	57.0	59.6	62.2	64.8
162	47.2	57.7	60.4	63.0	65.6

आयु (वर्ष में)	सभी आयु के लिए न्यूनतम वजन	आयु वर्गः 17 से 20 वर्ष	आयु वर्गः 20+01दिन से 30वर्ष	आयु वर्गः 30+01दिन से 40 वर्ष	आयु 40 वर्ष से अधिक
लंबाई (से.मी.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)	वजन (कि.ग्रा.)
163	47.8	58.5	61.1	63.8	66.4
164	48.4	59.2	61.9	64.6	67.2
165	49.0	59.9	62.6	65.3	68.1
166	49.6	60.6	63.4	66.1	68.9
167	50.2	61.4	64.1	66.9	69.7
168	50.8	62.1	64.9	67.7	70.6
169	51.4	62.8	65.7	68.5	71.4
170	52.0	63.6	66.5	69.4	72.3
171	52.6	64.3	67.3	70.2	73.1
172	53.3	65.1	68.0	71.0	74.0
173	53.9	65.8	68.8	71.8	74.8
174	54.5	66.6	69.6	72.7	75.7
175	55.1	67.4	70.4	73.5	76.6
176	55.8	68.1	71.2	74.3	77.4
177	56.4	68.9	72.1	75.2	78.3
178	57.0	69.7	72.9	76.0	79.2
179	57.7	70.5	73.7	76.9	80.1
180	58.3	71.3	74.5	77.8	81.0
181	59.0	72.1	75.4	78.6	81.9
182	59.6	72.9	76.2	79.5	82.8
183	60.3	73.7	77.0	80.4	83.7
184	60.9	74.5	77.9	81.3	84.6
185	61.6	75.3	78.7	82.1	85.6
186	62.3	76.1	79.6	83.0	86.5
187	62.9	76.9	80.4	83.9	87.4
188	63.6	77.8	81.3	84.8	88.4
189	64.3	78.6	82.2	85.7	89.3
190	65.0	79.4	83.0	86.6	90.3
191	65.7	80.3	83.9	87.6	91.2
192	66.4	81.1	84.8	88.5	92.2
193	67.0	81.9	85.7	89.4	93.1
194	67.7	82.8	86.6	90.3	94.1
195	68.4	83.7	87.5	91.3	95.1
196	69.1	84.5	88.4	92.2	96.0
197	69.9	85.4	89.3	93.1	97.0
198	70.6	86.2	90.2	94.1	98.0
199	71.3	87.1	91.1	95.0	99.0
200	72.0	88.0	92.0	96.0	100.0
201	72.7	88.9	92.9	97.0	101.0

आयु (वर्ष में)	सभी आयु के लिए न्यूनतम वजन	आयु वर्गः 17 से 20 वर्ष	आयु वर्गः 20+01दिन से 30वर्ष	आयु वर्गः 30+01दिन से 40 वर्ष	आयु 40 वर्ष से अधिक
लंबाई (से.मी.)	**वजन (कि.ग्रा.)**	**वजन (कि.ग्रा.)**	**वजन (कि.ग्रा.)**	**वजन (कि.ग्रा.)**	**वजन (कि.ग्रा.)**
202	73.4	89.8	93.8	97.9	102.0
203	74.2	90.7	94.8	98.9	103.0
204	74.9	91.6	95.7	99.9	104.0
205	75.6	92.5	96.7	100.9	105.1
206	76.4	93.4	97.6	101.8	106.1
207	77.1	94.3	98.6	102.8	107.1
208	77.9	95.2	99.5	103.8	108.2
209	78.6	96.1	100.5	104.8	109.2
210	79.4	97.0	101.4	105.8	110.3

(क) ऊपर दिया गया लंबाई-वजन चार्ट सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए है। यह चार्ट बी एम आई के आधार पर बनाया गया है। इस चार्ट में किसी लंबाई विशेष के उम्मीदवार का न्यूनतम स्वीकृत वजन दिया गया है। किसी भी मामले में न्यूनतम स्वीकृत वजन से कम वजन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दी गई लंबाई के अनुसार अधिकतम स्वीकृत वजन को विभिन्न आयु-वर्ग में विभाजित किया गया है। अधिकतम स्वीकृत वजन सीमा से अधिक वजन वाले उम्मीदवारों को केवल उन मामलों में स्वीकार किया जाएगा। जहां वे राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती, बाॅडी-बिल्डिंग एवं बाॅक्सिंग खेलों में शामिल होने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में निम्नलिखित मानक होंगे:-

(i) बाॅडी मास इंडेक्स 25 से कम होना चाहिए।

(ii) कमर का घेरा पुरूषों के लिए 90 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 80 सेंटीमीटर से कम होगा।

(iii) सभी बायोकेमिकल मेटाबाॅलिक मानक सामान्य सीमाओं में होंगे।

(ख) सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई 157 सेमी या संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा तय की गई है। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रए गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से संबंधित उम्मीदवारों को न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी के साथ स्वीकार किया जाएगा।

(ग) सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी है। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रए गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से संबंधित उम्मीदवारों को न्यूनतम 148 सेमी की ऊंचाई के साथ स्वीकार किया जाएगा।

8. सभी अफसर प्रवेश और प्री-कमीशन प्रशिक्षण अकादमियों में निम्नलिखित जांच की जाएंगी परंतु यदि मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड चाहे या ठीक समझे तो इसके अलावा अन्य किसी बिन्दु पर भी जांच कर सकते हैं।

(क) संपूर्ण हीमोग्राम

(ख) यूरिन आर ई (रूटीन)

(ग) चेस्ट एक्सरे

(घ) अल्ट्रासाउंड (यू एस जी) पेट व पेडू

9. आयु वर्ग एवं भर्ती या प्रवेश के प्रकार के आधार पर नेत्र ज्योति संबंधी कुछ मानक भिन्न हो सकते हैं जैसा कि निम्नलिखित है:-

मानदण्ड	**स्टैंडर्ड: 10+2 प्रवेश एन डी ए (सेना), टी ई एस**	**स्नातक एवं समकक्ष प्रवेश: सी डी एस ई, आई एम ए, ओ टी ए, यू ई एस, एन सी सी, टी जी सी एवं समकक्ष**	**स्नातकोत्तर एवं समकक्ष प्रवेश: जैग, ए ई सी, ए पी एस, टी ए, ए एम सी, ए डी सी, एस एल एवं समकक्ष**
असंषोधित दृष्टि (अधिकतम स्वीकृत)	6/36 एवं 6/36	6/60 एवं 6/60	3/60 एवं 3/60
बी सी वी ए	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6	दायां 6/6 तथा बायां 6/6
मायोपिया	≤ -2.5 डी एसपीएच +/- 2.0 डी सीवाईएलअधिकतम दृष्टिवैषक्य/भेंगापन सहित)	≤ -3.50 डी एसपीएच (≤ -/+ 2.0 डी सीवाईएलअधिकतम भेंगापन सहित)	≤ -5.50 डी एसपीएच ;≤ +/- 2.0 डी सीवाईएल अधिकतम भेंगापन सहित)
हाइपरमेट्रोपिया	≤ +2.5 डी एसपीएच (≤ +/- 2.0 डी सीवाईएलअधिकतम भेंगापन सहित)	≤ +3.50 डी एसपीएच (≤ +/- 2.0 डी सीवाईएलअधिकतम भेंगापन सहित)	≤ +3.50 डी एसपीएच (≤ +/- 2.0 डी सीवाईएलअधिकतम भेंगापन सहित)
लसिक/समकक्ष सर्जरी	अस्वीकृत	स्वीकृत*	स्वीकृत*
रंगों की पहचान	सीपी -II	सीपी- II	सीपी - II

*लसिक अथवा समकक्ष केराटो-रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया

(क) यदि कोई उम्मीदवार केराटो- रिफ्रेक्टिव प्रक्रिया करवाता है तो उसे प्रक्रिया तारीख व सर्जरी किस प्रकार की है, इस बात का उल्लेख करते हुए उस सेंटर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जहां यह काम किया गया है।

नोट: इस तरह के प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा "अनिर्दिष्ट दृश्य तीक्ष्णता सुधारात्मक प्रक्रिया के कारण अनफिट" के विशिष्ट समर्थन के साथ उम्मीदवार को अस्वीकार करने का निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

(ख): इस संबंध में "योग्य" अथवा "फिट" करार देने के लिए निम्नलिखित का ध्यान रखा जाएगा:-

(i) सर्जरी के समय उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से अधिक हो।

(ii) लसिक सर्जरी के बाद न्यूनतम 12 माह का समय हो गया हो।

(iii) केन्द्र में कॉर्निया की मोटाई 450μ के बराबर या उससे अधिक हो।

(iv) आई ओ एल मास्टर द्वारा अक्षीय लंबाई 26 मिमी के बराबर या उससे अधिक हो।

(v) $/-1.0 डी एवं सिलिंडर से कम या उसके बराबर अवशिष्ट अपवर्तन हो, बशर्ते वह उस वर्ग में मान्य हो जिसमें उम्मीदवार द्वारा आवेदन किया गया हो।

(vi) सामान्य स्वस्थ रेटिना।

(vii) अतिरिक्त मापदंड के रूप में कॉर्निया की स्थलाकृति और एक्टेशिया मार्कर को भी शामिल किया जा सकता है।

वे उम्मीदवार जिन्होंने रेडियल कार्निया (केराटोटामी) करवा रखी है, वे स्थायी रूप से अयोग्य माने जाएंगे

10. मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही के लिए प्रयुक्त फॉर्म ए एफ एम एस एफ-2 ए है।

11. चिकित्सा जांच बोर्ड की कार्यवाही:अफसरों के चयन और प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण अकादमियों के लिए चिकित्सा जांच बोर्ड का आयोजन सर्विस चयन बोर्ड (एस एस बी) के निकट नियत सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पतालों में किया जाता है। इन मेडिकल बोर्ड को 'विशेष मेडिकल बोर्ड' (एस एम बी) कहा जाता है। एस एस बी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाले

उम्मीदवारों को पहचान दस्तावेजों सहित सशस्त्र सेना मेडिकल सर्विस अस्पताल के पास भेजा जाता है। अस्पताल के स्टाॅफ सर्जन उम्मीदवार की पहचान कर उसे ए एफ एम एस एफ-2 में संबंधित भाग भरने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, मेडिकल, सर्जिकल, नेत्र रोग, ई एन टी तथा डेंटल विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा जांच आयोजित करवाते हैं। स्त्री रोग विशषज्ञ भी महिला उम्मीदवारों की जांच करते हैं। इन विशेषज्ञ डाॅक्टरों द्वारा जांच के बाद उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। विशेषज्ञ डाॅक्टरों की जांच से संतुष्ट होने के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की मेडिकल फिटनेस संबंधी घोषणा की जाती है। यदि विशेष मेडिकल बोर्ड (एस एम बी) द्वारा किसी उम्मीदवार को 'अयोग्य' या 'अनफिट' घोषित किया जाता है, तो उसे उम्मीदवार 'अपील मेडिकल बोर्ड' (ए एम बी)के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ए एम बी से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष एस एम बी द्वारा किया जाएगा।

12. विविध पहलू :

(क) परीक्षण अथवा जांच के नैदानिक तरीक डी जी ए एफ एम एस कार्यालय द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

(ख) महिला उम्मीदवारों की मेडिकल जांच महिला मेडिकल अफसरों द्वारा की जाएगी परंतु यदि महिला डाॅक्टर मौजूद न हों तो यह काम महिला परिचारिकाओं की उपस्थिति में पुरूष डाॅक्टरों द्वारा किया जाएगा।

(ग) सर्जरी के बाद फिटनेस देना:

सर्जरी के बाद उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा परंतु सर्जरी में किसी प्रकार की जटिलता या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, घाव भर गए हों और उस अंग विशेष की शक्ति पर्याप्त रूप से मिल गई हो, यह आवश्यक होगा। हर्निया की ओपन/लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 01 वर्ष बाद तथा काॅलसिस्टेक्टमी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद किसी उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। किसी अन्य सर्जरी के मामले में भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 12 सप्ताह बाद और ओपन सर्जरी के 12 माह बाद ही फिटनेस दी जाएगी। चोट लगने, मांस फटने और जोड़ों में किसी प्रकार की चोट लगने पर सर्जरी की अवधि को ध्यान में न रखते हुए उम्मीदवार को 'अयोग्य' घोषित किया जाएगा।

<u>**नौसेना**</u>

<u>नौसेनामें अफसर पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा मानदंड और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया**मेडिकल बोर्ड के संचालन की प्रक्रिया**</u>

1. सैन्य सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी को सेना मेडिकल अफसरों के एक बोर्ड द्वारा संचालित चिकित्सीय जांच (स्पेशल मेडिकल बोर्ड) से होकर गुजरना होगा। केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा योग्य

(फिट) घोषित अभ्यर्थियों को ही अकादमी में प्रवेश दिया जाएगा। तथापि मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष अनफिट घोषित हुए अभ्यर्थी को उनके परिणामों की जानकारी देंगे और अपील मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया बताएंगे जिसे विशेष मेडिकल बोर्ड के 42 दिनों के भीतर कमान अस्पताल या समकक्ष में अभ्यर्थी द्वारा पूरा करना होगा।

2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अपील मेडिकल बोर्ड (ए एम बी) द्वारा अनफिट घोषित किया जाता है, वे अपील मेडिकल बोर्ड पूरा होने के एक दिन के भीतर रीव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ए एम बी के अध्यक्ष अभ्यर्थियों को ए एमबी के जांच-परिणामों को चुनौती देने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाएगा कि रीव्यू मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) के संचालन के लिए मंजूरी डी जी ए एफ एम एस द्वारा मामले की मेरिट के आधार पर ही प्रदान की जाएगी इसे अभ्यर्थी का अधिकार नहीं माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी आर एम बी के लिए अनुरोध करना चाहता/चाहती है तो उसे डी एम पी आर, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), सेना भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110011- को लिखना होगा एवं उसकी एक प्रति ए एम बी के अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। डी जी ए एफ एम एस का कार्यालय अभ्यर्थी को आर एम बी के लिए उपस्थित होने की तारीख एवं स्थान (केवल दिल्ली और पूना) के विषय में सूचित करेगा।

3. स्पेशल मेडिकल बोर्ड के दौरान, निम्नलिखित जांच अनिवार्य रूप से की जाएंगी। तथापि अभ्यर्थी की जांच करने वाले मेडिकल अफसर/मेडिकल बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर या सूचित किए जाने पर कोई अन्य जांच करवाने को कह सकते हैं:-

(क) कम्प्लीट हीमोग्राम
(ख) यूरिन आर ई/एम ई
(ग) एक्स-रे चेस्ट पी ए व्यू
(घ) यू एस जी एब्डोमन और पेल्विस

<u>एन्ट्री के समय अफसरों (पुरुष/महिला) के लिए शारीरिक मानदंड</u>

4. अभ्यर्थी को विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदंडों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ (फिट) होना चाहिएः-

(क) अभ्यर्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसी किसी भी बीमारी/अक्षमता से मुक्त होना चाहिए जो तट और समुद्री ड्यूटी पर विश्व के किसी भी हिस्से में शांति एवं युद्ध परिस्थितियों में सक्षम कार्य निष्पादन में बाधा डाल सकती है, ।

(ख) अभ्यर्थी में किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी, शारीरिक दोष अथवा कम वजन के लक्षण नहीं होने चाहिएं। अभ्यर्थी को अधिक वजन का या मोटा नहीं होना चाहिए।

5. **<u>वजन</u>**

<u>कद-वजन तालिकाः नौसेना</u>

कद (मीटर में)	17 वर्ष तक		17 वर्ष + 1 दिन से 18 वर्ष तक		18 वर्ष + 1 दिन से 20 वर्ष तक		20 वर्ष + 1 दिन से 30 वर्ष तक		30 वर्ष तक	
	न्यूनतम वजन (किग्रा में)	**अधिकतम वजन (किग्रा में)**	**न्यूनतम वजन (किग्रा में)**	**अधिकतम वजन (किग्रा में)**	**न्यूनतम वजन (किग्रा में)**	**अधिकतम वजन (किग्रा में)**	**न्यूनतम वजन (किग्रा में)**	**अधिकतम वजन (किग्रा में)**	**न्यूनतम वजन (किग्रा में)**	**अधिकतम वजन (किग्रा में)**
1.47	37	45	40	45	40	48	40	50	40	52

1.48	37	46	41	46	41	48	41	50	41	53
1.49	38	47	41	47	41	49	41	51	41	53
1.5	38	47	42	47	42	50	42	52	42	54
1.51	39	48	42	48	42	50	42	52	42	55
1.52	39	49	43	49	43	51	43	53	43	55
1.53	40	49	43	49	43	51	43	54	43	56
1.54	40	50	44	50	44	52	44	55	44	57
1.55	41	50	44	50	44	53	44	55	44	58
1.56	41	51	45	51	45	54	45	56	45	58
1.57	42	52	46	52	46	54	46	57	46	59
1.58	42	52	46	52	46	55	46	57	46	60
1.59	43	53	47	53	47	56	47	58	47	61
1.6	44	54	47	54	47	56	47	59	47	61
1.61	44	54	48	54	48	57	48	60	48	62
1.62	45	55	49	55	49	58	49	60	49	63
1.63	45	56	49	56	49	58	49	61	49	64
1.64	46	56	50	56	50	59	50	62	50	65
1.65	46	57	50	57	50	60	50	63	50	65
1.66	47	58	51	58	51	61	51	63	51	66
1.67	47	59	52	59	52	61	52	64	52	67
1.68	48	59	52	59	52	62	52	65	52	68
1.69	49	60	53	60	53	63	53	66	53	69
1.7	49	61	53	61	53	64	53	66	53	69
1.71	50	61	54	61	54	64	54	67	54	70
1.72	50	62	55	62	55	65	55	68	55	71
1.73	51	63	55	63	55	66	55	69	55	72
1.74	51	64	56	64	56	67	56	70	56	73
1.75	52	64	57	64	57	67	57	70	57	74
1.76	53	65	57	65	57	68	57	71	57	74
1.77	53	66	58	66	58	69	58	72	58	75
1.78	54	67	59	67	59	70	59	73	59	76
1.79	54	67	59	67	59	70	59	74	59	77
1.8	55	68	60	68	60	71	60	75	60	78
1.81	56	69	61	69	61	72	61	75	61	79
1.82	56	70	61	70	61	73	61	76	61	79
1.83	57	70	62	70	62	74	62	77	62	80
1.84	58	71	63	71	63	74	63	78	63	81
1.85	58	72	63	72	63	75	63	79	63	82
1.86	59	73	64	73	64	76	64	80	64	83
1.87	59	73	65	73	65	77	65	80	65	84
1.88	60	74	65	74	65	78	65	81	65	85
1.89	61	75	66	75	66	79	66	82	66	86
1.9	61	76	67	76	67	79	67	83	67	87
1.91	62	77	67	77	67	80	67	84	67	88
1.92	63	77	68	77	68	81	68	85	68	88
1.93	63	78	69	78	69	82	69	86	69	89
1.94	64	79	70	79	70	83	70	87	70	90

1.95	65	80	70	80	70	84	70	87	70	91

नोटः-

(क) कद के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम वजन सभी वर्गों के कार्मिकों के लिए एक समान होगा। निर्धारित न्यूनतम वजन से कम वजन वाले अभ्यर्थियों को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ख) निर्धारित वजन से अधिक वजन वाले पुरुष अभ्यर्थी आपवादिक स्थिति में केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब वे बॉडी बिल्डिन्ग, कुश्ती, मुक्केबाजी अथवा मसक्यूलर बिल्ड के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ऐसे मामलों में, निम्नलिखित मानदंड का पालन किया जाता है।

(i) शरीर द्रव्यमान सूचकांक 25 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) कमर तथा कूल्हे का अनुपात 0.9 से कम हो।

(iii) ब्लड शुगर फास्टिन्ग और पी पी ब्लड यूरिया, क्रिटिनाइन, कोलेस्ट्रॉल, HbA1C% आदि जैसे सभी बायोकेमिकल पैरामीटर सामान्य रेंज में हों।

(ग) केवल चिकित्सा विशेषज्ञ ही किसी अभ्यर्थी को स्वस्थ (फिट) घोषित कर सकते हैं।

6. अभ्यर्थी की चिकित्सीय जांच के दौरान, निम्निलिखित प्रमुख बिंदुओं को सुनिश्चित किया जाएगाः-

(क) अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हो।

(ख) श्रवण-शक्ति अच्छी हो और कान, नाक अथवा गले की किसी भी बीमारी के लक्षण न हों।

(ग) दोनों नेत्रों की दृष्टि क्षमता अपेक्षित मानदंडों के अनुरूप हो। उनके नेत्र चमकदार, स्पष्ट हों और भेंगापन अथवा असामान्यता से रहित हो। आंखों की पुतलियों की गति सभी दिशाओं में पूरी और निर्बाध हों।

(घ) बोलने की क्षमता बाधा रहित हो।

(च) ग्रन्थियों में किसी प्रकार की सूजन न हो।

(छ) वक्ष की बनावट अच्छी हो और हृदय एवं फेफड़े स्वस्थ हों।

(ज) अभ्यर्थियों के सभी अंग सुगठित एवं सुविकसित हों।

(झ) किसी भी प्रकार की हर्निया के लक्षण न हों।

(ट) सभी जोड़ों के कार्य निर्बाध एवं त्रुटि रहित हों।

(ठ) पैर एवं पंजे सुविकसित हों।

(ड) किसी भी प्रकार की जन्मजात विकृति अथवा गड़बड़ी न हो।

(ढ) किसी भी प्रकार के पूर्व काल की गंभीर एवं लंबी बीमारी के लक्षण जो कि शारीरिक अपंगता को दर्शाता/दर्शाते हों, न हों।

(त) भली-भांति चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में मजबूत दांत हों।

(थ) जेनिटो-यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी बीमारी न हो।

7. अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:-

(क) कमजोर शारीरिक रचना, अपूर्ण विकास, जन्मजात विकृति, मांसपेशी क्षय।

(ख) सिर की विकृति जिसमें फ्रैक्चर से उत्पन्न विकृति अथवा खोपड़ी की हड्डियों के संकुचन से उत्पन्न विकृति शामिल है।

(ग) मेरूदंड संबंधी रोग अथवा उनकी असामान्य वक्रता, कॉब्स मेथड के अनुसार 25 वर्ष की आयु से नीचे 10 डिग्री से अधिक और 25 वर्ष की आयु से अधिक की आयु वाले अभ्यर्थियों में 15 डिग्री से अधिक का स्कोलिओसिस।

नोटः- मेरूदंड का एक्सरे सामान्यतः नहीं किया जाएगा। तथापि, शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ के परामर्श परजहां पर आवश्यकता हो, करवाया जाएगा।

(घ) आनुवांशिक अथवा गैर-आनुवांशिक अस्थि पंजर संबंधी विकृति और अस्थियों या संधियों की बीमारी या अक्षमता।

नोटः- रूडीमेंटरी सरवाइकल रिब जिसमें कोई भी संकेत या लक्षण न दिखाई देते हो, स्वीकार्य है।

(च) धड़ एवं अंगों की असममिति, अंग-छेदन सहित गतिशीलता में असमान्यता।

(छ) पैरों एवं पंजों की विकृति।

8. **आंख**

(क) आंख या पलकों की विकृति या रोग ग्रस्त स्थिति जिसके अधिक बढ़ने या दुबारा होने की संभावना हो।

(ख) किसी भी स्तर का प्रत्यक्ष दिखाने वाला भेंगापन।

(ग) सक्रिय ट्रेकोमा या उसकी पेचीदगी या रोगोत्तर लक्षण।

(घ) निर्धारित मानदंडों से कम दृष्टि तीक्ष्णता।

नोटः-

1. सी डी एस ई (CDSE) अफसरों की एंट्री हेतु दृष्टि संबंधी मानदंड निम्नलिखित हैं:-

मानदंड	**सी डी एस ई/एन सी सी**
असंशोधित दृष्टि	6/126/12
संशोधित दृष्टि	6/6 6/6
निकट दृष्टि (Myopia) संबंधी सीमाएं	-1.5D Sph
दीर्घ दृष्टि संबंधी (hypermetropia) सीमाएं	+1.5 D Cyl
अबिंदुकता (निकट दृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि सीमा के भीतर)	± 0.75 D Sph/Cyl
दोनों आंखों की दृष्टि	III

रंगों की समझ	I

2. **कैराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी** जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी प्रकार की कैराटो रिफ्रैक्ट्री सर्जरी (PRK, LASIK, SMILE)करवाई हो उन्हें सभी शाखाओं में एंट्री के लिए फिट माना जाएगा (सबमरीन, डाइविंग और MARCO काडर को छोड़कर) और उन पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगीः-

(क) 20 वर्ष की आयु से पहले कोई शल्यचिकित्सा न हुई हो।

(ख) जांच के कम से कम 12 महीने पूर्व हुईअनकॉम्प्लीकेटिड सर्जरी। (अभ्यर्थी इस आशय का एक सर्टिफिकेट जिसमें सर्जरी की तारीख तथा ऑपरेशन पूर्वसंबंधित नेत्र में रिफ्रैक्टिव दोष में कितना था इसका उल्लेख किया गया हो, अभ्यर्थी यह सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट मेडिकल एक्जामिनेशन के समय प्रस्तुत करेगा)।

(ग) आई ओ एल मास्टर या ए स्कैन द्वारा एक्सियल लंबाई 25.0 मि मी या उससे कम।

(घ) लैसिक के बाद पैकीमीटर द्वारा मापे गए कॉर्नियल की मोटाई 450 माइक्रोन्स से कम नहीं होनी चाहिए।

(च) रेजिडुअल रिफ्रैक्शन ±1.0 डी स्फैरिकल या सिलिड्रिकिल (Sph or Cyl) से कम हो या बराबर हो बशर्ते जिस वर्ग (केटेगरी) के लिए आवेदन किया गया हो यह उसकी अनुज्ञेय सीमा के अंदर हो। लेकिन पायलट तथा ऑबजर्वर एंट्री के लिए यह शून्य (Nil) होना चाहिए।

(छ) प्री-ऑपरेटिव एरर+/-6.0 डी से अधिन नहीं होना चाहिए।

(ज) रेटिना संबंधी सामान्य जांच।

3. कैराटो रिफ्रैक्ट्री सर्जरी (PRK, LASIK, SMILE)सबमरीन, डाइविंग एवं MARCO जैसे विशिष्ट संवर्गों के लिए स्वीकार्य नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने रेडियल केराटोटॉमी करवाई हो वे सभी शाखाओं के लिए स्थायी रूप से अनफिट माने जाएंगे।

9. **कान, नाक तथा गला**

(क) **कान** बार-बार कान में दर्द होना या इसका कोई इतिहास हो, कम सुनाई देना, टिनीटस हो या चक्कर आते हों। ट्रेशिया, एक्सोस्टोसिस या नियोप्लाज्म सहित बाह्य मीटस के रोग जो ड्रम की पूर्ण जांच को रोकते हैं। टिमपैनिक मैमब्रेन के असाध्य छिद्रण, कान का बहना, अक्यूट या क्रोनिक सुपरेटिव ऑटिटिस मीडिया के लक्षण, रेडिकल या मोडिफाइड रेडिकल मैस्टॉयड ऑपरेशन के प्रमाण।

टिप्पणीः-

(1) अभ्यर्थी अलग-अलग दोनों कानों से 610 से मी की दूरी सेफोर्स्ड फुसफुसाहट (हिवस्पर) सुनपाता हो। सुनने के समय उसकी पीठ परीक्षक की तरफ होनी चाहिए।

(2) टिम्पैनिक मैमब्रेन के ड्राई सैंट्रल परफोरेशन के लिए कोर्टिकल मेस्टॉयटेक्टोमी के साथ या सहित टिमपैनोप्लास्टी का ऑपरेशन तब सफल माना जाता है जब ग्राफ्ट सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर देता है, बशर्ते मैमब्रेन सही-सलामत हो तथा प्रत्येक कान से, गतिशील रहते हुए, 610 से मी की फ्री फील्ड हायरिंग हो तथा प्योर टोन ऑडियोमेट्री पर नॉर्मल हियरिंग थ्रेशोल्ड हो। फिटनेस के लिए, अभ्यर्थी को टिमपैनोमैट्री पर नार्मल कम्प्लाऐंस को दर्शाना चाहिए।

(ख) **नाक** नाक की उपास्थि या अस्थि के रोग, मार्कड् नेजल एलर्जी, नेजल पोलिप्स, एट्रोफिक रायनाइटिस, एक्सेसरी साइनस के रोग तथा नैसोफैरिंक्स।

टिप्पणीः- नाक की सामान्य विकृति जिससे नाक का आकार बिगड़े नहीं, साधारण सेप्टल डेविएशन जिससे नेजल एयरवे (Airway)में कोई दिक्कत न हों तथा छोटा-सा ट्रौमेटिक सेप्टल परफोरेशन जो लक्षण रहित हो स्वीकार्य हैं।

(ग) **गला** थ्रोट पैलेट, जीभ, टाँसिल, मसूड़े के रोग या दोनों मैंडिब्यूलर के सामान्य क्रिया को प्रभावित करने वाले रोग।

टिप्पणीः -टॉन्सिल के हमलों के संबद्ध इतिहास के बिना टॉन्सिल की सरल अतिवृद्धि स्वीकार है ।

(घ) **लैरिंग्स के रोग वाक् अवरोध (बोलने में कठिनाई)-** आवाज समान्य होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हकलाने वाले अभ्यर्थी को भर्ती नहीं किया जाएगा।

10. **दांतों की स्थितिः**-यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चबाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हों।

(क) एक अभ्यर्थी के 14 डेंटल प्वाइंट्स (Points) होने चाहिएंताकि उस व्यक्ति के दांतों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके। 14 से कम डेंटल प्वाइंटस वाले अभ्यर्थी की भर्ती नहीं की जाएगी। दूसरे जबड़े में संगत दांतों के साथ अच्छी अवस्था वाले दांतों के प्वाइंट के बारे में नीचे बताया जा रहा हैः-

(i) सैंट्रल इनसाइजर, लेटरल इनसाइजर, केनाइन, प्रथम प्रीमोलर, द्वितीय प्रीमोलर तथा प्रत्येक प्वाइंट के साथ अंडर डेवलेप्ड तृतीय मोलर।

(ii)प्रथम मोलर, द्वितीय मोलर तथा पूरी तरह विकसित तृतीय मोलर। प्रत्येक में दो प्वाइंट होंगे।

(iii) जब सभी 32 दांत मौजूद हों तो 22 या 20 प्वाइंट की कुल गितनी होगी और उनके अनुसार यह कहा जाएगा कि तीसरे मोलर विकसित हैं या नहीं।

(ख) प्रत्येक जबड़े में सही ढंग से काम करने वाले दांत होने चाहिएं।

(i) 6 एंटेरियर में से कोई 4

(ii) 10 पोस्टेरियर में कोई 6

ये सभी दांत स्वस्थ/दुरुस्त करने योग्य होने चाहिए।

(ग) गंभीर रूप से पायरिया ग्रस्त अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं की जाएगी। यदि डेंटल अफसर की राय हो कि पायरिया को बिना दांत निकाले ही ठीक किया जा सकता है तो अभ्यर्थी की भर्ती कर ली जाएगी। इस बाबते मेडिकल/डेंटल अफसर चिकित्सकीय दस्तावेज में टिप्पणी लिखेंगे।

(घ) डेंटल प्वाइंट की गिनती करते समय कृत्रिम दांतों को शमिल नहीं किया जाएगा।

11. **<u>गर्दन</u>**

(क) बढ़े हुए ग्लैंड, ट्यूबरक्यूलर या गर्दन या शरीर के अन्य भाग में अन्य रोगों के कारण।

<u>टिप्पणी</u>:- ट्यूरक्यूलर ग्लैंड को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन के कारण आए दागों के कारण उम्मीदवारी समाप्त नहीं की जाएगी बशर्ते पिछले पांच वर्षों के अंदर कोई सक्रिय रोग न हो तथा सीना नैदानिक (Clinically) दृष्टि से तथा रेडियोलॉजी के हिसाब से दोषरहित हो।

(ख) थायराइड ग्लैंड के रोग।

12. **<u>त्वचा तथा यौन संक्रमण (एस टी आई)</u>**

(क) त्वचा रोग जब तक अस्थायी या मामूली न हो।

(ख) अपने आकार या अपनी सीमा के कारण ऐसे दाग जो बड़ी विकृति उत्पन्न कर रहे हों या भविष्य में उत्पन्न कर देंगे।

(ग) हाइपरहाइड्रोसिस-पैल्मर, प्लांटर या एक्सीलेरी।

(घ) जन्मजात, सक्रिय या गुप्त, यौन-संचारित रोग (Sexually transmitted disease)।

<u>नोटः-</u> ऊसन्धि (ग्रोइन) या पुरुष जननांग/स्त्री जननांग के ऊपर अतीत के यौन संचारित संक्रमण के कारण पुराने घाव का निशान होने की स्थिति में, गुप्त यौन संचारित रोग को वर्जित करने के लिए यौन संचारित संक्रमण (जिसमें एच आई वी भी शामिल है) हेतु रक्त की जांच की जाएगी।

13. **<u>श्वसन तंत्र</u>**

(क) चिरकालिक खांसी या श्वांस दमा का इतिहास।

(ख) फेफड़े के क्षयरोग का प्रमाण।

(ग) छाती की रेडियोलॉजिकल जांच किए जाने पर ब्रांकाई, फेफड़े या फुफ्फुस आवरणों जैसी बीमारियों के प्रमाण पाए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी अयोग्य होंगे।

<u>नोटः</u>- निम्नलिखित परिस्थितियों में छाती की एक्स-रे जांच की जाएगी।

(i) कैडेट या सीधे प्रवेश के रुप में सेवा में प्रवेश पर।
(ii) शार्ट सर्विस कमिशन अधिकारी के मामले में स्थायी कमीशन के अनुदान के समय।

14. **<u>हृदय तंत्र हृदय-वाहिका तंत्र (हार्ट-वस्कुलर सिस्टम)</u>**

(क) हृदय या धमनियों का कार्यात्मक या जैविक रोग, वक्ष परीक्षण (धड़कन) में सरसराहट या क्लिक की उपस्थिति।

(ख) क्षिप्रहृदयता (विश्रामावस्था में स्पंदन दर हमेशा 96 प्रति मिनट से अधिक रहना), मंदस्पंदन (विश्रामावस्था में स्पंदन दर हमेशा 40 प्रति मिनट से कम रहना), कोई असामान्य परिधीय स्पंदन (नाड़ी)।

(ग) रक्तचाप 140 मि मी पारा सिस्टोलिक या 90 मि मी पारा डायस्टोलिक से अधिक होना।

15. <u>उदर</u>

(क) गैस्ट्रोइंटेसस्टिनल ट्रैक्ट संबंधी किसी रोग का प्रमाण, यकृत, पित्ताशय या तिल्ली में वृद्धि, उदर परिस्पर्शन कोमलता, पेप्टिक अल्सर का इतिहास/प्रमाण या बड़ी उदर शल्य चिकित्सा का पूर्व विवरण। सभी अफसर एंट्री अभ्यर्थी आतंरिक अंगों में किसी प्रकार की असामान्यता का पता लगाने के लिए उदर तथा श्रेणी की अल्ट्रा साउंड जांच करवाएंगे।

(ख) वंक्षणीय या कोई अन्य हर्निया या वैसी प्रवृत्ति।

<u>नोटः-</u> ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी हर्निया/हाइड्रोसिल, वैरिकॉज-वेंस, वृषण-शिरापस्फीति (वेरिकोसिल) का ऑपरेशन हुआ है उन्हें निम्न शर्तों पर योग्य (फिट) घोषित किया जा सकता हैः-

(i) हर्निया की शल्य चिकित्सा को छः महीने तथा अन्य लघु शल्य चिकित्सा को कराए छः सप्ताह बीत चुके हों। इस कार्य का लिखित प्रमाण अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(ii) उदर की मासंपेशियों की दशा सामान्य हो।

(iii) हर्निया या शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) से संबंधित किसी अन्य जटिलता की पुनरावृत्ति न रही हो।

(ग) फिसटूला इन एनो, एनल फिशर और बवासीर का जब तक उचित उपचार न किया गया हो।

16. **<u>मूत्र-तंत्र (जेनिटो-न्यूरिनरी सिस्टम)</u>**

(क) जननांगों संबंधी रोग का कोई प्रमाण।

(ख) द्विपक्षीय अनवतीर्ण वृषण (बाइलाटरल अनडिसेंडड टेसटिस), एकपक्षीय अनवतीर्ण (यूनीलाटरल अनडिसेंडड टेसटिस), वृषण का वंक्षण नाल (इनग्वनाल केनाल) में या बाह्य उदर (अबडोमिनल) रिंग में होना, जब तक कि ऑपरेशन से सही किया जाए।

<u>नोटः-</u> एक वृषण (टेसटिस) की अनुपस्थिति तब तक अस्वीकृति का कारण नहीं है जब तक कि किसी रोग के कारण वृषण (टेसटिस) को निकाल दिया गया हो या इसकी अनुपस्थिति अभ्यर्थी के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती हो।

(ग) किडनी या मूत्रमार्ग (यूरेथ्रा) का रोग या इसकी बनावट में विकार।

(घ) मूत्र या रात्रि की शय्या मूत्रण असंयतता।

(च) मूत्र की जांच करने पर कोई अन्य असामान्यता जिसमें पेशाब में अन्नसार जाना या पेशाब में शर्करा शामिल है।

17. **<u>केन्द्रीय स्नायुतंत्र</u>**

(क) केन्द्रीय स्नायुतंत्र का जैविक रोग।

(ख) स्पंदन

(ग) दौरा (मिरगी) तथा सिर दर्द/माइग्रेन का बार-बार दौरा पड़ने वाले अभ्यर्थी स्वीकार्य नहीं होंगे।

18. **<u>मानसिक विकार</u>**अभ्यर्थी अथवा उसके परिवार में मानसिक रोग या तंत्रिकात्मक अस्थिरता(नरवस इनस्टेबिलिटी)का इतिहास या प्रमाण।

19. **<u>महिला अभ्यर्थी</u>** इन महिला अभ्यर्थियों को गर्भवती नहीं होना चाहिए तथा उन्हें स्त्रीरोग संबंधी विकार जैसे- प्राइमेरी या सेकंडरी एमनोरिया/डिसमेनोरिया/मेनोरीजिया इत्यादि से मुक्त होना चाहिए। सभी महिला अभ्यर्थियों के आंतरिक अंगों की किसी असामन्यता का पता लगाने के लिए, उदर तथा श्रोणि (पेल्विक) अंगों की अल्ट्रा साउण्ड जांच की होगी।

वायु सेना में अफसर पदों पर भर्ती के लिए चिकित्सा मानक और मेडिकल परीक्षा की प्रक्रिया

सामान्य अनुदेश

1. इस खंड में एनडीए के माध्यम से भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा कमीशन प्रदान किए जाने के लिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मूल्यांकन करने के लिए मानकीकृत दिशानिर्देशों का वर्णन किया गया है। इन दिशानिर्देशों का प्रयोजन एक समान शारीरिक मानक स्तर निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना है कि अभ्यर्थी स्वास्थ संबंधी वैसी स्थितियों से मुक्त हैं जो संबंधित शाखा में उनके कार्य-प्रदर्शन को बाधित या सीमित कर सकते हैं। इस खण्ड में वर्णित दिशानिर्देश नैदानिक परीक्षण के मानक तौर-तरीकों के साथ लागू किए जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

2. अपने प्रवेशन के दौरान सभी अभ्यर्थियों को बुनियादी शारीरिक फिटनेस मानक स्तर पूरे करने चाहिए जो उन्हें प्रवीणता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने और बाद में अलग-अलग तरह की जलवायु परिस्थितियों और कार्य परिवेशों में सेवा करने में समर्थ बनाएगा। एक अभ्यर्थी तब तक शारीरिक रूप से फिट मूल्यांकित नहीं किया जाएगा / जाएगी जब तक पूरी परीक्षण यह नहीं दिखता कि वह लंबी अवधि तक कठोर शीरीरिक और मानसिक तनाव/दबाव सहन करने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम है। चिकित्सा फिटनेस की अपेक्षाएं अनिवार्य रूप से सभी शाखाओं के लिए समान हैं, सिवाय उन वायुकर्मीदल के जिनके लिए पैनी नज़र एंथ्रोपोमीट्री और कुछ अन्य शारीरिक मानक स्तर के पैरामीटर और अधिक सख्त हैं।

3. आरंभिक परीक्षण के परिणाम एएफएमएसएफ-2 में दर्ज किए जाते हैं। समूचे चिकित्सा परीक्षण में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) एक प्रश्नावली जो अभ्यर्थी द्वारा सावधानी और ईमानदारीपूर्वक भरी तथा परीक्षण करने वाले चिकत्सा अफसर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएगी। विधिक पक्ष सहित प्रश्नावली के सभी पक्षों का महत्व सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। बाद में किसी अशक्तता का पता चलने अथवा पहले के किसी महत्वपूर्ण इतिहास का खुलासा होने, जो पहले घोषित न किया गया हो, से कमीशन प्रदान किए जाने के पूर्व किसी भी चरण में अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराया जा सकता है। कमीशन प्रदान किए जाने से पूर्व चिकित्सा परीक्षण के दौरान सभी अभ्यर्थियों और कैडेटों के उदर (पेट) की यूएसजी की जाएगी।

(ख) दांतों से संबंधित परीक्षण सहित पूरा चिकित्सा और शल्य परीक्षण।

(ग) नेत्र संबंधी (ऑप्थाल्मिक) परीक्षण।

(घ) कान, नाक और गले का परीक्षण।

4. बताए गए चिकित्सा मानक स्तर आरंभिक प्रवेश चिकित्सा मानक स्तरों से संबंधित हैं। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा फिटनेस बने रहने का मूल्यांकन कमीशन प्रदान किए जाने से पूर्व एनडीए/एएफए में आयोजित आवधिक चिकित्सा परीक्षणों के दौरान किया जाएगा।

सामान्य शारीरिक मूल्यांकन

1. वायु सेना के लिए फिट होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को आगे के पैराओं में निर्धारित न्यूनतम मानक स्तरों के अनुरूप होना अनिवार्य है। शारीरिक पैरामीटर स्वीकार्य रेंज के भीतर और समानुपातिक होने चाहिए।

2. पुराने फ्रैक्चर/चोटों के बाद के असर का मूल्यांकन किया जाएगा कि वे कार्य प्रदर्शन को किसी प्रकार बाधित तो नहीं करती। यदि कार्य प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ता तो अभ्यर्थी को फिट मूल्यांकित किया जा सकता है। निम्नलिखित श्रेणियों का बारीकी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए :

(क) रीढ़ की चोट रीढ़ के पुराने फ्रैक्चर के मामले अनफिट होने का कारण होते हैं। रीढ़ में आई कोई विकृति अथवा किसी कशेरूका (बर्टेब्रा) का दबा होना अभ्यर्थी को खारिज किए जाने का एक कारण होगा।

(ख) नस की चोट अधिक बड़ी नसों के स्कंध में आई चोट जिससे कार्य प्रदर्शन में कमी आती हो अथवा न्यूरोमा (गांठ) बनना जिससे दर्द, काफी झुझुनी होती हो, उड़ान ड्यूटी में नियोजित किए जाने के लिए अनुप्रयुक्त होने के कारण होंगे।

(ग) केलॉइड बड़े या कई केलॉइड होने का मामला अभ्यर्थी को खारिज किए जाने का एक कारण होगा।

3. **(क) शल्य क्रिया के निशान** मामूली और अच्छी तरह भर चुके निशान जैसे कि किसी कृत्रिम शल्य क्रिया से बने निशान नियोजन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण नहीं हैं। हाथ-पैर या धड़ पर घाव के बड़े निशान जिससे कार्य प्रदर्शन में बाधा आ सकती हो अथवा जो भद्दे दिखते हों उन्हें अनफिट माने जाने का कारण मानना चाहिए।

(ख) **जन्मजात निशान** हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन के रूप में असामान्य पिगमेंटेशन (झाइयां) स्वीकार्य नहीं है। तथापि स्थानिक जन्मजात तिल / नेवस स्वीकार्य है बशर्ते इसका आकार 10 से.मी. से छोटा हो। जन्मजात एकाधिक तिल (नेवस) या वाहिकीय रसौली (वैस्कुलर ट्यूमर) जिससे काम-काज में बाधा आती हो या जिसमें लगातार जलन होती हो, स्वीकार्य नहीं है।

(ग) त्वचा के नीचे सूजन लिपोमा (चर्बी की गांठ) फिट मानी जाएगी जब तक यह आकार/अवस्थिति की वजह से अधिक विरुपण/कार्य संबंधी नुकसान उत्पन्न न कर रही हो। न्यूरोफाइब्रोमा, यदि एक हो, तो फिट मानी जाएगी। बड़े कैफ़े–ऑ-ले धब्बों (1.5 से.मी. आकार से बड़े या संख्या में एक से ज्यादा) से जुड़े एकाधिक न्यूरोफ्राइब्रोमा के मामले में अनफिट माना जाएगा।

4. **ग्रीवा (गर्दन) की पसली (सर्वाइकल रिब)** किसी न्यूरो-वैस्कुर समस्या से रहिल सर्वाइकल रिब स्वीकार्य होगी। ऐसे मामलों में कोई न्यूरो-वैस्कुलर की आशंका न होने के लिए बारीकी से नैदानिक परीक्षण किया जाना चाहिए। इसे चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में प्रलेखित (दर्ज) किया जाना चाहिए।

5. **खोपड़ी-चेहरे की (क्रानियो-फेशियल) विकृति** चेहरे और सिर का टेढ़ा-मेढ़ा होना अथवा खोपड़ी, चेहरे या जबड़े की ठीक न कराई गई विकृतियां, जिनसे ऑक्सीजन मास्क, हेलमेट या सैन्य हेडगिया सही तरीके से पहन पाने में दिक्कत आएगी, अनफिट होने का कारण मानी जाएंगी। ठीक करने के लिए कराई शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद भी रह गई बड़ी विकृतियों को अनफिट होने का कारण माना जाएगा।

6. **ऑपरेशनों से संबंधित इतिहास** ऐसा अभ्यर्थी, जिसका उदर (पेट) का ऑपरेशन हुआ हो, जिसमें बड़ी शल्य-क्रिया (सर्जरी) की गई हो अथवा कोई अंग अंशतः / पूरा निकाल दिया गया हो, एक नियम के रूप में, सेवा के लिए अनफिट है। खोपड़ी (क्रानियल वॉल्ड) से जुड़ा ऑपरेशन, जिससे हड्डी का कोई दोष आ गया हो, अनफिट होने का कारण होगा। छाती के बड़े ऑपरेशन हुए होने पर अभ्यर्थी अनफिट होगा।\

<u>माप और शारीरिक गठन</u>

7. **<u>छाती की आकृति और परिमाप</u>** छाती की आकृति इसकी वास्तविकि माप के जितनी ही महत्वपूर्ण है। छाती भली-भांति विकसित और समानुपातिक होनी चाहिए। छाती की कोई भी विकृति, जिससे प्रशिक्षण और सैन्य ड्यूटी के निष्पादन के दौरान शारीरिक परिश्रम में दिक्कत आने की आशंका हो अथवा जो सैन्य प्रभाव धारण करने में प्रतिकूल असर डालती हो अथवा हृदय-फेफड़ों या पेशी-कंकाल की किसी विसंगति से जुड़ी हो, अनफिट होने का कारण मानी जाएगी। कैडेटों के लिए छाती की सुझाई गई न्यूनतम परिमाप 77 से.मी. है। सभी अभ्यर्थियों के लिए छाती फुलाने पर इसका प्रसार कम से कम 05 से.मी. होना चाहिए। दस्तावेजीकरण के प्रयोजनार्थ 0.5 से.मी. से कम कोई भी दशमलव अंश अनदेखा किया जाएगा, 0.5 को ऐसा ही दर्ज किया जाएगा और 0.6 से.मी. तथा इससे अधिक को 1 से.मी. के रूप में दर्ज किया जाएगा।

<u>लंबाई, बैठे होने पर लंबाई, टांग की लंबाई और जांघ की लंबाई</u>

8. उड़ान शाखा के लिए न्यूनतम लंबाई 162.5 से.मी. होगी। ऐसे वायुकर्मीदल (एयरक्रू) के लिए टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई और बैठे होने पर लंबाई इस प्रकार होगी :

(क) बैठे होने पर लंबाई न्यूनतम - 81.5 से.मी.

अधिकतम - 96.0 से.मी.

(ख) टांग की लंबाई न्यूनतम - 99.0 से.मी.

अधिकतम - 120.0 से.मी.

(ग) जांघ की लंबाई अधिकतम - 64.0 से.मी.ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम लंबाई 157.5 से.मी. होगी। गोरखाओं और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य लंबाई 5 से.मी. कम (अर्थात् 152.5 से.मी.) होगी। लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के मामले में न्यूनतम स्वीकार्य लंबाई 2 से.मी. घटाई जा सकती है (अर्थात् 155.5 से.मी.)।

9. शरीर के वजन के पैरामीटर

(क) प्रारूप नियमावली के परिशिष्ट 'क' में दिया गया यू पी एस सी द्वारा निर्धारित वजन चार्ट लागू होगा। षरीर के मानक वजन से अधिकतर्म <u>+</u>1 एसण्डी की छूट दी जा सकती है। आधा किग्रा. से कम के अंतर को नोट नहीं किया जाएगा।

10. निर्धारित सीमा से ज्याद वजन केवल वैसे अभ्यथियों के मामले में अपवादिक परिस्थितियों में स्वीकार्य होगा, जहां बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती और मुक्केबाजी के साक्ष्य दस्तावेज के रूप में मौजूद हों। तथापि, ऐसे मामलों में निम्नलिखित मानदंड पूरा करना होगा :

(क) बीएमआई 27 से कम होना चाहिए।

(ख) कमर नितंब अनुपात पुरूषों के लिए 0.9 और महिलाओं के लिए 0.8 से कम होना चाहिए।

(ग) कमर की परिमाप पुरूषों के लिए 94 से.मी. और महिलाओं के लिए 89 से.मी. से कम होना चाहिए। (घ) सभी जैव-रासायनिक चयापचय (बायोकेमिकल मेटाबोलिक) पैरामीटर सामन्य सीमाओं के भीतर होनेचाहिए।

परिशिष्ट ’क’

(पैरा 9 देखें)

सी डी एस ई में अभ्यर्थियों की भर्ती के समय विभिन्न आयु समूहों के पुरूशों की ऊंचाई एवं मानक निर्वस्त्र वजन

ऊचाई से.मी. में	**15-17**	**18-22**	**23-27**	**28-32**	**33-37**
152	46	47	50	54	54
153	47	47	51	55	55
154	47	48	51	56	56
155	48	49	52	56	56
156	48	49	53	57	57
157	49	50	54	58	58
158	49	50	54	58	58
159	50	51	55	59	59
160	51	52	56	59	60
161	51	52	56	60	60
162	52	53	57	61	61
163	52	54	58	61	62
164	53	54	59	62	63
165	53	55	59	63	63
166	54	56	60	63	64
167	54	56	61	64	65
168	55	57	61	65	65
169	55	57	62	65	66
170	56	58	63	66	67
171	56	59	64	66	68
172	57	59	64	67	68
173	58	60	65	68	69
174	58	61	66	68	70
175	59	61	66	69	71
176	59	62	67	70	71
177	60	62	68	70	72
178	60	63	69	71	73
179	61	64	69	72	73
180	61	64	70	72	74
181	62	65	71	73	75
182	62	66	72	74	76
183	63	66	72	74	76
184	64	67	73	75	77
185	64	68	74	75	78
186	65	68	74	76	78
187	65	69	75	77	79
188	66	69	76	77	80
189	66	70	77	78	81
190	67	71	77	79	81
191	67	71	78	79	82
192	68	72	79	80	82
193	68	73	79	81	83
SD	6.0	6.3	7.1	6.6	6.9

<u>कार्डियोवास्कुलर सिस्टम</u>

1. छाती दर्द, सांस लेने में कठिनाई, अतिस्पंदन, बेहोशी के दौरे, चक्कर आना संधिवातीय बुखार, टखने की सूजन, कोरिया, बार बार गले की खराश और गलांकुर के इतिवृत्त पर कार्डियोवास्कुलर प्रणाली की जांच में विचार किया जाएगा।

2. **<u>पल्स</u>** पल्स की दर, रिदम, वॉल्यूम, तनाव तथा नियमितता एवं धमनी भित्ति की जांच की जाएगी। सामान्य पल्स दर 60-100 बीपीएम तक होती है। पल्स की जांच पूरे एक मिनट में की जाएगी। रेडियल तथा फेमोरल धमनियों की हमेशा तुलना की जाए तथा यदि कोई अंतर हो तो उसे दर्ज किया जाए। अन्य बाह्य पल्स दर जैसे करोटिड, पॉपलीटियल, पोस्टेरियर टाइबियल धमनी तथा डोरसाइली पेडिस धमनी दोनों ओर धड़कना चाहिए तथा यदि कोई अंतर हो तो यदि दर्ज किया जाए तो दस्तावेज़ लगाए जाएं। लगातार साइनस टेकिकार्डिया (> 100बीपीएम) तथा लगातार होने वाले साइनस ब्रेडिकार्डिया (<60 बीपीएम) को अनफ़िट माना जाएगा। यदि ब्रेडिकार्डिया शारीरिक मानी जाती है तो अभ्यर्थी को चिकित्सा विशेषज्ञ / हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच के उपरांत फिट घोषित किया जा सकता है।

3. **<u>रक्त चाप</u>** आवेदकों में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होने की पूरी संभावना होती है, जो कि रक्त चाप में अनित्य वृद्धि होती है और यह चिकित्सा जांच के तनाव के कारण होती है। सामान्य स्थिति में बेसल परिस्थितियों के अंतर्गत निरंतर रिकॉर्डिंग द्वारा व्हाइट कोट प्रभाव को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। कोई व्यक्ति जिसका रक्तचाप लगातार 140/90 एमएम या उससे अधिक रहता है को अस्वीकृत किया जाएगा।

4. **<u>हृदय मर्मर</u>** ऑर्गेनिक (जैविक) हृदय रोग के साक्ष्य को अस्वीकार का कारक माना जाएगा। डायस्टोलिक सरसराहट अपरिवर्तनीय रूप से जैविक है। इजेक्शन सिस्टोलिक प्रकृति की छोटी सिस्टोलिक सरसराहट और जो थ्रिल से जुड़ी नहीं है और जो खड़े होने पर समाप्त हो जाती है, विशेषकर यदि वह सामान्य ईसीजी और छाती के रेडियोग्राफ से जुड़ा हो अधिकतर प्रकार्यात्मक होते हैं। किसी संशय की स्थिति में मामले को राय के ले हृदय रोग विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा।

5. **<u>ईसीजी</u>** चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा सही प्रकार से दर्ज ईसीजी (रेस्टिंग-12 लीड) की सामीक्षा की जाएगी। वेव पैटर्न, एम्प्लिट्यूड, अवधि तथा समय को जोड़कर नोट दर्ज किया जाए। केवल संरचनागत हृदय रोग के बिना अपूर्ण आरबीबीबी को छोड़कर समस्त ईसीजी अनियमितता अनफ़िट का कारण होगा। संरचनागत हृदय रोग का पता लगाने के लिए अपूर्ण आरबीबीबी के मामलों में 2डी ईसीएचओ जांच की जाएगी तथा ऐसे मामलों में वरिष्ठ परामर्शदाता (मेडिसिन) या हृदयरोग विशेषज्ञ की राय ली जाएगी।

6. **<u>हृदय की सर्जरी तथा चीर-फाड़</u>** पूर्व में की गई हृदय की सर्जरी तथा चीर-फाड़ वाले अभ्यर्थी को अनफ़िट माना जाएगा।

<u>श्वसन तंत्र</u>

1. पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस, एफ्यूज़न सहित प्लीयूरीजी, बार-बार कफयूक्त खासी आना, हिमोपटीसिस, बार-बार ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, लगातार न्यूमोथ्राक्स तथा छाती की चोट के पूर्ववृत्त का निष्कर्ष निकाला जाए। प्रतिरोधी एयरवे बीमारी के संदेह वाले मामलों में स्प्राइरोमेट्री पीक स्पाइरेट्री फ्लो रेट किया जाए। यदि लंग पैथोलॉजी का कोई संदेह हो तो संबंधित जांचे जिसमें एक्स-रे/सी टी चेस्ट/ इम्यूनोलॉजी टेस्ट शामिल हैं इन्हें करवाकर फिटनेस का निर्णय लिया जा सकता है। संदेह वाले मामलों में अंतिम फिटनेस का निर्णय केवल अपील स्तर पर वरिष्ठ परामर्शदाता (चिकित्सा) / पल्मोनॉलॉजिस्ट के परामर्श के बाद लिया जाएगा।

2. **<u>पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस</u>** चेस्ट रेडियोग्राम पर किसी प्रमाण्य अपारदर्शिता के रूप में पल्मनरी पैरेनकीमा या प्लेयूरा में कोई अवशिष्ट स्कारिंग का अस्वीकार किए जाने का आधार होगा। पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस के पूर्व में इलाज किए गए मामले जिनमें कोई महत्वपूर्ण अवशिष्ट अपसमान्यता नहीं होती उसे तब स्वीकार किया जा सकता है जब निदान और इलाज दो वर्ष से भी अधिक पहले किया जा चुका हो। इन मामलों में चिकित्सक के निर्णय के अनुसार यू एस जी, ई एस आर, पी सी आर, इन्यूलॉजिकल जांच और मैनटॉक्स टेस्ट के साथ चेस्ट का सी टी स्कैन और फाइबर ऑपटिक ब्रोंकोस्कॉपी ब्रोंकियल लेवेज सहित की जाएगी। आदि सभी जांच सामान्य आती है तो अभ्यार्थी को फिट माना जा सकता है। हालांकि इन मामलों में फिटनेस बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

3. **<u>एफ्यूज़न सहित प्लीयूरीजी</u>** महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्लीयूरल स्थूलता का कोई साक्ष्य अस्वीकार किए जाने का कारण होगा।

4. **<u>ब्रोंकिइटिस -</u>** खांसी /सांस लेने में घरघराहट ब्रोंकाइटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमण का इतिहास श्वसन पथ के दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस या अन्य दीर्घकालिक पैथोलॉजी का परिमाण हो सकता है। ऐसे मामलों को अनफिट मूल्यांकित किया जाएगा।यदि उपलब्ध हो तो पल्मनरी फंक्शंस जांच की जाएगी। ऐसे मामलों में चिकित्सा विशेषज्ञ/चेस्ट फिज़िशियन से परामर्श लिया जा सकता है।

5. **<u>ब्रोंकियल अस्थमा</u>**- ब्रोंकियल अस्थमा /सांस लेने में घबराहट /एलर्जिक राइनिटिस के बार-बार हुए रोगाक्रमण का इतिहास अस्वीकार कर दिया जाने का कारण होगा।

6. **<u>चेस्ट का रेडियोग्राफ करना</u>**- फेफड़ो, मीडियास्टिनम और प्लूरा संबंधी रोगों के सुस्पष्ट रेडियोलॉजिकल साक्ष्य अभ्यर्थी को अनफिट घोषित करने का मापदंड होगा।यदि अपेक्षित हो तो छाती के चिकित्सक के सुझाव के अंतर्गत उपयुक्त पैरा 2 में दिए अनुसार जांच की जाएगी।

7. **<u>वक्षीय सर्जरी</u>**- फेंफड़ा पेरेनकीमा के किसी ऑपरेशन द्वारा अच्छेदन का इतिहास अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा। वक्ष के किसी अन्य भाग की प्रमुख सर्जरी को मामलेवर विचार किया जाएगा।

<u>पाचन तंत्र</u>

1. परीक्षक जांच करे कि क्या अभ्यर्थी को मुंह,जीभ,मसूड़ो या गले के फोड़े या संक्रमण का कोई इतिहास है। प्रमुख दंत परिवर्तन /बदलाव का रिकॉर्ड नोट किया जाए। अभ्यर्थी के चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछते समय परीक्षक , डिस्पोसिया, पेप्टिक अल्सर प्रकार के दर्द, बार-बार डायरिया होने, पीलिया अथवा बायलिरिया कॉलिक, अपच, कब्ज, ब्लीडिंग पीअर के तथा अन्य कोई पेट की सर्जरी के इतिहास के बारे में सीधे सवाल कर सकता है।

2. <u>सिर पांव तक की जांच</u> लिवर कोशिका के खराबी के किसी संकेत की मौजूदगी (अर्थात बालों का झड़ना, पैरोटिडोमेगली, स्पाइडर नैवी, गाइनोकोमास्टिया,टेस्टीकुलर एट्रॉफी, फ्लैपिंग ट्रेमर आदि) तथा मालाब्सपर्शन के साक्ष्य (पैलर, नाखून तथा त्वचा में बदलाव, एंगुलर चेलिटीस, पेडल एडेमा) अस्वीकार करने का आधार होगा। ओरल म्यूकोसा, मसूड़े तथा मुंह खोलने में किसी बाधा की स्थिति को नोट किया जाएगा।

3. **गैस्ट्रो डुओडेनल अक्षमता-** वे अभ्यर्थी जो सिद्ध पेप्टिक अल्सरेशन सहित एसिड-पेप्टिक बीमारी लक्षणों के संकेत से पिछले एक वर्ष से गुज़र रहे अथवा गुज़र चुके हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पहले हुई किसी शल्य क्रिया जिसमें किसी अंग (अवशेषांगों/पित्ताशय के अतिरिक्त) की आंशिक या कुल क्षति लोप होने से अस्वीकार कर दिए जाने का मामला बनेगा।

4. **यकृत लीवर के रोगः**- यदि पूर्व में पीलिया (जौण्डिस) होने का पता चलता है या यकृत (लीवर) के काम करने में किसी प्रकार की असमान्यता का संदेह होता है, तो मूल्यांकन के लिए पूरी जांच करना अपेक्षित है। वायरल यकृत-शोथ (हेपाटाइटिस) या पीलिया के किसी अन्य रूप से ग्रस्त अभ्यर्थियों को खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 06 माह की न्यूनतम अवधि बीत जाने के बाद फिट घोषित किया जा सकता है बशर्ते उसकी नैदानिक रिकवरी (स्वास्थ्य लाभ) हो गई हो, एच बी वी और एच सी वी – दोनों स्थिति निगेटिव हो और यकृत (लिवर) सामान्य रूप से काम कर रहा हो। बार-बार पीलिया होने पर अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।

5. **प्लीहा (स्प्लीन) का रोगः**- जिन अभ्यर्थियों का आंशिक/पूर्ण प्लीहोच्छदन (स्प्लीनेक्टोमी) हुआ हो, वे अनफिट होंगे चाहे ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो।

6. **हर्नियाः**- वक्षण (इन्गुइनल), एपिगैस्ट्रिक, नाभिका और ऊरु (फेमोरल) हर्निया तो नहीं है, इसके लिए हर्निया से संबंधित स्थानों का परीक्षण किया जाएगा। कोई भी उदरीय भित्ति हर्निया अनफिट होने का कारण होगा। चाहे ओपन अथवा लैपरोस्कोपिक सुधार के 06 महीने बाद शल्य-क्रिया (सर्जरी) के घाव के निशान जिस अभ्यर्थी में अच्छी तरह भर चुके हों, उसे फिट माना जाएगा बशर्ते इसके दोबारा न होने का साक्ष्य हो और उदरीय भित्ति पेशी-विन्यास ठीक हो।

7. **उदरीय शल्य-क्रिया (सर्जरी)**

(क) प्रचलित उदरीय शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद इसके घाव के निशान जिस अभ्यर्थी में अच्छी तरह भर चुके हों, उसे सफल शल्य-क्रिया (सर्जरी) के एक वर्ष बाद फिट माना जाएगा, बशर्ते किसी छुपी हुई विकृति के दोबारा उभरने की आशंका न हो, हर्निया में कोई चीरा न लगने का साक्ष्य हो और उदरीय भित्ति पेशी-विन्यास ठीक हो।

(ख) लेपरोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी करा चुके अभ्यर्थी को शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद 08 सप्ताह बीत चुकने के बाद फिट माना जाएगा बशर्ते वह संकेतों और लक्षणों से मुक्त हो और उदर (पेट) की यू एस जी जांच सहित उसका मूल्यांकन सामान्य हो और शून्य आंतरिक उदरीय अवशेष सहित पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) न हो। अन्य उदरीय लेपरोस्कोपिक प्रक्रिया से गुजर चुके अभ्यर्थी को भी शल्य-क्रिया (सर्जरी) के 08 सप्ताह बाद फिट माना जा सकता है बशर्ते उसमें कोई लक्षण न दिखते हों, रिकवरी (स्वास्थ्य लाभ) पूरी हो चुकी हो और कोई परेशानी बची न हो अथवा दोबारा परेशानी न होने का साक्ष्य हो।

8. **गुद- मलाशय (एनोरेक्टल) स्थितियाः**- जांच करने वाले को मलाशय की डिजिटल (अंगुली से) जांच करनी चाहिए और बवासीर, बाहरी अर्श, गुदा के त्वचा टैग, विदर, विवर, नालव्रण, भ्रंश, मलाशय पुंज या पॉलिप के न होने की बात सुनिश्चित करनी चाहिए।

(क) **फिट**

(i) केवल बाहरी त्वचा टैग।

(ii) पॉलिप, बवासीर, विदर, नालप्रवण या व्रण (अल्सर) के लिए मलाशय की शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद बशर्ते बीमारी बची न होने/दोबारा न होने का साक्ष्य हो।

(ख) **अनफिट**

(i) सुधार के लिए शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद भी मलाशय भ्रंश। (ii) सक्रिय गुद विदर

(iii) बवासीर (बाहरी या भीतरी)

(iv) गुद विवर

(v) गुदा या मलाशय का पॉलिप

(vi) गुदा का निकुंचन

(vii) मल असंयति

उदर की अल्ट्रासोनोग्राफी

9. **यकृत (लिवर)**

(क) फिट

(i) यकृत (लीवर), सी बी डी, आई एच बी आर, प्रवेशद्वार (पोर्टल) तथा शिराओं की सामान्य ईको-एनाटोमी के साथ मध्य-जत्रुकी रेखा में यकृत का विस्तार 15 सेमी से अधिक न हो।

(ii) 2.5 सेमी व्यास तक की एक अकेली साधारण रसौली (पुतली भित्ति, ऐनईकोइक) बशर्ते एल एफ टी सामान्य और हाइडेटिड सीरम परीक्षण नेगेटिव हो।

(iii) यकृति कैल्सीकरण को फिट माना जाएगा यदि एक अकेला तथा 1 सेमी से कम आकार का हो और संगत नैदानिक परीक्षणों तथा उपयुक्त जांच के आधार पर तपेदिक, सार्काइडोसित, हाईडेटिड रोग या यकृत फोर्ड के सक्रिय न होने का साक्ष्य हो।

(ख) अनफिट

(i) मध्य- जत्रुकी रेखा में 15 सेमी से बड़ी यकृतिवृद्धि।

(ii) वसीय यकृत-ग्रेड 2 और ग्रेड 3, असामान्य एल एफ टी के होने पर ग्रेड ।

(iii) एक अकेली रसौली > 2.5 सेमी।

(iv) मोटी भित्ति, पटभवन (सेप्टेशन), अंकुरक प्रक्षेप, कैल्सीकरण और कचरे के साथ किसी भी आकार की एक अकेली रसौली।

(v) एकाधिक यकृति कैल्सीकरण या गुच्छ >1 सेमी।

(vi) किसी भी आकार की एकाधिक यकृति रसौली।

(vii) आकार और अवस्थिति से अनपेक्ष कोई भी हीमेंजियोमा (रक्तवाहिकाबुर्द)।

(viii) प्रवेशद्वार पर शिरा घनास्रता।

(ix) प्रवेशद्वार पर अतिरिक्तदाब का साक्ष्य (पी वी >13 मिमी., समपार्श्वी, जलोदर)।

10. **पित्ताशय (गॉल ब्लैडर)**

(क) **फिट**

(i) पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) की सामान्य ईको-एनाटोमी।

(ii) लेपरोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद लैपरेस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टॉमी कर चुके अभ्यर्थी को फिट माना जा सकता है यदि शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद 08 सप्ताह बीत चुके हों और शून्य आंतरिक उदटीय अवशेष सहित पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) न हो। हर्निया में बगैर किसी चीरे के घाव अच्छी तरह भर चुका होना चाहिए।

(iii) ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी के बाद। ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी करा चुके अभ्यर्थी को फिट माना जा सकता है यदि शल्य-क्रिया (सर्जरी) के बाद एक वर्ष बीत चुका हो और हर्निया में बगैर किसी चीरे के घाव भर चुका हो तथा शून्य आंतरिक-उदरीय अवशेष के साथ पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) न हो।

(2) **<u>अनफिट</u>**

(i) कोलेलिथिआसिस या बिलिअरी स्लज।

(ii) कोलेडोकोलिथिआसिस।

(iii) किसी भी आकार की और किसी भी संख्या में पॉलिप।

(iv) कोलेडॉकल रसौली।

(v) गॉल ब्लैडर (पित्ताशय) पुंज।

(vi) पित्ताशय (गॉल ब्लैडर भित्ति की मोटाई > 05 मिमी.

(vii) सेप्टेट (पटयुक्त) पित्ताशय (गॉल ब्लैडर)।

(viii) यू एस जी दोहराने पर लगातार सिकुड़ता पित्ताशय (गॉल ब्लैडर)।

(ix) अधूरी कोलेसिस्टेक्टोमी।

11. **<u>प्लीहा (स्पलीन)</u>**

(क) **<u>अनफिट</u>**

(i) अनुदैर्ध्य अक्ष में 13 सेमी. से बड़ा प्लीहा (अथवा यदि नैदानिक रूप से स्पृश्य हो।

(ii) प्लीहा में जगह घेरने वाली कोई विक्षति।

(iii) प्लीहाभाव

(iv) जिन अभ्यर्थियों ने आंशिक/पूर्ण स्फलीलेक्टोमी कराई है वे अनफिट हैं, चाहें ऑपरेशन का कारण कुछ भी हो।

12. **<u>अग्नयाशय</u>**

(क) **<u>अनफिट</u>**

(i) संरचनागत कोई भी असामान्यता।

(ii) जगह घेरने वाली विक्षति/विक्षति पुंज।

(iii) चिरकारी (लंबे) अग्नाशयशोध के लक्षण (कैलसीकरण, वाहिनी संबंधी असामान्यता, शोष)।

13. **<u>पर्युदर्या गुहिका</u>**

(क) **<u>अनफिट</u>**

(i) जलोदर

(ii) एक अकेली आन्त्रयोजनी अथवा प्रत्यक-पर्युदर्या लसीका पर्वसंधि (नोड) >1 सेमी. (एक अकेली प्रत्यक-पर्युदर्या लसीका पर्वसंधि (नोड) < 1 सेमी और विन्यास में सामान्य के मामले में फिट माना जा सकता है)।

(iii) किसी भी आकार की दो या अधिक लसीका पर्वसंधि (लिम्फ नोड)।

(iv) कोई भी पुंज या पुटी (सिस्ट)।

14. प्रमुख एबडोमिनल वेस्कुलेचर(महाधमनी/आई वी सी)। कोई भी ढांचागत असमान्यता,फोकस एक्टेसिया, एन्यूरिज़्म और केल्सिफिकेशन को अनफिट समझा जाएगा।

<u>यूरोजेनिटल प्रणाली</u>

1. मिक्टूरिशन या यूरिनरी सिस्टम में किसी बदलाव के बारे में जांच की जानी चाहिए जैसे डिस्यूनिया, फ्रिक्वेंसी, खराब धारा आदि। सिस्टाइसिस पाइलोनेफराइटिस और हिमट्यूरिया के आवर्ती दौरों को इतिहास में नहीं गिना जाना चाहिए। रीनल कोलिक, एक्यूट नेफ्राइटिस, रीनल ट्रैक्ट का कोई ऑपरेशन जिसमें गुरदे का निकाला जाना, पथरी निकालना या पेशाब के रास्ते स्राव शामिल है , के पिछले इतिहास के बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए। यदि एन्यूरेसिस का कोई इतिहास पाया जाता है , भूतकाल या वर्तमान तब विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए। यूरेथ्रल डिस्चार्ज और यौन संचारित (एस टी डी) का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2. कॉन्जेनिटल कमियों जैसे हाइपोस्पाडियास, एपिस्पाडियास, अस्पष्ट जेनिटॉलिया, छोटे टेस्टिस(यू डी टी) या एक्टोपिक टेस्टिस आदि के होने से बचने के लिए बाहरी जेनिटॉलिया की निरंतर जांच की जानी चाहिए। परिस्थितियां जैसे हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, एपिडिडाइमल सिस्ट, फिमोसिस, यूरेथ्रल ढांचा, मीटल स्टीनोसिस आदि पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिए। पालन किया जाने वाला मापदंड निम्नलिखित है:

3.

(क) **<u>छोटे टेस्टिस (यू डी टी)</u>**

I. <u>अनफिट</u>- टेस्टिस की कोई असामान्य स्थिति (एक-पाश्वीं या द्विपाश्वीं) अनफिट है। ट्रामा, टॉर्सन या संक्रमण जैसे किसी भी कारण से हुई द्विपाश्वीं ऑर्किडोक्टोमी अनफिट है।

II. <u>फिट</u>- ऑपरेशन से ठीक की गई यू डी टी को शल्य चिकित्सा के कम से कम 4 सप्ताह बाद फिट समझा जाए बशर्ते सर्जिकल तरीके से ठीक होने के बाद टेस्टिस की स्थिति सामान्य है और घाव भली भर गया है। हल्के लक्षण के लिए एक पाश्वीं एट्राफिक टेस्टिस/ एक-पाश्वीं ऑर्किडेक्टॉमी को फिट समझा जाए, बशर्ते दूसरी टेस्टिस का आकार, फिक्सेशन और स्थान सामान्य है।

(ख) **<u>वेरिकोसिल</u>**

I. <u>अनफिट</u>- वर्तमान वेरिकोसील के सभी ग्रेड।

II. फिट- वेरिकोसिल के ऑपरेशन के बाद मामले जिनमें कोई शेष वेरिकोसील नहीं है और ऑपरेशन पश्चात की कोई समस्याएं या टेस्टिकुलर एट्राफी नहीं है को सर्जरी के 4 सप्ताह बाद सब-इन्जुइनल वेरिको को इलैक्टॉमी के लिए फिट किया जा सकता है।

(ग) **हाइड्रॉसिल**

I. अनफिट- किसी भी तरफ मौजूदा हाइड्रोसिल

II. फिट- हाइड्रोलिस के ऑपरेशन वाले मामलों को सर्जरी होने के 4 सप्ताह बाद फिट समझा जा सकता है यदि इसमें कोई ऑपरेशन पश्च जटिलताएं नहीं है और घाव ठीक से भर गया है।

(घ) **एपिडिडाइमल सिस्ट/ मास, स्पर्मेटोसील** I. अनफिट- सिस्ट मास की मौजूदा उपस्थिति।

II. फिट- ऑपरेशन के बाद के मामले जहां घाव ठीक तरह से भर गया है, जहां पुनरावृत्ति नहीं है और हिस्टोपैथोलौजी रिपोर्ट में केवल हल्का है।

(च) **एपिडिडाइमाईटिस/ऑरकाइटिस**

I. अनफिट- मौजूदा ऑरकाइटिस या एपिडिडाइमाईटिस / क्षय रोग की उपस्थिति।

II. फिट- उपचार के बाद, बशर्ते स्थिति पूरी तरह सुधर चुकी है।

(छ) **एपिस्पाडियास/हाइपोस्पाडियास**

I. अनफिट- हाइपोस्पाडियास और एपिस्पाडियास के ग्रेन्यूलर प्रकार को छोड़कर सभी अनफिट हैं, जो स्वीकार्य है।

II. फिट- सफल सर्जरी के कम से कम 08 सप्ताह बाद ऑपरेशन बाद के मामले बशर्ते पूरी तरह ठीक हो गए हैं और अधिक जटिलता नहीं है।

(ज) **पीनाईल एम्प्यूटेशन**

I. अनफिट- कोई भी एम्प्यूटेशन आवेदक को अनफिट बनाएगी।

(झ) **फिमोसिस**

I. अनफिट- मौजूदा फिमोसिस, यदि स्थानीय स्वच्छता के साथ हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त तनाव में हैं और बैलानाइटिस जिरोटिका ऑब्लिटरेंस के साथ जुड़े या बचे हुए हैं।

II. फिट- ऑपरेशन किए गए मामलों को सर्जरी के 04 सप्ताह बाद फिट समझा जाएगा बशर्ते घाव पूरी तरह भर गया है और ऑपरेशन के बाद की कोई समस्या सामने नहीं आई है।

(ट) **मीटल स्टीनोइसिस**

I. अनफिट- मौजूदा रोग यदि वॉइडिंग के साथ हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त होता है।

II. फिट- हल्का रोग जो वॉइडिंग और ऑपरेशन- पश्च मामलों के साथ सर्जरी किए जाने के 4 सप्ताह बाद हस्तक्षेप नहीं करते जिसमें पर्याप्त रूप से भरे गए घाव और ऑपरेशन के बाद की जटिलताएं नहीं है।

(ठ) **स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल फिस्चुला** वर्तमान मामलों या ऑपरेशन पश्च मामलों के किसी इतिहास वाले अनफिट हैं।

(ड) **सेक्स रिअसाइमेंट सर्जरी/इंटरसेक्स परिस्थिति** अनफिट

(ढ) **नेफ्रेक्टॉमी** सर्जरी के प्रकार के निरपेक्ष सभी मामले (सरल/रेडिकल/डॉनर/आंशिक/आर एफ ए/क्रेयो- एब्लेशन) अनफिट हैं।

(त) **रेनल ट्रांसप्लांट रेसिपियेंट** अनफिट ।

3. **पेशाब की जांच**

(क) **प्रोटीनयूरिया** प्रोटीनयूरिया अस्वीकृति का एक कारण होगा, जब तक कि यह ऑर्थोस्टेटिक प्रमाणित न हो जाए।

(ख) **ग्लाइकोस्यूरिया** जब ग्लाइकोस्यूरिया का पता चलता है, एक ब्लड शुगर जांच(खाली पेट और 75 ग्राम ग्लूकोस के बाद) और ग्लाइको साइलेटिड हीमोग्लोबीन किया जाना है और परिणामों के आधार पर फिटनेस का निर्धारण होता है। अस्वीकृति के लिए रीनल ग्लाइकोस्यूरिया एक कारण नहीं है।

(ग) **यूरीनरी संक्रमण** जब आवेदक का यूरिनरी संक्रमण का इतिहास है या कोई साक्ष्य है तब उसकी पूर्ण रीनल जांच की जाएगी। यूरिनरी संक्रमण का सतत प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

(घ) **हेमेच्यूरिया** हेमेच्यूरिया के इतिहास वाले आवेदकों की पूर्ण रीनल जांच की जाएगी।

4. **ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस**

(क) **एक्यूट**– इस परिस्थिति में एक्यूट चरण में ठीक होने की उच्च दकर होती है विशेषकर बचपन में एक अभ्यर्थी जो पूरी तरह ठीक हो चुका है और जिसके प्रोटीनयूरिया नहीं है, को पूरी तरह ठीक होने के न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद फिट माना जाए।

(ख) **क्रोनिक** क्रोनिक ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस वाले आवेदकों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. **रेनल कॉलिक और रेनल कैल्कुली** पूर्ण रेनल और मेटाबॉलिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। यूरोलीथियासिस, पुनरावृत्ति वाला केल्कुलस, द्विपक्षीय रेनल केल्कुलस नेफ्रोकेल्सिनोसिस वाले मौजूदा या इतिहास वाले अनफिट हैं। सर्जरी के बाद अथवा यूरोलीथियासिस के उपचार की किसी भी प्रक्रिया के बाद आवेदक अनफिट रहता है।

6. **यौन संचारित रोग और ह्यूमन इम्युनो डेफिशिएंसी वायरस (एच आई वी)** सीटोपॉजिटिव एच आई वी स्थिति और/या एस टी डी के संकेत वालों को अस्वीकार किया जाएगा।

पेट – यूरोजेनिटल प्रणाली की अल्ट्रास्तेनोग्राफी

7. **गुरदा, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर**

(क) **अनफिट**

(i) गुरदों या यूरिनरी ट्रैकर की कॉनजेनिटल ढांचागत असामान्यताएं

(कक) यूनिरल रीनल एमनेसिस

(कख) 08 से.मी. से कम के आकार के यूनिलेटरल या बाइलेटरल हाइपोपलस्टिक कॉट्रैक्टिड गुरदा। (कग) गुरदे का मालरोरेशन

(कघ) हॉर्सशू गुरदा

(कच) टॉस्ड गुरदा

(कछ) क्रॉस्ड फ्यूज्ड/एक्टोपिक गुरदा।

(ii) एक गुरदे में 1.5 से.मी. से अधिक आकार का सिम्पल सिगल रीनल सिस्ट।

(iii) कॉम्प्लेक्स सिस्ट/पॉलीसिस्टिक रोग/बहु या दिप्रार्व सिस्ट।

(iv) रीनल/यूरेट्रिक/वेसिकल मास।

(v) हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाईड्रोयूरिटेसेनेफ्रोसिस।

(vi) कैलकुलाई- रीनल/यूरेट्रिक/वेसिकल।

(ख) **<u>फिट</u>** सॉलिटरी यूनिरेल सामान्य रीनल सिस्ट<1.5 से.मी. बशर्ते सिस्ट बाहर स्थित है गोल/अंडाकार है जिसकी पतली चिकनी सतह है और कोई ठोस घटक नहीं है।

(ग) अपील के दौरान मेडिकल बोर्ड/समीक्षा मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट घोषित आवेदकों को विशिष्ट जांच और विस्तृत क्लिनिकल जांच करवानी होगी। गुरदे के ईको टेक्सचर की आईसोलेटिड असमानता वाले आवेदकों को फिट समझा जाए। यदि रीनल कार्य/डी पी टी ए स्कैन और सी ई सी टी गुरदा सामान्य है।

8.

(क) द्विपार्श्व एट्रोफाइड टेस्टिस।

(ख) वेरिकोसील (एक पार्श्व या द्विपार्श्व)

(ग) टेस्टिस की कोई असामान्य अवस्थिति (एक पार्श्व या द्विपार्श्व)

(घ) हाइड्रोसिल

(च) एपिडिडाइमल निशान जैसे सिस्ट।

<u>स्क्रॉटम और टेस्टिस</u> निम्नलिखित मामलों को अनफिट घोषित किया जाएगा:-

<u>एंडोक्राइन प्रणाली</u>

1. किसी एंडोक्राइन परिस्थितियां विशेषकर डायबिटिज, मेलिटस, थायरॉइड और एड्रिनल ग्लैण्ड, गोनाड्स आदि की कमियों के लिए इतिहास का सावधानिपूर्वक उल्लेख किया जाना चाहिए। एंडोक्राइन कमियों को किसी भी प्रकार का सुझाया गया इतिहास अस्वीकृति का एक कारण होगा। किसी भी संदेह के मामले में चिकित्सा विशेषज्ञ एंडोक्राइनलोजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए।

2. एंडोक्राइन प्रणाली के किसी भी संभावित रोग का पता लगाने के लिए एक विस्तृत क्लिनिकल जांच की जानी चाहिए। एंडोक्राइन रोग के किसी भी प्रमाण वाला व्यक्ति अनफिट होगा।

3. असामान्य आयोडीन लेना और असामान्य थायरॉइड हार्मोन स्तरों वाले व्यक्ति सूजन के सभी मामले अस्वीकार्य होंगे। थायरॉइड सूजन वाले सभी मामले अनफिट हैं।

4. मधुमेह वाले आवेदकों को अस्वीकार्य कर दिया जाएगा। मधुमेह के पारिवारिक इतिहास वाले आवेदक का ब्लड शुगर (खाली पेट और ग्लोकोज़ ग्रहण के बाद) की जांच की जाएगी। जिसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। **<u>डरमेटोलॉजिकल प्रणाली</u>**

1. किसी त्वचा स्थिति के दावे या पाए जाने की प्रकृति या घातकता की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए आवेदक कि त्वचा की जांच के बाद सावधानिपूर्वक छानबीन करना आवश्यक है। बॉर्डरलाइन त्वचा परिस्थितियों वाले आवेदकों को डरमेटोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। वो आवेदक जिनमें व्यावसायिक यौन कार्यकर्ता (सी एच डब्ल्यू) के साथ यौन संपर्क का इतिहास पता चलता है या एक निशान के रूप में लिंग पर चोट, जो भर गई है, का प्रमाण होता है, को स्थायी अनफिट घोषित किया जाए चाहे प्रत्यक्ष यौन संबंध नहीं हुए हों, क्योंकि ये आवेदक समान इनडलजेंट प्रोमिस्कस व्यवहार के साथ संभावित 'आवृति'
वाले हैं।

2. **<u>त्वचा के रोगों का मूल्यांकन</u>** एक्यूट नॉन-एक्जैनथिमेटस और विसंक्रामक रोग जो आमतौर पर अस्थायी कोर्स पर होते हैं को अस्वीकृति का कारण होना चाहिए। ट्रिविमल प्रकृति के रोग और जो सामान्य स्वास्थय के साथ हस्तक्षेप नहीं करते या अक्षमता पैदा नहीं करते, को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. कुछ त्वचा परिस्थितियों के ट्रॉपिकल परिस्थितियों में सक्रिय और अक्षमता वाले बनने की संभावना है। एक व्यक्ति सेवा के लिए अनुपयुक्त है यदि उसमें क्रॉनिक या आवृति वाले त्वचा रोग का इतिहास या लक्षण हैं। एसी कुछ परिस्थितियां नीचे परिभाषित की गई हैं:-

(क) पॅमोप्लाटर हाइपरहाइड्रोसिस की कुछ मात्रा शारीरिक है जिसमें इस परिस्थिति पर विचार किया जाता है चिकित्सा जांच के दौरान व्यक्ति की भर्ती करता है। हालांकि विशिष्ट पल्मोप्लाटर हाइपरहाइड्रोसिस वाले आवेदकों को अनफिट समझा जाएगा।

(ख) हल्के (ग्रेड-I) मुहांसे जिसमें कुछ कोमिडोज या पाटयूल्स जो केवल चेहरे पर लगाने के लिए है स्वीकार्य होने चाहिए। हालांकि सामान्य से गंभीर डिग्री के मुहांसे (नोड्यूनोसिस्टिक या कीलोइडल स्केडिंग के बिना) या जिसमें बेक शामिल हो को अनफिट समझा जाएगा।

(ग) हाइपर कीरेटोटोटिक हथेलियों, तलवों और एडियों पर फटी त्वचा के साथ जुड़ी पल्मोप्लांटर किरेटोडरमा की किसी डिग्री वाले को अनफिट समझा जाएगा।

(घ) प्रमाणित सूखी, धारीधार, फटी त्वचा वाले हाथों और पैरों वाले ईक्थियोसिस को अनफिट समझा जाएगा। हल्के जिरोसिस (सुखी त्वचा) वालों को फिट समझा जा सकता है।

(च) किलाइड वाले आवेदकों को अनफिट समझा जाना चाहिए।

(छ) उंगलियों और पैरों के नाखूनों की क्लिनिकल प्रमाणित ओनिकोमाइकोसिस वालों को अनफिट घोषित किया जाएगा, विशेषकर यदि वे नाखून डिस्ट्रॉफी से जुड़ें हैं। डिस्टल रंगहीनता वाले हल्के डिग्री वाले जिसमें एक नाखून जिसमें कोई डिस्ट्रॉफी नही है, को स्वीकार किया जा सकता है।

(ज) विशाल कॉनजेनिटल मेलिनोसाइटिक नेवी, जो 10 से.मी. से बड़े हैं को अनफिट समझा जाए क्योंकि ऐसे विशाल आकार के नेवी में मेलिग्नेट क्षमता है।

(झ) एकल कॉर्न /वार्ट /सेलोसाइट्स वालो को फिट समझा जाएगा जो सफल उपचार के तीन माह बाद और पुनरावृत्ति न होने पर होगा। हालांकि हथेलियों के और तलवों के दबाव वाले क्षेत्रों पर या डिफ्यूस पल्मोप्लांटर मोसाइक बार्ट, विशाल कैलोसाइट्स अनेक वार्ट/कॉर्न/कोलोसाइट्स वालों को अस्वीकार करना चाहिए।

(ट) सोरियासिस एक क्रॉनिक त्वचा स्थिति है जिसके दोबारा होने की संभावना है को अनफिट समझना चाहिए।

(ठ) ढके भागों को प्रभावित करने वाले ल्यूकोडर्मा की हल्की डिग्री से प्रभावित आवेदक स्वीकार्य हैं। केवल ग्लांस लिंग तक और प्रीप्यूस तक सीमित विटिलिगों को फिट समझा जाए। वे जिनमें अत्यधिक त्वचा सम्मिलन और विशेषकर जब बाहरी भाग प्रभावित होते हैं चाहे वे हल्के डिग्री वाले हों को अनफिट घोषित किया जाए।

4. त्वचा संक्रमणों की क्रॉनिक या आवृत्ति वाले इतिहास अस्वीकार्यता का कारण होगा। फोलिकुलाइटिस या साइकोसिस बार्बे जिसमें पूरा ठीक हो गया है को फिट समझा जाए।

5. वे व्यक्ति जिनमें क्रॉनिक या बार-बार होने वाले त्वचा रोग के एपिसोड है जो गंभीर या अक्षमता प्रकृति के हैं जैसे एक्ज़िमा का मूल्यांकन स्थायी अनफिट के तौर पर किया जाए और अस्वीकार किया जाए।

6. कुष्ठ रोग का किसी भी प्रकार का संकेत अस्वीकृति कारण होगा। नसों के मोटा होने के किसी भी कारण के लिए सभी पेरिफेरल नसों की जांच की जानी चाहिए और कुष्ठ रोग को दर्शाने वाला कोई भी क्लिनिकल प्रमाण अस्वीकृति का कारण है।

7. नेवस डेपिगमेंटोसस और बेकार नसों वाले को फिट समझा जाए। इंट्राडर्मल नेवस, वेस्कुलर नेवी को अनफिट घोषित किया जाए।

8. पिटिरियासिस वर्सिककोलर को अनफिट घोषित किया जाए।

9. शरीर के किसी भी भाग पर किसी प्रकार के फंगल संक्रमण(जैसे टिनिया क्रूरिस और टिनिया कोरपोरिस) अनफिट होगा।

10. स्क्रोटल एक्ज़ेमा को ठीक होने पर फिट समझा जाए।

11. केनाइटिस (बालो का समयपूर्ण सफेंद होना) को फिट समझा जाए।

12. इंट्ट्रिगों को ठीक होने पर फिट समझा जाए।

13. जिनाइटल अल्सर को अनफिट समझा जाए। एस टी डी को बाहर निकालने के लिए एनाल और पेरियानल क्षेत्र को भी जिनाइटल जांच के भाग के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए।

14. स्केबीज को ठीक होने पर फिट समझा जाए।

15. त्वचा पर एलोपीशिया एरियाटा एकल और छोटा(<2 से मी व्यास वाला) को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि यदु बहुल है जिसमें अन्य क्षेत्र शामिल हैं या स्केरिंग है तो आवेदक को अस्वीकार किया जाए।

<u>मास्कुलोस्केलेटल प्रणाली और शारीरिक क्षमता</u>

1. आवेदक के शरीर का मूल्यांकन ऐसे सामान्य मानकों के सावधानी पूर्वक मूल्यांकन पर आधारित होना है जैसे कि शरीर का विकास, आयु, कद, वजन और इससे संबंधित यानि प्रशिक्षण सहित शारीरिक स्टेमिना प्राप्त करने की शारीरिक क्षमता। आवेदक की शारीरिक क्षमता सामान्य शारीरिक विकास या किसी संगठनात्मक या पैथोलॉजिकल परिस्थिति द्वारा प्रभावित होती है।

<u>स्पाइनल परिस्थितियां</u>

2. रोग या स्पाइनल या सैक्रोईलियाक जोड़ो की चोट का कोई पुराना इतिहास या तो वस्तुगत चिह्नों सहित या उनके बिना इसे लगाने के लिए अस्वीकृति का एक कारण है। इन परिस्थितियों के लिए आवर्ती लुम्बागों/ स्पाइनल फ्रैक्चर/ प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क और सर्जिकल उपचार का इतिहास होने पर अस्वीकार किया जाएगा।

<u>स्पाइन का मूल्यांकन</u>

3. **<u>क्लीनिकल जांच</u>** सामान्य थोरेसिक काईफोसिस और सर्वाइकल/ लुम्बर लोर्डोसिस को कम आंका जाता है और दर्द में चलने में परेशानी से संबोधित नही होते।

(क) यदि क्लीनिकल जांच पर स्पाइन संचालन में परेशानी विकृति स्पाइन में जकड़न या कोई गैट असामान्यता पाई जाती है तो वह अनफिट समझा जाएगा।

(ख) कुल काइफोसिस, जो मिलिट्री बियरिंग को प्रभावित करता है। स्पाइनल संचलन की पूर्ण रेंज को रोकता है और/या छाती के फुलाव को रोकता है, अनफिट है।

(ग) स्कोलियोसिस वाला अनफिट है यदि विकृति पूरे स्पाइन पर है जब इसे स्पाई संचलन की प्रतिबंधित रेंज से जोड़ा जाता हैल या जब यह एक आबद्ध पैथालॉजिकल कारण से होता है। जब स्कोलियोसिस का पता चलता है तब स्पाइन के उपर्युक्त भाग की रेडियोग्राफी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) **स्पाइन बिफिडा**- क्लीनिकल जांच करने पर निम्नलिखित मार्करों पर विचार करना चाहिए और रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन से संबद्ध करना चाहिएः-

(i) स्पाइन के ऊपर कॉनजेविटल कमियां जैसे हाइपरट्राइकोसिस त्वचा के रंग में हल्केपन, हिमेनजिओमा, पिग्मेन्टिड नेवस या डर्मल साइनस।

(ii) स्पाईन पर लिपोमा की मौजूदगी।

(iii) पैलपेबल स्पाइना बिफिडा।

(iv) न्यूरोलौजिकल जांच पर असामान्य निष्कर्ष।

4. **रेडियोग्राफ स्पाइन**- फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए सर्वाइकल थोरेसिस और लुम्बोसैकरल स्पाइन कू रेडियोग्राफी (ए पी और लेटरल पक्ष) किया जाना है। ग्राउंड ड्यूटीज़ के लिए स्पाइन की रेडियोग्राफिक जांच की जाए यदि चिकित्सा अधिकारी/ विशेषज्ञ ऐसा आवश्यक समझें।

5. **एयर फोर्स ड्यूटीज़ (फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी दोनों) के लिए स्पाइन परिस्थितियां अनफिटः-**

(क) **कॉनजेनैटिल/विकासात्मक कमियां**

(i) वेज वर्टिबा

(ii) हेमिवर्टिबा

(iii) एन्टीरीयर सेट्ल डिफेक्ट

(iv) सर्वाइकल रिब्स (एक पार्श्वी/द्वि पार्श्वी) डेमोन्स्ट्रेबल न्यूरोलॉजिकल या सर्कुलेटरीडाफिसिट सहित

(v) स्पाइन बिफिडाः- सेक्रम और एल वी 5 को छोड़कर (यदि पूर्णतः सैक्रेलाइज़्ड है)सभी अनफिट हैं।

(vi) सर्वाइकल लोर्डोसिस की कमी जब सर्वाइकल स्पाइन की क्लीनिकली प्रतिबंधित संचलन किया जाता है। (vii) स्कोलियोसिसः-

(क क) 15 डिग्री से अधिक लुंबर स्कोलियोसिस

(क ख) 20 डिग्री से अधिक थोरेसिक स्कोलियोसिस (क ग) 20 डिग्री से अधिक थोरेसो-लुंबर स्कोलियोसिस

(viii) एटलांटो ओसीपिटल और एटलांटो एक्शियल विसंगतियां।

(ix) ग्रीवा, पृष्ठीय या काठ की रीढ़ मे किसी भी स्तर पर अपूर्ण ब्लॉक (जुड़े) केशेरूक।

(x) ग्रीवा, पृष्ठीय या काठ की रीढ़ मे किसी भी स्तर पर पूर्ण ब्लॉक (जुड़े) केशेरूक।(एकल स्तर स्वीकार्य है। ए एफ एं एस एफ-2 में व्याख्या की जाएगी)।

(xi) एकतरफा सैक्रलाइजेशन या लम्बराइजेशन (पूर्ण या अपूर्ण) और बायलेट्ल अधूरा सैक्रलाइजेशन या लाम्बराइजेशन(एल एस टी वी- कास्टेवली टाइप II(ए) और (बी), III ए और IV) (कास्टेलवी टाइप III बी और टाइप I ए और बी स्वीकार्य है (ए एफ एं एस एफ-2 में व्याख्या की जाएगी)।

(ख) <u>**दर्दनाक स्थितियां**</u>

(i) स्पौंडिलोलिसिस/ स्पौंडिलोलिस्थीसिस

(ii) केशेरूकाओं का संपीड़ित होकर टूटना

(iii) केशेरूकाओं की भीतरी डिस्क का आगे खिसकना

(iv) श्मोरल नोड्स एक से एधिक स्तर पर

(ग) **<u>संक्रामक</u>**

(i) तपेदिक और रीढ़ की अन्य ग्रेनुलोमेटस बीमारी(पूरानी या सक्रिय)

(ii) संक्रामक स्पॉन्डिलाइटिस

(घ) **<u>स्व प्रतिरक्षक</u>**

(i) संधिशोध और संबद्ध विकार

(ii) ऑक्यलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस

(iii) रीढ़ की अन्य संधिशोध संबंधी विकार जैसे पॉलीमायोसिटिस, एस एल ई. और वास्कुलिटिस।

(च) **<u>अपक्षीय</u>**

(i) स्पौंडिलोसिस

(ii) अपक्षीय जोड़ के विकार

(iii) अपकर्षक कुंडल (डिस्क) रोग

(iv) ऑस्टियोआर्थोसिस/ ऑस्टियोआर्थराइटिस

(v) श्यूरमेन की बिमारी (किशोरावस्था काइफोसिस)

(छ) **अन्य कोई रीढ़ की हड्डी की असामान्यता. यदि विशेषज्ञ द्वारा ऐसा माना जाता है।**

<u>ऊपरी अंगो के आकलन को प्रभावित करने वाली शर्ते</u>

7. ऊपरी अंगो या उनके अंगो की विकृति अस्वीकृति का कारण होगी। जिन उम्मीदवारों के अंगों में विच्छेदन होगा उनको प्रवेश के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि दोनों उंगली के टर्मिनल फालानक्स का विच्छेदन स्वीकार्य है।

8. **<u>ठीक हुए फ्रैक्चर</u>**

(क) निम्नलिखित स्थितियों में, ऊपरी अंग के ठीक किए गए फ्रैक्चर स्वीकार्य नही हैः(i) आर्टिकुलर सतहों से जुड़े फ्रैक्चर

(ii) न्यूरो वैस्कुलर डेफिसिट से जुड़े फ्रैक्चर

(iii) खराब फ्रैक्चर

(iv) फ्रैक्चर के कारण कार्य की हानि

(v) फ्रैक्चर के साथ फ्रैक्चर इन सी टू प्रत्यारोपण

(ख) ऊपरी अंग का फ्रैकक्चर, चोट के 06 महीने बाद दिखाना, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा मूल्यांकन के बाद स्वीकार्य है।

9. **<u>उंगलियां और हाथ</u>** - सिंडैक्टली और पॉलिडेक्टली को अनफिट के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा, सिवाए इसके कि जब पॉलीडेक्टली को एक्साइज किया जाता है। विकृतियों और मूवमेंट की सीमा को अनुपयुक्त माना जाएगा।

10. **<u>कलाई</u>** - कलाई को हिलाने की डिग्री की कठोरता के अनुसार उसकी सीमा का दर्द रहित आंकलन किया जाएगा। पालमर फ्लेक्सन के नुकसान की तुलना मे डोरसिफ्लेक्सियन का नुकसान अधिक गंभीर है।

11. **<u>कोहनी</u>** - गति/चालन की थोड़ी सी सीमा स्वीकृति को नहीं रोकती है बशर्ते कार्यात्मक क्षमता पर्याप्त हो, एंकिलोसिस अस्वीकृति की आवश्यकता होगी।क्यूबिटिस वाल्गस को तब उपस्थित होना कहा जाता है जब वहन कोण (शारीरिक मुद्रा में हाथ और अग्रभाग के बीच का कोण) अतिरंजित होता है। कार्यात्मक अक्षमता के अभाव में और स्पष्ट कारण जैसे फ्रैक्चर

मैल यूनियन, फाइब्रोसिस या इसी तरह पुरुष उम्मीदवारों मे 15 डिग्री और महिला उम्मीदवारों में 18 डिग्री तक का ले जाने वाला कोण फिट माना जाएगा।

12. डिग्री > से ज्यअदा का क्यूबिटस वारस अनफिट माना जाएगा।

13. **<u>कंधे का करधनी</u>** - कंधे का बार बार विस्थापन हो चुका होना भले ही सुधारात्मक सर्जरी की गई हो या ना हो अनफिट माना जाएगा।

14. **<u>क्लैविकल/हेमली</u>** - गैर-संघ क्लैविकल के पुराने फ्रैक्चर को अस्वीकार कर देगा। कार्यक्षमता के नुकसान के बिना और स्पष्ट विकृति के बिना मूल संयुक्त क्लैविकल फ्रैक्चर स्वीकार्य हैं। **<u>निचले अंगो के आकलन को प्रभावित करने वाली शर्ते</u>**

15. 20^0 > से ज्यअदा कोण वाला हॉलक्स वाल्गस और 10^0 से ज्यअदा का पहला सेकण्ड मेटाटार्सल कोण अनुक्युक्त है। गोखरु, कॉर्न्स या कॉलोसिटी के साथ किसी भी डिग्री का हॉलक्स वाल्गस अनुपयुक्त है।

16. हॉलक्स रिगिडस सेल के लिए अनुपयुक्त है।

17. बिना लक्षण वाले एकल लचीले हल्के हथौड़ा पैर के अंगूठे को स्वीकार किया जा सकता है। मेटटारसों फैलेजियल जोड़ (पंजे की विकृति) पर कॉर्न्स, कॉलोसिटीग मैलेट-रो या हाइपरटेंशन से जुड़ी फिक्स्ड (कठोर) विकृति या हथौड़ा पैर की अंगुली को खारिज कर दिया जाएगा।

18. पैरों के अंगुलियों की संख्या/उंगली का न होना अस्वीकृति को दर्शाता है।

19. आसन्न अंको के साथ हड्डी निरंतरता होने पर अतिरिक्त अंगुलियों की संख्या का होना अस्वीकार कर दिए जाएंगे। सिंड्क्टअलि अमन्य होग़ी.

20. **<u>पेस प्लानस (फ्लैट फीट)</u>**

(क) यदि पैर की उंगलियों पर खड़े होने पर पैरों के मेहराव फिर से दिखाई देते हैं, यदि उम्मादवार पैर की उंगलियों पर अच्छी तरह से दौड़ सकता है और यदि पैर कोमल, चालू और दर्द रहित है, तो उम्मीदवार स्वीकार्य है।

(ख) कठोर या स्थिर फ्लैट पैर, प्लेनोवालगस के साथ. एड़ी का उलटा होना, पैर की उंगलियों पर खुद को वर्सल जोड़ो में लगातार दर्द, तालु के सिरे का दिखना अयोग्य/अनफिट माना जाएगा। पैर की गतिविधियों का प्रतिबंधित होना भी अस्वीकृति का कारण होगा। पैर की कठोरता चाहे पैर का आकार कुछ भी हो अस्वीकार का कारण होगा।

21. **<u>पेस कैवस और टैलिप्स (क्लब फुट)</u>** -बिना किसी सीमा के इडियोपैठीक पेस कैवस की हल्की कार्यालक डिग्री स्वीकार्य है, जैविक रोग के कारण मध्यम और गंभीर पेस कैवस औ पेस कैवस को अस्वीकार कर दिया जाएगा। टैलिप्स (क्लब फुट) के सभी मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

22. 22. **<u>टखने के जोड़</u>** -पिछली चोटों के बाद गतिविधि की कोई महत्वपूर्ण सीमा स्वीकार नही की जाएगी। जहां भी आवश्यकता हो इमेजिंग के साथ कार्यात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिय।

23. **<u>घुटने का जोड</u>** - किसी भी लिगामेंट शिथिलता को स्वीकार नही किया जाएगा, जिन उम्मादवारों की ए सी एल पुननिर्माण सर्जरी हुई है उन्हें अनफिट माना जाएगा।

24. जेनु वल्गम (घुटने में घुटने) के बीच की दूरी पुरूषों में > 5 से.मी. और महिलाओं में > 8 से.मी. अनुपयुक्त होगी।

25. जेनु वरूम (धनुष टांगे) इंटरकॉन्डाइलर दूरी > 7 से.मी. अनुपयुक्त माना जाएगा।

26. **<u>जेनु रिकर्वटम</u>** - यदि घुटने का टाइपरटेंशन 10 डिग्री के भीतर है और कोई अन्य विकृति नही है तो उम्मादवार को फिट के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

27. कूल्हे जोड़ के सही घाव या गठिया के शुरूआती लक्षण को अस्वीकृत माना जाएगा।

28. **<u>बाह्य संवहन प्रणाली</u>**

(क) <u>वेरिकोज़ शिरा</u> सक्रिय वेरिकोज़ शिराओं वाले सभी मामलों को अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा। ऑपरेशन के पश्चात वेरिकोज शिराओं के मामले भी अनुपयुक्त रहेंगे।

(ख) <u>धमनीय प्रणाली</u> धमनियों और रक्तवाहिकाओं जैसे ऐन्युरिज्म, धमनी-शोध और बाह्य धमनीय रोग की वर्तमान या प्राचीन अपसामान्यताओं को अनुप्रयुक्त माना जाएगा।

(ग) <u>लिम्फोइडेमा</u> पुरानी/वर्तमान बीमारी का इतिहास प्रवेशार्थी को अनुपयुक्त बनाता है।

<u>केंद्रीय स्नायु तंत्र</u>

1. मानसिक बीमारी/मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित इतिहास वाले अभ्यर्थी को विस्तृत जांच और मनोविकार संबंधी अभिनिर्देश की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों को आमतौर पर रद्द कर देना चाहिए। प्रायः अधिकतम इतिहास स्वतः उद्धृत नहीं होता है। परीक्षक सीधे प्रश्न करके इतिहास जानने का प्रयास कर सकता है, जो उपयोगी हो भी सकता है और नहीं भी। हर परीक्षक को मोटे तौर पर अभ्यर्थी के व्यक्तित्व का सामान्य अंकन करना चाहिए और हो सके तो उस व्यक्ति की कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों में स्थिरता और सामान्य प्रतिक्रियाओं का पता करना चाहिए। पारिवारिक इतिहास और औषधिकरण
इस्तेमाल करने से पूर्व का इतिहास भी प्रासंगिक होता है।

2. अनिद्रा, भय, दुःस्वप्नों का इतिहास या बार-बार नींद में चलना या बिस्तर गीला करना, जब इनकी पुनरावर्ती होती है या ये बने रहते हैं तो ये निष्कासन का कारण होंगे।

3. बार-बार सिरदर्द के सामान्य प्रकार वे हैं जिनका कारण पुरानी सिर की चोट या माइग्रेन होता है। कभी-कभी सिरदर्द के अन्य रूपों को उनके संभावित कारणों से संबंधित माना जा सकता है। माइग्रेन वाले अभ्यर्थी जिसे इतना गंभीर माइग्रेन हो कि उसे डॉक्टर से परामर्श

लेना पड़े, तो सामान्यतः यह उसके निष्कासन का कारण हो सकता है। यहां तक कि दृश्यात्मक असंतुलन वाले माइग्रेन का एक आघात या अधकपारी या मिरगी अनुपयुक्त बना देती है।

4. अभ्यर्थी को मिरगी आने का इतिहास निष्कासन का एक कारण है। पांच वर्ष की उम्र के बाद मरोड़/दौरा भी निष्कासन का कारण है। बचपन में आनेवाले मरोड़ अनिष्ट कारक नहीं हो सकते बशर्ते ऐसा प्रतीत हो कि वे ज्वर वाले मरोड़ थे और किसी खुली तंत्रिकीय कमी से संबंधित नहीं थे। मिरगी के कारणों में आनुवांशिक कारक, अभिघातज मस्तिष्क चोट, आघात, संक्रमण, डीमाइएलिनोटिंग और डीजनरेटिव बीमारियां, जन्म से ही मिली कमियां, उपादान दुरूपयोग और प्रत्याहार अभिग्रहण शामिल हैं। पूछताछ केवल मुख्य रूप से होने वाले आघातों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अभिग्रहण इन रूपों में आ सकते हैं – "बेहोशी" और इस तरह "बेहोशी" की आवृत्ति और उसकी आनेवाली परिस्थितियों का पता चल जाता है। ऐसे आघात अस्वस्थ बना देंगे, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी लगे। एक वियुक्त बेहोशी का आघात होने पर मूर्च्छा (बेहोशी) और अभिग्रहण के बीच के अंतर को जानने के लिए सभी विद्‌यमान कारकों का पता करना होता है उदा. स्कूल में बेहोश होना आम घटना है और इसका महत्व कम होता है। जटिल आंगिक अभिग्रहण जो काथिक गतिविधि के रूप में दिखते हैं जैसे होंठ चुंबन, चबाना, घूरना, स्तब्ध दिखना और अनुक्रियाहीन अवधि अभ्यर्थी को अनुपयुक्त बनाने वाले मानदंड हैं।

5. बार-बार ऊष्मघात, अतिज्वर या ऊष्मा रेजन का इतिहास वायु सेना ड्‌यूटियों की नियुक्ति का रोध करती है, चूंकि इसमें त्रुटिपूर्ण ऊष्म विनियमन तंत्र के लक्षण होते हैं। ऊष्मा प्रभावों का एक गंभीर आघात, बशर्ते उसके दिखने का इतिहास गंभीर था और कोई स्थायी रोगोत्तर लक्ष्य थे, अपने आप में अभ्यर्थी को निष्कासित करने का कारण नहीं है।

6. सिर की गंभीर चोट का इतिहास निष्कासन का एक कारण है। सिर की चोट के अन्य रोगोत्तर लक्षण जैसे पश्च-कोनकसन सिंड्रोम, फोकल न्यूरोलॉजिकल कमी और पश्च ट्रैमैटिक मिरगी पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो सिरदर्द, चक्कर आना, अनिद्रा, बेचैनी, उत्तेजना, एकाग्रता की कमी और ध्यान में कमी जैसे व्यक्तिपरक लक्षणों से संबंधित हो सते हैं। पश्च ट्रैमैटिक न्यूरो साइकोलॉजिकल रोग भी हो सकता है जिसमें एकाग्रता की कमी, सूचना प्रोसेसिंग गति, मानसिक लचीलापन और फ्रंटल लोब एग्जिमक्यूटिव क्रियाएं और मनोसामाजिक क्रियाएं शामिल है। साइकोमैट्री सहित, न्यूरोसाइकोलॉजिकल जांच में इन पहलुओं का आकलन किया जा सकता है। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि रोगोत्तर लक्षण काफी समय के लिए रह सकते हैं और स्थायी भी हो सकते हैं। खोपड़ी का टूटना निष्कासन का एक कारण होने के लिए आवश्यक नहीं जब तक उससे संबंधित इंट्राक्रेनियल क्षति या किसी रेसिडुयल बोनी कमी का इतिहास न हो। जब गंभीर चोट या संबंधित आक्षेपी आघात का इतिहास होता है, एक इलैक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निकाला जाए जो सामान्य होना चाहिए। बर छिद्रों की मौजूदगी उड़ान ड्‌यूटियों के लिए अनुपयुक्तता का कारण होगी, परंतु ग्राउंड ड्‌यूटियों के लिए नहीं। हर मामले को व्यक्ति की योग्यता के अनुसार निर्णय किया जाता है। स्वीकृति से पहले न्युरोसर्जन और मनोचिकित्सक का विचार (सलाह) अवश्य लिया जाए।

7. जब नर्वस ब्रेकडाउन, मानसिक विकार या किसी निकट संबंधी की आत्महत्या का इतिहास मिलता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत पिछले इतिहास से एक ध्यानपूर्वक जांच प्राप्त करनी होती है। व्यक्तिगत इतिहास में न्यूनतम मनोवैज्ञानिक स्थिरता का कोई भी साक्ष्य या मौजूदा स्थिति से निष्कासन हो जाएगा और अभ्यर्थी को आगे के मूल्यांकन के लिए मनोचिकित्सक के पास भेज दिया जाए।

8. यदि मिरगी के पारिवारिक इतिहास वाले को भर्ती किया जाता है, उसके प्रकार को जानने का प्रयास किया जाए, जब किसी निकट (प्रथम श्रेणी) संबंधी के साथ घटना हुई हो, अभ्यर्थी को लिया जा सकता है, यदि उसके साथ ध्यानभंग, न्यूरोलॉजिकल कमी या उच्चतर मानसिक क्रियाओं का कोई इतिहास न हो और उसका इलैक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम पूर्णतः सामान्य है।

9. भावात्मक स्थिरता के मूल्यांकन में परिवार और व्यक्ति का इतिहास, बच्चे के रूप में बेकार की भावप्रणवता होने के कारण तनाव के अन्तगर्त भावनात्मक अस्थिरता का कोई चिह्न या कोई पिछली तंत्रिकीय बीमारी या ब्रेकडाउन शामिल है। परीक्षा के दौरान हकलाना, टिक, नाखून काटना, अत्यधिक हाइपर हाइड्रोसिस या बेचैनी भावनात्मक अस्थिरता की सूचक हो सकती है और अयोग्य बना सकती है।

10. साइकोसिस के गुजर रहे सभी अभ्यर्थियों को निष्कासित किया जाएगा। ड्रग निर्भरता किसी भी रूप में निष्कासन का कारण होगी।

11. **साइको न्यूरोसिस** मानसिक रूप से अस्थिर और न्यूरोटिक व्यक्ति कमीशनींग के लिए अयोग्य होते हैं। किशोर और वयस्क अपराध, नर्वस ब्रेक डाउन या क्रोनिक इल-हेल्थ का इतिहास निष्कासन का कारण है। उदास बचपन, गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि, ट्रूएंसी, किशोर और वयस्क अपराध, गरीब रोजगार और सामाजिक कुव्यवस्था रिकॉर्ड, नर्वस ब्रेकडाउन या क्रोनिक इल-हेल्थ का इतिहास विशेषतः यदि भूत काल में इनमें हस्तक्षेप हुआ हो।

12. कोई प्रत्यक्ष न्यूरोलॉजिकल कमी निष्कासन का कारण होगी।

13. ट्रेमर्स इनरवेटेड मांसपेशी समूहों के आदान-प्रदान की आवर्ती ऑसिलेटरी गतिविधियां हैं। दो श्रेणियां मान्य हैं : सामान्य या फिजियोलॉजिक और अपसामान्य या पैथोलॉजिक। सभी संकुचित मांस पेशी समूहों में हलका कंपन होता है। जागृत दशा में यह होता है। 8 से 13 हर्टस के बीच में गतिविधि सही है। रोगजनक कंपन (पैथोलॉजिक) स्थूल रूप से (कोर्स) 4 से 7 हर्टस् के बीच में होता है एवं सामान्य रूप से अवयव (अंगों) के दूरस्थ (दूरवर्ती) भागों को प्रभावित करता है। समग्र रूप से कंपन सामान्य से ज्यादा सक्रिय शारीरिक कारणों की वजह से होता हैं जहाँ, उसी बारंबारता में, कंपन की तीव्रता विस्तृत रूप से बढ़ती है एवं हाथों एवं उंगलियों के फैलाने के द्वारा दिखती जाती है। अत्यधिक डर, क्रोध, चिंता, अत्यधिक शारीरिक थकान, मटोबालिक परेशानी जिसमें हाइपरथाइराइडिज्म शामिल हैं, शराब का प्रत्याहार और लीथियम के जहरीले प्रभाव, धूम्रपान (निकोटिन) एवं चाय, काफी का अत्याधिक उपभोग का अवस्था में ट्रेमर (कंपकंपी) होते हैं। कोअर्स ट्रेमर्स के अन्य कारक पार्किसनिज्म, सेरेबेलर (इंटेंशन) ट्रेमर, अपरिहार्य (पारिवारिक) ट्रेमर, न्यूरोपैथी के ट्रेमर्स एवं मुद्रा विषयक (पास्च्यूरल) या ऐक्शन ट्रेमर्स हैं।

14. हकलाने वाले अभ्यर्थी वायुसेना ड्यूटीज में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संदेहास्पद मामलों में ईएनटी विशेषज्ञ, स्पीच थेरेपिस्ट, मनोविज्ञानी/मनोरोग विज्ञानी द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया मूल्यांकन प्राप्त किया जा सकता है।

15. **बेसल इलेक्ट्रोइनसि फैलोग्राम (ईईजी)** केवल वे अभ्यर्थी जो एयर क्रू ड्यूटीज के लिए हैं उनका ही ईईजी रिकॉर्ड किया जाएगा यदि परिवास में एपिलेप्सी हो, विगत में सर पर चोट लगा हो एवं / या कोई भी अन्य शारीरिक या तंत्रिक संबंधी (न्यूरोलॉजिकल) असामानायता (अब्नॉरमॉलिटी) पाई जाती है। इन मामलों पर ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है। अन्य अभ्यर्थियों के मामले में भी, ईईजी करवाया जा सकता है यदि चिकिसा परीक्षक द्वारा यह सूचित या आवश्यक बताया जाता है। जिन अभ्यर्थियों के विश्राम अवस्था में किए गए ईईजी या चुनौतिपूर्ण अवस्था में किए गए ईईजी में असामान्यता पाई जाएगी, वे एयर क्रू ड्युटीज के लिए अस्वीकार माने जाएंगे :-

(क) बैकग्राउंड ऐक्टिविटी ऐम्प्लीट्यूड में बैक ग्राउंड ऐक्टिविटी की तरफ बढ़ती स्लो वेव्स का फोकल रन एवं 2.3 Hz/सामान्य से अधिक की फोकल, अत्याधिक एवं उच्च ऐम्पलीट्यूड बीटी ऐक्टिविटी/हेमीस्फेरिकल एसेमेट्री

(ख) **<u>हाइपरवेंटिलेशन</u>** पैराक्जमल स्पाइस एवं स्लो वेव्स/स्पाइक्स फोकल स्पाइक्स पैटर्न

(ग) **<u>फोटो उद्दीपन</u>** बाय लेटरली साइनेक्रोनस या फोकल पेरोक्जाइमल स्पाइक्स और पोस्ट फोटिक उद्दीपन अवधि/निरूद्ध में निरंतर धीमी गति से तरंगों का प्रवाह या हेमिस्फेयर के ऊपर तेज प्रतिक्रिया

16. अविशिष्ट ईईजी अपसामान्यता को न्यूरोसाइक्यारिस्ट /न्यूरोफीजिसीयन से प्राप्त सुझाव के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। ईईजी के निष्कर्षों को एएफएमएसएफ-2 में प्रविष्ट किया जाएगा।

17. **<u>कान, नाक तथा गला</u>**

1. **<u>इतिहास (पृष्ठभूमि)</u>** - ओटोरिया, श्रवण शक्ति में कमी (हियरिंग लॉस), मोशन सिकनेस सहित वर्टिगो (चक्कर आना), टिनिटस इत्यादि से संबंधित कोई भी इतिहास होने पर बाहर कर दिया जाएगा।

2. **<u>नाक तथा पैरा-नेजल साइनस</u>** – निम्नलिखित अस्वीकार किए जाने के कारण हैं:-

(क) नाक की बाह्य विकृति के कारण कास्मेटिक विकृति को अस्वीकार किया जा सकता है यदि यह मिलिट्री बियरिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तथापि, डोरसम तथा नाक की नोक की मामूली विकृति के कारण अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ख) मार्कड सेपटल डेविएसन के कारण उन्मुक्त रूप से श्वास लेने में आने वाली परेशानी अस्वीकार किए जाने का कारण है। पर्याप्त रूप से श्वास लेने के लिए शेष बचे हुए मध्यम विसामान्यता को ठीक करने वाली सर्जरी को स्वीकार किया जाएगा।

(ग) नाक के पर्दे में छिद्र (सेप्टल परफोरेसन) स्वीकार्य नहीं है। तथापि, ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा पूर्वकालीन बिना किसी लक्षण वाला नाक के पर्दे में छिद्र (सेप्टल परफोरेशन) स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते पुरानी ग्रैनुलोमेटस बीमारियों को ठीक किया गया हो तथा नाक का चिपचिपा तरल (म्यूकस) स्वस्थ हो।

(घ) एट्रोफीक राइनाइट्स अस्वीकृति का कारण होगा।

(च) एलर्जिक राइनाइट्स/वैसोमोटर राइनाइट्स दर्शाने वाला कोई इतिहास/चिकित्सीय प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

(छ) पैरा-नेजल साइनस का कोई भी संक्रमण अयोग्य (अनफिट) घोषित किया जाएगा। ऐसे मामलों को सफल इलाज के बाद अपील चिकित्सा बोर्ड में स्वीकार किया जा सकता है।

(ज) वर्तमान नेजल पोलीपोजीज अस्वीकृति का एक कारण होगा। तथापि, ऐसे मामलों को एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के बाद स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते बीमारी पूर्णतया ठीक हो गई हो, चिपचिपा तरल (म्यूकोसा) स्वस्थ हो तथा हिस्टोपैथोलॉजी ठीक तथा कवक रहित हो। यह मूल्यांकन सर्जरी के कम से कम 4 सप्ताह बाद किया जाएगा।

3. **<u>ओरल केविटि</u>**

(क) <u>अयोग्य (अनफिट)</u>

(i) ल्यूकोप्लेकिया, इरिथरोप्लेकिया, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, अंकाइलोग्लोसिया तथा ओरल कारसीनोमा के वर्तमान/ऑपरेटिड मामले।

(ii) वर्तमान समय में मुंह के छाले (ओरल अल्सर)/ग्रोथ तथा म्यूकस रिटेंशन सिस्ट।

(iii) किसी भी कारण से ट्रिसमस।

(iv) कलेफ्ट पालेट, सर्जरी होने के बाद भी अस्वीकृति का कारण होगा।

(ख) <u>योग्य (फिट)</u>

(i) पूरी तरह से ठीक हो चुके मुंह के छाले (ओरल अल्सर)।

(ii) बिना किसी पुनरावृति तथा अच्छी प्रकार से सिद्ध हिस्टोलॉजी के साथ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट के ऑपरेटिड मामले।

(iii) यूस्टेशियन ट्यूब को क्षति नहीं पहुंचाने वाले पैलेट के सब-म्यूकस क्लेफ्ट को बिफिड युवुला के साथ अथवा उसके बिना ई एन टी विशेषज्ञ स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते कि पी टी ए, टिम्पेनोमेट्री और वाक् सामान्य हो।

4. **<u>फैरिन्क्स और लैरिंक्स</u>**:- अस्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगीः

(क) फैरिन्क्स का कोई अलसरेटिव > बृहत क्षति

(ख) जिन अभ्यर्थियों में टॉन्सिलेक्टोमी दिखाई देता है, इस तरह के अभ्यर्थियों को सफल सर्जरी के न्यूनतम 02 सप्ताह बाद स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते कि कोई जटिलता न हो तथा हिस्टोलॉजी सुसाध्य हो।

(ग) क्लेफ्ट पैलेट

(घ) फैरिन्क्स और लैरिंक्स में किसी प्रकार की खराब स्थिति होने पर स्थायी स्वर-भंग या दुःस्वरता हो जाती है।

(च) क्रोनिक लैरिन्जाइटिस, वोकल कॉर्ड पाल्सी, लैरिंगियल पॉलिप्स और ग्रोथ।

5. यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन की रूकावट या अपर्याप्तता अस्वीकृति का कारण होगी। इन-सर्विस अभ्यर्थियों को स्वीकृति देने से पहले एल्टीट्यूड चैंबर ईयर क्लियरेंस टेस्ट किया जाएगा।

6. टिनिटस की उपस्थिति होने पर इसकी अवधि, स्थानीयकरण गंभीरता और संभावित कारण की जांच की आवश्यकता होती है। लगातार टिनिटस अस्वीकृति का एक कारण है, क्योंकि यह शोर के संपर्क में आने से बदतर हो जाता है और ओटोस्क्लेरोसिस और मेनियर की बीमारी का प्रारंभिक लक्षण साबित हो सकता है।

7. मोशन सिकनेस के लिए किसी भी संवेदनशीलता के लिए विशिष्ट जांच की जानी चाहिए। इस आशय की पुष्टि ए एफ एम एस एफ-2 में किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों का पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और अगर मोशन सिकनेस के लिए अतिसंवेदनशील पाए जाते हैं, तो उन्हें उड़ान ड्यूटी के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी कारण से परिधीय वेस्टिबुलर शिथिलता का कोई भी प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

8. जिस अभ्यर्थी को पूर्व में चक्कर आते रहे हैं, उनकी पूरी जांच की जानी चाहिए।

9. **कम सुनाई देना**-निम्नलिखित स्वीकार्य नहीं हैं –

(क) सी वी/एफ डब्ल्यू में 600 सेमी से कम किसी प्रकार की कमी।

(ख) जहां भी पी टी ए का निर्दिष्ट होता है और थ्रेसहोल्ड प्राप्त किया जाता है, 250 से 8000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों में 20 डी बी से अधिक ऑडियोमेट्रिक की कमी होती है।

(ग) फ्री फील्ड हियरिंग में कमी अस्वीकृति का एक कारण है।

नोट- ऑडियोग्राम का मूल्यांकन करने में, ऑडियोमीटर की बेसलाइन शून्य और पर्यावरणीय शोर की स्थिति जिसके तहत ऑडियोग्राम प्राप्त किया गया है, को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक ई एन टी विशेषज्ञ की सिफारिश पर, 30 डी बी तक एक पृथक हियरिंग लॉस को माफ किया जा सकता है, बशर्ते कि ई एन टी की जांच अन्यथा सामान्य हो।

10. **कान** – एक रेडिकल/संशोधित रेडिकल मास्टोइडेक्टोमी अस्वीकृति में शामिल है, भले ही यह पूरी तरह से एपीथियेलियेलाइज हो और अच्छी हियरिंग (श्रवण क्षमता) बनी हुई हो। पूर्व में टैम्पेनिक झिल्ली बनाए रखने के साथ कार्टिकल मास्टोइडेक्टोमी के मामले में, सामान्य श्रवण और बीमारी नहीं होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर उसे स्वीकृत किया जाएगा।

11. **बाहरी कान**- बाह्य कान के निम्नलिखित दोषों को अयोग्य (अनफिट) घोषित किय़ा जाना चाहिएः

(क) पिन्ना की सकल विकृति जो वर्दी/व्यक्तिगत किट/सुरक्षात्मक उपकरण पहनने में बाधा उत्पन्न कर सकती है, अथवा जो सैन्य आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

(ख)क्रॉनिक ओटिसिस एक्सटर्ना के मामले।

(ग) ईयर ड्रम की उचित जांच को रोकने वाला एक्सोस्टोस, एट्रीसा/ई ए एम या नियोप्लाज्म का संकुचन।

(घ) कैनल की बहुत अधिक पीड़ा, टैम्पेनिक झिल्ली के एन्टीरियर दृश्य को हटाना अस्वीकृति का कारण होगा।

(च) बाहरी ऑडिटरी कैनल में ग्रेनुलेशन या पॉलीप।

12. **मध्य कानः**- मध्य कान की निम्नलिखित स्थितियों को अस्वीकृति का कारण माना जाएगाः-

(क) किसी भी प्रकार का वर्तमान ओटिटिस मीडिया।

(ख) ऐटिक, सेंट्रल या मार्जिनल छिद्र

(ग) टिम्पेनोस्क्लेरोसिस या स्कारिंग प्रभावित करने वाला > टी एम के पार्स टेन्सा का 50% हिस्सा अनफिट होता है, भले ही पी टी ए और टिम्पेनोमेट्री सामान्य हो। टी एम के टायम्पानोस्क्लेरोसिस के रूप में हील्ड क्रोनिक ओटिसिस मीडिया के साक्ष्य अथवा स्कारिंग को प्रभावित करने वाला < टी एम के पार्स टेंसा के 50% की जांच ई एन टी विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा और पी टी ए और टाइम्पेनोमेट्री सामान्य होने पर स्वीकार्य होगा। वायुकर्मी, ए टी सी/एफ सी, पनडुब्बी/गोताखोरों के लिए, संकेत दिए जाने पर, डी कम्प्रेशन चैम्बर का परीक्षण किया जा सकता है।

(घ) पुराने ओटिटिस मीडिया के मामले में कोई रेसीड्यूल छिद्रण।

(च) न्यूमैटिक ऑटोस्कोपी पर टी एम गतिशीलता में मार्क्ड रिट्रैक्शन या प्रतिबंध।

(छ) फोर्स्ड व्हिस्पर जांच में किसी प्रकार का हियरिंग इम्पेयरमेंट।

(ज) डिरेंज्ड प्योर टोन (विक्षिप्त शुद्ध स्वर) ऑडियोमेट्री थ्रेसहोल्ड।

(झ) टाईप ए टायम्पेनोग्राम के अलावा अन्य पैटर्न दिखाने वाली टाइम्पेनोमेट्री।

(ट) कोई भी प्रत्यारोपित किया गया हियरिंग डिवाइस, जैसे- कोक्लिअर इम्प्लांट, बोन एंकर्ड हियरिंग ऐड आदि।

(ठ) मध्य कान की सर्जरी के बाद जैसे- स्टेपेडेक्टोमी, ऑसिकुलोप्लास्टी, किसी भी प्रकार की
(के) कैनाल-वॉल डाउन मास्टोइडेक्टोमी।

नोटः- क्रोनिक ओटिटिस मीडिया (म्यूकोसल टाइप) और मायरिंगोटॉमी (इफ्यूजन के साथ ओटिटिस मीडिया के लिए) के लिए टाइप 1 टाइम्पेनोप्लास्टी (कार्टिकल मास्टोइडेक्टोमी के साथ या बिना) के कारण नियो-टाम्पैनिक झिल्ली के < 50% से जुड़े स्वस्थ निशान (हील्ड हेल्दी स्कार्स) को स्वीकार किया जा सकता है, यदि पी टी ए, टाइम्पेनोप्लास्टी सामान्य है। ऑपरेट किए गए मामलों का मूल्यांकन न्यूनतम 12 सप्ताह के बाद ही किया जाएगा। एयरक्रू, ए टी सी/एफ सी, पनडुब्बी/गोताखोरों के लिए, संकेत किए जाने पर डीकंप्रेशन चैंबर में एक परीक्षण किया जा सकता है।

13. **कान की विभिन्न स्थितियां**- कान की निम्नलिखित स्थितियों के होने पर अस्वीकृत किया जाएगाः-

(क) ओटोस्क्लेरोसिस

(ख) मेनियर की बीमारी

(ग) वेस्टिबुलर रोग जिसमें वेस्टिबुलर मूल का निस्टागमस शामिल है।

(घ) कान के संक्रमण के बाद बेल का पक्षाघात।

<u>नेत्र प्रणाली</u>

1. दृष्टि दोष और चिकित्सा नेत्र संबंधी स्थितियां उड़ान ड्यूटी के लिए अस्वीकार किए जाने के प्रमुख कारणों में से है। इसलिए, विशेष रूप से उड़ान ड्यूटी वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक संपूर्ण और सटीक नेत्र परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।

2. **<u>व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास तथा बाहरी जांच</u>**

(1) भेंगापन और अन्य कारणों से चश्मे की आवश्यकता अक्सर वंशानुगत होती है और पारिवारिक इतिहास से अपेक्षित कमी की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। जो अभ्यर्थी चश्मा पहनते हैं या जिनकी दृष्टि दोषपूर्ण पाई गई है, उनकी उचित जांच की जानी चाहिए। भेंगापन के सभी मामलों को एम ओ की भर्ती और विशेषज्ञों द्वारा कर अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। दिखाई देने/नज़र आने वाले भेंगापन वाले व्यक्ति कमीशन के लिए स्वीकार्य नहीं होते हैं। फिर भी, छोटे क्षैतिज गुप्त भेंगापन/फोरिया जैसे एक्सोफोरिया/ एसोफोरिया को विशेषज्ञ द्वारा ग्रेड III बी एस वी के साथ फिट माना जा सकता है। हाइपरफोरिया या हाइपोफोरिया या साइक्लोफोरिया को अनफिट माना जाएगा।

(2) छह महीने की अवधि के लिए सर्जिकल सुधार सफल रहने तक दृष्टि या दृश्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाला पीटोसिस अस्वीकृत किए जाने का एक कारण है। कम वर्त्मपात (पलकों का पक्षाघात) को जो दिन या रात में दृष्टि/दृश्य क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, उसे फिट माना जा सकता है। ऐसी स्थितियों में, विजुअल फील्ड की सेंट्रल 30 डिग्री की जांच उचित रूप से की जानी चाहिए।

(ग) अनियंत्रित ब्लेफेराइटिस वाले अभ्यर्थी विशेष रुप से जिनकी पलके गिर गई हो, वे सामान्य रुप से अनुपयुक्त होते हैं और उन्हें अस्वीकृत कर देना चाहिए।बेलफेराइटिस और क्रॉनिक कन्ज्यूक्टिवाइटिस के अनेकों मामलों को अस्थायी रुप से अनफिट माना जाना चाहिए जब तक कि उपचार की प्रतिक्रिया का आकलन नहीं किया जा सकता।

(घ) एक्ट्रोपियन/एन्ट्रोपियन के ये मामले अनुपयुक्त माने जाएंगे। हल्का एक्ट्रोपियन और एन्ट्रोपियन जो कि नेत्र विशेषज्ञ की राय में दिन-प्रतिदिन के कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा, उसे फिट माना जा सकता है।

(च) एम ओ और विशेषज्ञ की भर्ती कर प्रोग्रेसिव पेट्रिजियम के सभी मामले अनफिट माने जाएंगे। रिग्रेसिब नॉन वस्क्यूलेराइज्ड पेट्रिजियम जिसके स्थायी होने की संभावना होती है, पेरिफेरल कॉर्निय का 1.5 मी.मी. से कम या बराबर स्थान ग्रहण करता है, उसे नेत्र विशेषज्ञ द्वारका स्लिट लैंप पर माप करने के बाद फिट बनाया जा सकता है।

(छ) शारीरिक निस्टाग्मस को छोड़कर निस्टाग्मस के सभी मामलों को अनुपयुक्त बनाया जाना है।

(ज) एपिफोरा या म्यूकोसले उत्पन्न करने वाले नासो-लेक्रिमल ऑक्लुजन अस्वीकृत करने पर जोर देता है, जब तक कि सर्जरी के बाद कम से कम छः माह की राहत नहीं मिल जाती और
ऑपरेशन के बाद सीरिंजिंग पेटेंट है।

(झ) यूवाइटिस (इरिटिस, साइक्लाइटिस और कोरॉइडाइटिस) प्रायः बार-बार होता है और इस प्रकार की स्थिति के इतिहास वाले अभ्यर्थियों का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। जब इन उम्मीदवारों के घाव स्थायी रुप में होने का प्रमाण हो तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

(ट) कॉर्नियल निशान, अस्पष्टता अस्वीकृति का कारण होगी जब तक कि यह देखने में बाधा न डाले। स्वीकृत करने से पहले ऐसे मामलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि अनेक स्थितियां बार-बार आ जाती हैं।

(ठ) लेंटिकुलर अस्पष्टता वाले मामलों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक दिशानिर्देश के रुप में किसी भी अस्पष्टता के कारण दृश्य बिगड़ना, या दृश्य अक्ष में है या पुतली के चारों ओर 7 मिमी के क्षेत्र में मौजूद है, जिससे चौंधने की घटना हो सकती है, इसे उपयुक्त (फिट) नहीं माना जाना चाहिए। संख्या या आकार में वृद्धि न करने अस्पष्टता की प्रवृत्ति को फिटनेस का निर्णय लेते समय भी विचार किया जाना चाहिए। परिधि में छोटे स्थिर लेंटिकुलर अस्पष्टता जैसे जन्मजात ब्लू डॉट मोतियाबिंद जो दृश्य अक्ष/दृश्य क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं, उन्हें विशेषज्ञ द्वारा फिट माना जा सकता है। (यह संख्या में 10 से कम होना चाहिए और 4 मिमी का केंद्रीय क्षेत्र स्पष्ट होना चाहिए)

(ड) एक माइग्रेनस प्रकार के सिरदर्द से जुड़ी दृश्य गड़बड़ी पूरी तरह से नेत्र समस्या नहीं है और ऊपर उल्लिखित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खंड के पैरा 3 के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। डिप्लोपिया की उपस्थिति या निस्टाग्मस का पता लगाने के लिए उचित जांच की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे शारीरिक कारणों से हो सकते हैं।

(ढ) रतौंधी काफी हद तक जन्मजात होती हे लेकिन आंख के कुछ रोग रतौंधी को प्रारंभिक लक्षण के रुप में प्रदर्शित करते हैं और इसलिए अंतिम मूल्यांकन से पहले उचित जांच आवश्यक है। चूंकि रतौंधी की जांच नियमित रुप से नहीं की जाती इसलिए प्रत्येक मामले में व्यक्ति को रतौंधी से ग्रसित नहीं होने का प्रमाणपत्र लिया जाएगा। प्रमाणपत्र इस अधिसूचना के परिशिष्ट ‘क’ के अनुसार होना चाहिए। रतौंधी होने का प्रमाण सर्विस करने के लिए अनफिट माना जाता है।

(त) किसी भी दिशा में नेत्रगोलक की गति पर प्रतिबंध और नेत्रगोलक के अनुचित दबाव/प्रक्षेप के लिए उचित जांच की आवश्यकता होती है।

(थ) **<u>रेटिनल घाव</u>** रेटिनल परिधि में एक छोटा हील्ड कोरियोरेटिनल निशान जो दृष्टि को प्रभावित नहीं करता है ओर किसी भी अन्य जटिलताओं से जुड़ा हुआ नहीं है, विशेषज्ञ द्वारा फिट किया जा सकता है। इसी तरह परिधि

में एक छोटी जाली को बिना किसी अन्य जटिलता के फिट माना जा सकता है। सेंट्रल फंडस में किसी प्रकार के घाव को विशेषज्ञ द्वारा अनफिट माना जाएगा।

3. **<u>दृश्य तीक्ष्णता/रंगबोधक दृष्टि</u>** इस अधिसूचना के परिशिष्ट 'ख' में दृश्य तीक्ष्णता और रंग दृष्टि आवश्यकताओं का विवरण दिया गया है जो इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए।

4. **<u>मायोपिया</u>** यदि मायोपिया का मजबूत पारिवारिक इतिहास है, विशेष रुप से यदि यह दृष्टि दोष हाल में ही हुआ है, यदि शारीरिक विकास अभी भी प्रत्याशित है, अथवा यदि फंडुस की उपस्थिति प्रोग्रेसिव मायोपिया का सूचक है, भले ही दृश्य तीक्ष्णता निर्धारित सीमा के भीतर हो, अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

5. **<u>रिफ्रेक्टिव सर्जरी</u>** जिन अभ्यर्थियों की फोटो रिफ्रेक्टिव केराटोटोमी (पी आर के)/लेज़र इनसिटु केरोमिलिसिस (लेसिक) हो चुकी है, उन्हें वायु सेना की सभी शाखाओं में कमीशन प्रदान करने के योग्य माना जा सकता है। पी आर के/लेसिक के बाद अभ्यर्थियों को नीचे दिए अनुसार शाखा के लिए विज़ुअल आवश्यकता का निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करना होगाः-

(क) पी आर के/लेसिक सर्जरी 20 वर्ष की आयु से पहले नहीं होनी चाहिए।

(ख) आंख की अक्षीय लंबाई 25.5 एम एम से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि आई ओ एल मास्टर द्वारा मापा जाता है।

(ग) पी आर के/लेसिक के बाद बिना किसी समस्या के अथवा पिछली किसी समस्या के बिना स्थिर रुप से कम से कम 12 महीनें बीत गए हों।

(घ) पी आर के/लेसिक के बाद कॉर्नियल पैचीमीटर से मापे जाने पर कॉर्नियल की मोटाई 450 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए।

(च) लेसिक के पहले उच्च रिफ्रेक्टिव त्रुटि (□6 डी) वाले व्यक्ति को हटाया जाएगा।

6. वायु सेना की किसी भी ड्यूटी के लिए रिफ्रेक्टिव त्रुटि को ठीक करने के लिए रेडियल केराटोटोमी (आर के) सर्जरी की अनुमति नहीं है। आई ओ एल इम्पलांट के साथ अथवा इसके बिना मोतियाबिंद की सर्जरी करवाने वाले अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा।

<u>नेत्रीय (ऑक्यूलर) मांसपेशी संतुलन</u>

7. भेंगे व्यक्ति को कमीशन प्रदान नहीं किया जाएगा। वायुकर्मी के मामले में छुपे हुए भेंगेपन अथवा हेटरोफोरिया का मूल्यांकन मुख्य रुप से फ्यूजन क्षमता के मूल्यांकन पर आधारित होगा। अच्छे फ्यूजन संवेदन से तनाव और थकान में भी दोनों आंखों की दृष्टि सुनिश्चित होती है।

(क) कन्वर्जेंस (जैसा कि आर ए एफ नियम पर मूल्यांकन किया जाता है)

(i) <u>ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस</u> औसतन 6.5 से 8 सेमी होता है। 10 सेमी और इससे ऊपर खराब माना जाता है।

(ii) <u>सब्जेक्टिव कन्वर्जेंस</u> यह कन्वर्जेंस के दाब में द्विनेत्री विजन के अंतिम सिरों को दर्शाता है। यदि सब्जेक्टिन कन्वर्जेंस, ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस की सीमा से अधिक 10 सेमी से ज्यादा होता है तो फ्यूज़न क्षमता खराब होती है। यह विशेषतः तब होता है जब ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस 10 सेमी और इससे ऊपर होता है।

(ख) **<u>समंजन (अकॉमडेशन)</u>** मयोप्स के मामले में करैक्टिव चश्मा ठीक से लगा कर ही समंजन (अकॉमडेशन) का मूल्यांकन किया जाएगा। विभिन्न आयु वर्गों में समंजन (अकॉमडेशन) के स्वीकार्य मान सारणी 1 में दिए गए हैं।

सारणी 1- समंजन (अकॉमडेशन) मान- आयुवार

आयु (वर्षों में)	**17-20**	**21-25**	**26-30**	**31-35**	**36-40**	**41-45**
समंजन (सेमी में)	10-11	11-12	12.5-13.5	14-16	16-18.5	18.5-27

8. नेत्र (ऑक्यूलर) मांसपेशी संतुलन, गत्यात्मक होता है और एकाग्रता, चिंता, थकान, हाइपोक्सिया, ड्रग और मदिरा के कारण बदलता रहता है। उपर्युक्त जांच को अंतिम मूल्यांकन के लिए साथ में देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, मेडॉक्स रॉड जांच की अधिकतम सीमाओं के आगे वाले, लेकिन अच्छी द्विनेत्री प्रतिक्रिया, सब्जेक्टिव कनवर्जेंस से थोड़ा अलग अच्छे ऑब्जेक्टिव कन्वर्जेंस, और कवर जांच पर तीव्र रिकवरी वाले मामलों को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी ओर, मेडॉक्स रॉड जांच सीमा के भीतर वाले मामले, लेकिन जिनमें कम अथवा कोई फ्यूजन क्षमता दिखाई नहीं देती, कवर जांच की अधूरी या कोई रिकवरी न हो और खराब सब्जेक्टिव कन्वर्जेंस हो, उनको अस्वीकार किया जाएगा। नेत्र (ऑक्यूलर) मांसपेशी संतुलन के मूल्यांकन के मानक इस अधिसूचना के **परिशिष्ट 'ग'** में दिए गए हैं।

9. मीडिया (कॉर्निया, लेंस, विट्रियस) अथवा फंडस में पाई गई कोई क्लिनिकल जांच परिणाम जो कि पैथोलॉजिकल प्रवृत्ति की हो और जिसके बढ़ने की संभावना हो, वह अस्वीकार का कारण होगा। यह जांच स्लिट लैंप और माइड्रियासिस के तहत ऑफथेलमोस्कॉपी द्वारा की जाएगी।

परिशिष्ट 'क'

(ऑफ्थेलमोलॉजी मानकों का पैरा 2 (ढ) देखें)

<u>रतौंधी से संबंधित प्रमाणपत्र</u>

नाम, आद्याक्षर सहित ....बैच सं0

.... चेस्ट सं0 .... मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे परिवार में रतौंधी के कोई मामला नहीं है , और मुझे रतौंधी नहीं है।

दिनांकः (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(चिकित्सा अफसर का नाम)

<u>परिशिष्ट 'ख'</u>

(उपर्युक्त ऑपथेमोलॉजी मानक का पैरा 3)

आरंभिक प्रवेश के समय दृष्टि मानक

क्रम सं0	चिकित्सा श्रेणी	शाखा	रिफ्रेक्टिव त्रुटि की अधिकतम सीमाएं	अधिकतम सुधार की सीमाओं के साथ दृष्टि की तीक्ष्णता	रंगबोधक दृष्टि
1	ए 1 जी 1	एफ (पी), सहित एफ़ए में उड़ान शाखा कैडेट	हाइपरमेट्रोपियाः +1.5 डी स्फेरिकल मेनिफेस्ट मायोपियाः शून्य एस्टिगमेटिज़मः +0.75 डी सिलिण्डरिकल (+1.5 डी तक) रेटीनोस्कोपिक मायोपियाः शून्य	एक आंख में 6/6 और दूसरी में 6/9, केवल हाइपरमेट्रोपिया के लिए 6/6 सुधारयोग्य	सी पी-I

नोट 1: क्रम सं0 1 और 2 में दिए गए कार्मिकों के लिए नेत्र (ऑक्यूलर) मांसपेशी संतुलन इस अध्याय के परिशिष्ट 'ग' के अनुरुप होना चाहिए। **नोट 2**: एन डी ए के एयर विंग कैडेटों और ए एफ ए के फ्लाइट कैडेटों के दृष्टि मानक ए1जी1एफ(पी) मानक (परिशिष्ट ख के एस 1 संख्या 1) के अनुरुप होना चाहिए।

नोट 3 : उपर्युक्त स्फेरिकल सुधार कारकों को विशिष्ट एस्टिमेटिक सुधार कारक में शामिल किया जाएगा। विशिष्ट दृष्टि तीक्ष्णता मानक तक न्यूनतम सुधार कारक को स्वीकार किया जा सकता है।

परिशिष्ट 'ग'

(नेत्र विज्ञान मानकों का उपर्युक्त पैरा 8)

फ्लाइंग ड्यूटियों के लिए ऑकयुलर मसल्स बैलेंस के मानक

क्रम सं	जांच	फिट	अस्थाई रूप से अनफिट	स्थाई रूप से अनफिट
1.	6 मीटर पर माडोक्स रॉड टेस्ट	एक्सोओ-6 प्रिज्म डी इसो-6 प्रिज्म डी हाइपर-1 प्रिज्म डी	एक्सो-6 प्रिज्म डी से अधिक इसो-6 प्रिज्म डी से	यूनि- ऑकयुलर सप्रेशन हाइपर/हाइपो 2
		हाइपो-1 प्रिज्म डी	अधिक हाइपर-1 प्रिज्म डी से अधिक हाइपो-1 प्रिज्म डी से अधिक	प्रिज्म डी से अधिक
2.	33 सेमी. पर माडोक्स रॉड टेस्ट	एक्सो-16 प्रिज्म डी इसो-6 प्रिज्म डी हाइपर-1 प्रिज्म डी हाइपो-1 प्रिज्म डी	एक्सो-16 प्रिज्म डी से अधिक इसो-6 प्रिज्म डी से अधिक हाइपर-1 प्रिज्म डी से अधिक हाइपो-1 प्रोज्म डी से अधिक	यूनि- आकयुलर सप्रेशन हाइपर/हाइपो 2 प्रिज्म डी से अधिक

3.	हैंड हेल्ड स्टिरोस्कोप	सभी बी एस वी ग्रेड के	खराब फ्यूज़नल रिज़र्व	एस एम पी की कमी, फ्यूज़न स्टीरी-ओपसिस
4.	कनवर्जेंस	10 से मी तक	प्रयास के साथ 15 से मी तक	प्रयास के साथ15 सेमी. से अधिक
5.	दूर और निकट के लिए कवर टेस्ट	लेटेंट डाइवर्जेंस/कनवर्जेंस रिकवरी रेपिड एवं पूर्ण	कंपेनसेटेड हेट्रोफेरियां/ट्रोफिया जिसकी उपचार से ठीक होने की संभावना हो/ उपचार के बाद भी बना रहे।	कंपेनसेटेड हेट्रोफेरिया

<u>हिमोपोएटिक सिस्टम</u>

1. जल्दी थकावट न होने,सामान्य कमजोरी, रूधिर चिह्न (पेचि)/ नीललांछन मसूड़ो और एलीमेंट्री टेक्ट से रक्तस्राव, हल्के अभिघात के बाद लगातार रक्त प्रवाह और महिलाओं के मामले में मेनोरागियाँ के इतिहास को सावधानीपूर्वक उजागर किया जाना चाहिए। पालर (एनिमिया) कुपोषण, पीलिया,पेरीफेरल लिंफाडेनोपैथी, परप्यरा, रुधिर चिह्न (पेचि)/ नीललांछन और हेप्टास्प्लिनोमेगाली के क्लीनिकल साक्ष्यों हेतु सभी अभ्यार्थियों की जांच की जानी चाहिए।

2. एनिमिया(पुरुषों में <13g/dl और महिला में <11.5g/dl) के प्रयोगशाला में पुष्टि के मामलें में एनिमिया की किस्म और इटोलॉजी का निर्धारण करने के लिए आगे मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें पूर्ण हेमोग्राम (पी सी वी एम सी वी, एम सी एच, एम सी एच सी, टी आर बी सी, टी डब्ल्यू बी सी, डी एल सी, प्लेटिलेट काउंट, रिटिक्यूलोसाइट काउंट एवं ई एस आर शामिल किया जाए) और पेरिफेरल ब्लड स्मियर शामिल किया जाना चाहिए। एटियोलॉजी के निर्धारण के लिए आवश्यकतानुसार अन्य सभी जांच की जाएंगी। गॉलस्टोन (पित्ताश्मरी) के लिए पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी, अपर जी आई इंडोस्कोपी/ प्रोक्टोस्कोपी और हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इत्यादि बताए अनुसार की जाएंगी और प्रत्येक मामले की मैरिट के आधार पर अभ्यार्थी की फिटनेस निर्धारित की जाएगी।

3. प्रथम दृष्टया हल्के माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक (आयरन की कमी एनीमिया) की हल्की कमी वाले अथवा डिमोरफिक एनीमिया(महिलाओ में Hb<10.5g/dl और पुरुषों में Hb<11.5g/dl)वाले अभ्यार्थियों को 04 से 06 सप्ताह की अवधि के लिए अस्थाई रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा और इसके पश्चात् रिव्यू किया जाएगा। इन अभ्यार्थियों को स्वीकार किया जा सकता है, यदि पूर्ण हेमोग्राम और पी सी वी,पेरिफेरल स्मियर परिणाम सामान्य रेंज के अंदर हो। मेक्रोसाइटिक/मेगालोब्लास्टिक एनिमिया वाले अभ्यार्थियों को अनफिट घोषित किया जाएगा।

4. ऐसे सभी अभ्यार्थी जिन्हें अनुवांशिक हेमोलाइटिक एनिमिया (लाल रक्त कणिकाओं का झिल्लियों में दोष अथवा रेड सेल एन्जाइम की कमियों के कारण) और हिमोग्लोबिनोपैथीय़(सिकल सेल रोग, बेटा थैलिसिमियाः मेजर इंटरमीडिया, माइनर ट्रेट और अल्फा थैलेसिमिया इत्यादि) है उन्हें सर्विस के लिए अनफिट माना जाएगा।

5. त्वचा में हेमोरेज के इतिहास की मौजूदगी में जैसे इसाइमोसिस/ पेचि, इपिसटैक्सी, मसूड़ों और एलीमेंट्री ट्रेक्ट से रक्त प्रवाह, हल्के अभिघात के बाद लगातार रक्तस्राव अथवा लासरेसन/ टूथ एक्सट्रैक्शन अथवा महिलाओं में मेनोरागियाँ और हिमोफिलिया अथवा अन्य रक्तस्राव डिसऑर्डर के किसी अन्य फैमिली हिस्ट्री के मामले में पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। इन मामलों को सर्विस में एंट्री के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।पुरपुरा(रक्तचित्तता) के क्लीनिकल साक्ष्य वाले अथवा थंब्रोसाइटोपिनिया साक्ष्य वाले सभी अभ्यार्थियों को सर्विस के लिए अनफिट माना जाएगा। पुरपुरा सिम्प्लेक्स (सिंपल इजी ब्रुज़िंग) के मामलें में, स्वस्थ महिला में सुसाध्य डिसऑर्डर दिखने पर इसे स्वीकार्य किया जा सकता है।

6. हिमोफिलिया वान बिलेब्रैंड के रोग की हिस्ट्री वाले अभ्यार्थियों का मूल्यांकन करने पर उन्हें एंट्री लेवल पर सर्विस के लिए, अनफिट घोषित किया जाएगा।

<u>डेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड</u>

1. जांचकर्ता को यह जांच अवश्य करनी चाहिए कि क्या अभ्यार्थी की कोई पहले की दांत संबंधी प्रोसिजर की कोई बड़ी ऑल्ट्रेशन की कोई पूर्व हिस्ट्री है। जीभ, मसूड़े, अथवा गले के संक्रमण अथवा अल्सीरेशन (व्रण) की किसी बड़ी पूर्व हिस्ट्री को प्रलेखित किया जाना चाहिए। हिस्ट्री जिसमें प्रिमेलिगनेंट लेशन का संकेत हो अथवा पैथोलॉजी (विकृतिविज्ञान) जिनकी पुनरावृति होती हो उन्हें उजागर किया जाना चाहिए।

2. .**<u>दंत संबंधी मानक (डेंटल स्टैंडर्ड)</u>** निम्नलिखित दंत संबंधी मानकों का अनुपालन किया जाएगा और अभ्यार्थी जिसका दंत संबंधी मानक निर्धारित मानकों की पुष्टि नहीं करता है उसे अस्वीकृत किया जाएगाः-

(क) अभ्यार्थी के न्यूनतम 14 डेंटल प्वाइंट होने चाहिए और ऊपरी जबड़े में मौजूद निम्नलिखित दंत निचले जबड़े के परस्पर दांत के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए।

(i) छह एंटीरियर के कोई चार
(ii) दस पोस्टीरियर के कोई छह

(ख) प्रत्येक इनस्सर, कैनाइन 1 और 2 प्रीमोलर की एक प्वाइंट वैल्यू होगी बशर्ते कि इनके सदृश्य विपरीत दंत मौजूद हो।

(ग) प्रत्येक प्रथम और दूसरे मोलर और भलीभॉति विकसित तीसरे मोलर की वैल्यू दो प्वाइंट होगी बशर्ते कि ये विपरीत जबड़े में सदृश्य दंत से अच्छी स्थिति में हो।

(घ) तीसरे मोलर के मामले में यदि यह पूर्ण रूप से विकसित हुआ न हो तो इसका केवल एक प्वाइंट होगा।

(च) जब ऊपरी जबड़े में मौजूद सभी 16 दांत हों और ये निचले जबड़े के सदृश्य विपरीत दंतों के सदृश्य अच्छे कार्य करने की स्थिति में हो तो कुल वैल्यू 20 अथवा 22 प्वाइंट होगी, तीसरा मोलर भली भांति विकसित है अथवा नहीं, इसके अनुसर ।

(छ) मुख संबंधी जांच के दौरान सभी रिमूवेल डेंटल प्रोस्थेसिस को रिमूव कर दिया जाएगा और कोई भी डेंटल प्वाइंट नही दिया जाएगा केवल उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों को छोड़कर जो पुनः एनरोलमेंट के लिए आवेदन कर रहे है और उन्हें अच्छी फिटिंग रिमूवेबल प्रोस्थेसिस के लिए डेंटल प्वाइंट दिए जाएंगे।

3. **<u>अतिरिक्त मौखिक जांच</u>**

(क) **<u>चेहरे की पूरी जांच</u>** – किसी आसाइमेट्री अथवा सॉफ्ट/ हार्ड टिशू डिफेक्ट/ स्कार्स अथवा जबड़े की कोई इनसिपिंट पैथोलॉजिकल स्थिति संदिग्ध है, और यह अस्वीकृति का कारण होगी।

(ख) **<u>क्रियात्मक जांच</u>**

(i) **<u>टेम्प्रोमानडिब्यूलर ज्वाइंट (टी एम जे)</u>** टेंडर नेस और/अथवा क्लिनिंग के लिए टी एम जे को दुतरफा रूप से स्पर्श करके देखा जाएगा। अभ्यर्थी जिनमें रोग सूचक क्लिकिंग और/अथवा टेंडरनेस है अथवा ज्यादा खोलने पर टी एम एल हटा हुआ हो तो है उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) **<u>मुख खोलनाः</u>**- इन्सिसल किनारों पर 30 एम एम से कम मुख खुलना, यह अस्वीकृति का कारण होगा।

4. **<u>विशेष परिस्थितियों में दंत प्वाइंट्स (बिंदुओं) के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश</u>**

(क) **<u>दंत केरिस (क्षरण)</u>**- दंत केरिस (क्षरण) वाले दंत जिन्हें रोका न जा सका हो अथवा दंत शिखर से टूटे हुए दंत, जिनकी पल्प (मज्जा) दिखायी देती हो, रेजिड्युअल रूट स्टम्पस हो, एसेंसिस (विदधि) वाले दंत और/अथवा केविटी दंत को दंत बिंदुओं के निर्धारण (अवार्ड) हेतु नहीं गिना जाएगा।

(ख) **<u>जीर्णोध्दारः</u>**- ऐसे दंत जिनका जीर्णोध्दार हुआ हो, जो टेढ़े-मेढ़े/टूटे हुए/बदरंग दिखायी देते हों, उनका दंत बिंदु निर्धारण नहीं किया जाएगा। दंत जिनका जीर्णोध्दार अनुपयुक्त सामग्री से किया गया हो, अस्थायी अथवा टूटा-फूटा जीर्णोध्दार हो और जिनकी संदेह युक्त न्यूनतम सुस्वस्थता हो अथवा पैरि-ऐपिकल पैथोलॉजी वाले दंत प्वाइंट्स निर्धारण हेतु नहीं गिना जाएगा।

(ग) **<u>लूज टीथ (ढीले दांत)</u>**-लूज/मोबाइल दंत जिनमें नैदानिक (रोग विषयक) रूप से माबिलिटी दिखाई देती हो, उन्हें दंत बिंदु निर्धारण के लिए नहीं गिना जाएगा। पीरियोडोंटली स्पिलिंटिड दंत को डेंटल प्वाइंट्स प्रदान करने हेतु नहीं गिना जाएगा।

(घ) **<u>रिटेंड डेसिड्युअस दंत</u>**-रिटेंड डेसिड्युअस दंत को डेंटल प्वाइंट्स निर्धारण हेतु नहीं गिना जाएगा।

(च) **<u>आकृतिमूलक त्रुटिया</u>**-ं आकृतिमूलक त्रुटियों वाले दंत जिनमें पर्याप्त रूप से मेस्टिकेशन (चवर्ण) जोखिम हो, उन्हें दंत प्वाइंट्स प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(छ) **<u>परिदंत (पीरियोडोंटियम)</u>**

(i) दांतों के मसूड़ों की स्थिति, डेंटल प्वाइंट्स काउंटिंग हेतु शामिल होगी, ये स्वस्थ होने चाहिए अर्थात् जैसे-गुलाबी रंग हो, सुसंगत रुप से हों और दांत की ग्रीवा से मजबूती से लगे हों, दिखायी देने वाले अश्मरि (कैलकुलस) विद्यमान नहीं होनी चाहिए।

(ii) व्यक्ति जिनके दांत सूजे हुए हों, लाल अथवा संदूषित हों अथवा जिनके दांत में अश्मरी (कैलकुलस) दिखायी देती हो उन्हें दंत प्वाइंट्स प्रदान नहीं किए जाएंगे।

(iii) सामान्य अश्मरी (कैलकुलस) वाले अभ्यर्थी बहुत अधिक सूजन एवं लाल मसूड़े वाले तथा जिनमें रिसाव हो अथवा नही हो, उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा।

(ज) **<u>कुअदिधारण मेलोक्लूसियन</u>**- मेलोक्यूसियन वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी मेस्टिकेट्री दक्षता एवं फोनिटिक्स प्रभावित हो, उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। ओपन बाइट टीथ (दंत) को डेंटल प्वाइंट्स नहीं दिए जाएंगे, चूंकि उन्हें कार्यात्मक स्थिति में नहीं माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनमें ओपन बाइट है, रिवर्स ओवरजेट हैं अथवा कोई अन्य दृश्य मेलोक्लूसियन हो, उन्हें अस्वीकृत किया जाएगा। तथापि, यदि डेंटल अफसर की यह राय है कि यदि मेलोक्लूसियन दक्ष रूप से दांत के मेलोक्लू चवर्णता फोनेटिक्स, ओरल हायजिन की मेन्टेनेन्स करने अथवा सामान्य पोषण अथवा ड्यूटी को भली-भांति निष्पादित करने में कोई बाधा नहीं डालती हो तो अभ्यर्थी को फिट घोषित किया जाएगा। मेलोक्लुसियन का निर्धारण करने मे निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा।

(i) ऐज टू ऐज बाइट- ऐज टू ऐज बाइट को फंगशनल स्थिति में माना जाएगा।

(ii) एंटिरियर ओपन बाइट- एटीरियर ओपन बाइट को शामिल दांतो में फंगशनल स्थिति की कमी के रूप में लिया जाएगा।

(iii) क्रॉस बाइट- क्रॉस बाइट दंत जो अभी भी फंगशनल ओक्लसिशन के रूप में हो,और यदि ऐसा है, पाइंट्स दिया जाएगा।

(iv) ट्रॉमेटिक बाइट- एंटीरियर टीथ जो गहरे इंमपिंगिम बाइट में शामिल हों जो प्लेट पर ट्रोमेटिक इंडेटेसन उत्पन्न करता हो, उसे पाइंट देने हेतु नहीं गिना जाएगा।

(झ) हार्ड एवं सॉफ्ट टिश्यू- गाल, ओठ, पैलेट (तालु), जीभ और सबलिंगुअल भाग और मैक्सिला/मेन्डिबुलर बोनी अपरेटस की जांच किसी भी सूजन, बदरंग होने, अल्सर, स्कार्स, सफेद दाग-धब्बों, सब म्यूकस फाइब्रेसिस इत्यादि की जांच अवश्य की जाएगी। सभी संभाव्य दुर्दम्य विक्षति अस्वीकृत होने का कारण हो सकते हैं। मुख खुलने पर प्रतिबंध हो या नहीं हो सब म्यूकस फाइब्रोसिस हेतु चिकित्सीय डासग्नॉस (निदान) अस्वीकृति का कारण होगा। बोनी लेसियन विक्षति (विक्षतियों) का उनकी पैथोलॉजिकल/फिजियोलॉजिकल प्रकृति जानने हेतु निर्धारण किया जाएगा और तदनुसार टिप्पणी की जाएगी। कोई भी हार्ड अथवा सॉफ्ट टिश्यू विक्षति अस्वीकृति का कारण होंगी।

(ञ) **<u>ऑर्थोटिक उपकरण</u>** फिक्स्ड ऑर्थोडिटिक्स लिंगुअल रिटेनर्स को पिरियोडेंटल स्पिलिंटस नहीं माना जाएगा और इन रिटेनरों में शामिल दंत को डेंटल फिटनेस हेतु पाइंटस दिए जाएंगे। अभ्यर्थी जो फिक्स्ड अथवा रिमूवेबल ऑर्थोडोटिक उपकरण पहने हों, उन्हें अनफिट घोषित किया जाएगा।

(ट) **<u>डेंटल इम्प्लांटस</u>** जब एक सिंगल मिसिंग दंत (टूथ) के प्रतिस्थापन में क्राउन लगा (दंत) इम्प्लांट किया गया हो तो उस कृत्रिम अंग को नैसर्गिक दांत के समान डेंटल पाइंट्स दिए जा सकते हैं बशर्ते कि नेचुरल टीथ(दंत) फंगशनल स्थिति में हो और इम्प्लांट की इंटीग्रिटी (सुस्वस्थता) की पुष्टि होती हो।

(ठ) **फिक्स्ड पॉर्शियल डेंचर्स (एफ पी डी)/ इम्प्लांट सर्पोटिड एफ पी डी** मजबूती ओपोजिंग दंत के लिए फंगशनल स्थिति और अबटमेंट्स के पीरियोडोन्टल स्वास्थ्य के लिए एफ पी डी का क्लिनिकली एवं रेडियोलाजिकली निर्धारण किया जाएगा। यदि सभी पैरामीटर संतोषजनक पाए जाते हैं तो निम्नलिखित अनुसार डेंटल पाइंट्स प्रदान किए जाएंगेः

(i) **टूथ सपोर्टिड एफ पी डी**

(क क) **प्रोथिसिस 3 यूनिट्स** एबटमेंट्स(संसक्ति)और पोनटिक के लिए डेंटल पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

(क ख) **3 यूनिट से अधिक प्रोस्थिसिस** केवल एबटमेंट्स (संसक्ति) हेतु डेंटल पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगे। पोन्टिक्स हेतु कोई पॉइन्ट नहीं दिया जाएगा।

(क ग) **केन्टिलीवर एफ डी पी एस** डेंटल पॉइंट्स केवल एबटमेंट्स (संसक्ति) हेतु प्रदान किए जाएंगे।

(ii) **इम्प्लांट सपोर्टिड एफ पी डी**

(क क) प्रोस्थेसिस, 3 यूनिट। नेचुरल टीथ, इम्प्लांट एवं पोन्टिक हेतु डेंटल पॉइंट प्रदान किए जाएंगे।

(क ख) 3 यूनिटों से अधिक प्रोस्थेसिस केवल नेचुरल टीथ हेतु डेंटल पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगे। पोन्टिक्स एवं इम्प्लांट हेतु कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा।

(क ग) **दो यूनिट केन्टिलीवर एफ पी डी** केवल इम्प्लांट हेतु डेंटल पॉइंटस प्रदान किए जाएंगे।

(ड) एक अभ्यर्थ में अधिकतम दो बार इम्प्लांट्स की अनुमति होगी। 02 अनुमेय इम्प्लांट्स से अधिक होने पर इम्प्लांट्स से अधिक होने पर इम्प्लांट/इम्प्लांट सपोर्टिड प्रोथिसिस हेतु कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामले में जिसमें एक अभ्यर्थी में 03 और इम्प्लांट्स/इम्प्लांट सपोर्टिड प्रोथिसिस हैं, जिनमें से 02 को डेंटल अफसर के क्लिनिकल निर्णय के आधार पर पॉइंट्स प्रदान किए जाएंगे।

5. **अभ्यर्थी को अनफिट घोषित करने के मानदंड निम्नलिखित होंगे**

(क) **ओरल हायजिन (मुख स्वास्थ्य)** ग्रोस विजिबल कैलकुलस, पीरियोडेटल पॉकेटस और/अथवा मसूड़ों से रक्तस्राव के रूप में घटिया ओरल हेल्थ स्थिति वाले अभ्यर्थी अनफिट घोषित किए जाएंगे।

(ख) **पोस्ट मैक्सिलो-फेसियल सर्जरी/मैक्सिलो- फेसियल ट्रॉमा रिपोर्टिंग वाले अभ्यर्थी** सर्जरी/इंजरी की तिथि से 24 हफ्तों के दौरान अभ्यर्थी जिनकी कॉस्मेटिक अथना पोस्ट ट्रॉमेटिक मैक्सिलोफेसियल सर्जरी/ट्रॉमा हुई है, ऐसे अभ्यर्थी सर्जरी/इंजरी जो भी बाद में हो, की तिथि से न्यूनतम 24 सप्ताह के लिए अनफिट होंगे। इस अवधि के पश्चात यदि कोई रेजिडुअल डिफोर्मिटि (विरूपता) अथवा फंगशनल कमी न हो तो उनका निर्धारण (मूल्यांकन) निर्धारित मानदंडो के अनुसार किया जाएगा।

(ग) पायरिया के सामान्य एक्टिव घाव (विक्षति) की एडवांस स्टेज से तथा एक्यूट अल्सरेटिव जिंजिवायटिस से ग्रसित डेंटल आर्चिज वाले तथा दंत और जबड़ों की भारी अपसामान्यता वाले अभ्यर्थी अथवा जिनमें असंख्य कैरिस (दंत क्षय) हो अथवा जो सेप्टिक टीथ से प्रभावित हों, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

1. सेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानकों और प्रक्रिया के लिये कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

2. नौसेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानकों और प्रक्रिया के लिये कृपया www.joinindiannavy.gov.in पर जाएं।

3. वायु सेना में अधिकारियों के प्रवेश पर लागू चिकित्सा मानकों और प्रक्रिया के लिये कृपया www.careerindianairforce.cdac.in पर जाएं।

टिप्पणी : केवल हाथ के भीतर की तरफ अर्थात् कुहनी के भीतर से कलाई तक और हथेली के ऊपरी भाग/हाथ के पिछले हिस्से की तरफ शरीर पर स्थायी टैटू की अनुमति है। शरीर के किसी अन्य हिस्से पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को आगे के चयन से विवर्जित कर दिया जाएगा। जनजातियों को उनके मौजूदा रीति रिवाजों एवं परंपरा के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर उनके चेहरे या शरीर पर टैटू के निशान की अनुमति होगी। कमांडेंट चयन केंद्र ऐसे मामलों के समाशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

परिशिष्ट - V

(सेवा का संक्षिप्त विवरण आदि)

सेना के अधिकारियों के वेतनमान और वायु सेना और नौसेना में बराबर रैंक

(i) वेतन

रैंक	लेवल	(वेतन, रुपये में)
लेफ्टिनेंट	लेवल 10	56,100 - 1,77,500
कप्तान	लेवल 10बी	6,13,00-1,93,900
मेजर	लेवल 11	6,94,00 - 2,07,200
लेफ्टिनेंट कर्नल	लेवल 12ए	1,21,200 - 2,12400
कर्नल	लेवल 13	1,30,600-2, 15,900
ब्रिगेडियर	लेवल 13ए	1,39,600-2,17,600
मेजर जनरल	लेवल 14	1,44,200-2,18,200
लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल	लेवल 15	1,82,200 - 2,24,100
एचएजी + स्केल	लेवल 16	2,05,400 - 2,24,400
वाइस थलसेनाध्यक्ष / सेना कमांडर / लेफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)	लेवल 17	2,25,000/-(नियत)
थलसेनाध्यक्ष	लेवल 18	2,50,000/-(नियत)

अधिकारी को देय सैन्य सेवा वेतन निम्नानुसार है

लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों को देय सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी)	रु.15500 प्रतिमाह नियत

कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत वजीफा: -

सेवा अकादमी यानी आईएमए और ओटीए में प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान पुरुषया महिला कैडेटों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान वजीफा	रु.56,100/- प्रतिमाह* (लेवल 10 में आरंभिक वेतन)

* सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्ति पर, कमीशन प्राप्त अधिकारी का वेतन, वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 के प्रथम सेल में तय किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा तथा प्रशिक्षण अवधि के लिए कैडेटों को यथाअनुमेय भत्तों के बकाया का भुगतान किया जाएगा।

(ii) योग्यता वेतन और अनुदान

(i) योग्यता अनुदान

इसे अलग से भत्ते के रूप में समाप्त कर दिया गया है। पात्र कर्मचारियों के मामले में नया प्रस्तावित उच्चतर योग्यता प्रोत्साहन (एच क्यू आई) लागू होगा। एच क्यू आई के लिए आदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी जारी किया जाना है।

(ii) फ्लाइंग भत्ता: -

आर्मी एविएशन कोर में सेवारत सेना विमानवाहक (पायलट्स) को उड़ान प्रदान करने के हकदार हैं:-

लेफ्टिनेंट और इससे ऊपर	लेवल 10 और इससे ऊपर	रु. 25,000/- प्रतिमाह नियत (जोखिम व कठिनाई मैट्रिक का आर1 एच1)

(iii) अन्य भत्ते:-

(a)	महंगाई भत्ता	समय समय पर असैनिक कर्मचारियों को यथाअनुमेय दरों तथा परिस्थितियों के समान
(b)	किट रखरखाव भत्ता	नव प्रस्तावित ड्रेस भत्तेमें शामिल अर्थातरु. 20,000/- प्रति वर्ष

रैंक और पोस्टिंग के क्षेत्र के आधार पर, फील्ड क्षेत्र में तैनात अधिकारी निम्न क्षेत्र क्षेत्र के लिए पात्र होंगे:-

रैंक	स्तर	एचएफए	फील्ड एरिया भत्ता	संशोधित फील्ड एरिया भत्ता
लेफ्टिनेंट और ऊपर	स्तर 10 और ऊपर	16900 आर 1 एच 2	10500 आर 2 एच 2	6300 आर 2 एच 2 का 60 प्रतिशत

(iv) हाई आल्टीट्यूड भत्ता

रैंक	स्तर	**श्रेणी-I** (प्रति माह)	**श्रेणी -II** (प्रति माह)	**श्रेणी -III** (प्रति माह)
लेफ्टिनेंट और ऊपर	स्तर 10 और ऊपर	3400 आर3 एच2	5300 आर3 एच1	25000 आर1 एच1

(v) सियाचिन भत्ता

सियाचिन भत्ता रु.42,500/- प्रति माह होगा।

(vi) वर्दी भत्ता

नव प्रस्तावित वर्दी भत्ते में शामिल अर्थात् रु.20,000/-प्रति वर्ष

(vii) <u>मुफ्त आहार सामग्री</u>

- शांति और फील्ड क्षेत्र में

(viii) <u>परिवहन भत्ता (टीपीटीए)</u>

वेतन लेवल	उच्च टीपीटीए शहर (रुपये प्रति माह)	अन्य स्थान (रुपये प्रति माह)
9 और ऊपर	रु.7200+ उस पर देय महंगाई भत्ता	रु.3600+ उस पर देय महंगाई भत्ता

नोट: -

(क) <u>उच्चतर परिवहन भत्ता शहर (यू.ए.):</u>-

हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोच्चि, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता।

(ख) सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान किए गए सेवा कर्मियों के लिए भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) वेतनमान स्तर 14 और उससे अधिक के अधिकारी, जो आधिकारिक कार का उपयोग करने के हकदार हैं, को अधिकृत कार सुविधा का लाभ उठाने या रुपये 15,750प्रति माह की दर से टीपीटीए + सहित आहरितकरने का विकल्प होगा।

(घ) पूरे कैलेंडर माह (माहों) में छुट्टी पर रहने पर यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

(ङ) शारीरिक रूप से विकलांग सेवा कर्मियों को दोगुनी दर पर भुगतान करना जारी रखा जाएगा, जो न्यूनतम रु.2250 + उस पर देय महंगाई भत्ता प्रति माह होगा।

(ix) संतान शिक्षा भत्ता केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए 2250/-रू प्रति बच्चा। यह संतान शिक्षा भत्ता नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए देय होगा।

(i) वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद वर्ष में प्रतिपूर्ति केवल एक बार किया जाना चाहिए (जो कि अधिकांश विद्यालयों के लिए शैक्षणिक वर्ष के साथ मेल खाता है)।

(ii) सरकारी कर्मचारी के बालक जहां अध्ययनरत हैं उससंस्थान के प्रमुख से इस उद्देश्य काप्रमाण पत्र पर्याप्त होना चाहिए। प्रमाण पत्र द्वारा यह पुष्टि होनी चाहिए कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान बच्चे विद्यालय में पढ़े थे।

रक्षा बलों के लिए विशिष्ट भत्तों के मामले में, प्रत्येक बार संशोधित वेतनबैंड पर देय महागाई भत्ता 50% तक बढ जाने पर इन भत्तों की दरें स्वत: 25% बढ़ जाएंगी। (भारत सरकार ए-27012/02/2017-स्थापना (ए एल) दिनांक 16 अगस्त 2017।)

(iii). कृपया नोट करें वेतन एवं भत्ते और तत्सम्बन्धी नियम / प्रावधान समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं

(क) भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. भारतीय सैनिक अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :

(क) इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल ऑपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर उसे या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरूद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है, या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र और किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन "जेनटलमैन कैडेट" के रूप में दर्ज किए जायेंगे। "जेनटलमैन कैडेट" पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए "भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के नियम और विनियम लागू होंगे।"

3. यद्यपि आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, तथापि यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना जेब खर्च खुद बर्दाशत करेंगे। भारतीय सैनिक अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम मासिक व्यय 200.00 रु. से अधिक होने की संभावना नहीं है) यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप से बर्दाशत करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और नौ सेना या वायु सेना में स्थापित सद्दश प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे ऐसे पुरुष/महिला कैडेट, जिनके माता-पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है वित्तीय सहायता लेने के हकदार हैं। जिन माता-पिता/अभिभावक की प्रति माह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक लेकिन 2000/- रु. (संशोधन विचाराधीन) से अधिक नहीं है। यदि उनका एक लड़का/आश्रित उक्त एक या एक से अधिक संस्था में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके बच्चों/आश्रितों को भी वही वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संस्थाएं एक ही सेवा के अधीन हैं या नहीं।

वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन पत्र देना चाहिए। जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

(क)	प्रतिमाह रु. 200.00 के हिसाब से 5 महीने का जेब खर्च	1000.00 रु.
(ख)	वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	2750.00 रु.
	योग	3750.00 रु.

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी।

200.00 रु. प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने के जेब खर्च 1000.00 रुपए

5. **भारतीय सैनिक अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं :**

(1) **परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति :** यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडटों को दी जाती है। छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रुपए प्रति वर्ष है जो कैडेटों को भारतीय सैनिक अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

(2) **कर्नल कैंडिल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति :** इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपए प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र है। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता से अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सैनिक अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होती वह :

(क) कैडेट को कमीशन दे दिए जाने पर दे दी जाएगी।

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापिस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी। किंतु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्याग पत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्याग पत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेट को मुख्यालय ARTRAC द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल लिए जाएंगे। भारतीय सैन्य अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें व उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाता उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण की

लागत का भुगतान करने के बाद, सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सेना से आए उम्मीदवारों को उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा।

8. कमीशन, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी।

10. **प्रशिक्षण**

:भारतीय सैनिक अकादमी में आर्मी कैडेट को 'जेन्टलमैन कैडेट' का नाम दिया जाता है। उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफेंट्री के उप-यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेन्टलमैन कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एसएचएपीई में शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

11. सेना सामूहिक बीमा योजना. जो जेंटलमैन/महिला कैडेट वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे हों, को नियमित सेना अधिकारियों के अनुसार रू एक करोड़ (01 अप्रैल 2022 से प्रभावी) बीमा किया जाता है। उन लोगों के लिए जो अमान्य मेडिकल बोर्ड (IMB) द्वारा विकलांगता के कारण अकादमी से बाहर कर दिया जाता है और वे पेंशन के हकदार नहीं होते हैं, उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 25 लाख रु० का बीमा किया जाएगा। इसे 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 5 लाख रु० तक आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। लेकिन, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए 50,000/- रु० के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। शराब, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके साथ ही जिन जेंटलमैन/महिला कैडेटों को अनुशासनिक आधार पर या अवांछित माने जाने के कारण बाहर निकाल दिया गया हो अथवा जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से अकादमी छोड़ दी हो, वे भी विकलांगता और अनुग्रह अनुदान के लिए हकदार नहीं होंगे। नियमित सेना अफसरों पर यथा लागू सेना सामूहिक बीमा योजना के तहत सदस्य बनने के लिए जेंटलमैन/महिला कैडेटों को मासिक आधार पर अंशदान के रूप में 10,000/- रु० की दर से अग्रिम भुगतान करना होगा। निर्वासन अवधि के लिए अंशदान की वसूली भी इसी दर से की जाएगी।

12. किसी कैडेट (स्वयं) की चिकित्सा आधार पर अशक्तता/सैन्य प्रशिक्षण के कारण हुई/बढ़ी किसी समस्या के कारण कैडेट की मृत्यु की स्थिति में कैडेट (स्वयं)/निकट संबंधियों को निम्नलिखित आर्थिक लाभ देय होंगे:-

(क) विकलांगता की स्थिति में

(1) 9000/- रु प्रति माह की दर से मासिक अनुग्रह अनुदान।

(2) विकलांगता की अवधि के दौरान 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए मिलने वाले अनुदान के साथ ही 16200/- रु प्रति माह की दर से अनुग्रह विकलांगता अनुदान देय होगा जो विकलांगता 100 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में यथानुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। विकलांगता 20 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में कोई विकलांगता लाभ नहीं दिया जाएगा।

(3) अशक्तता निर्णायक चिकित्सा बोर्ड (आई एम बी) की सिफारिश पर 100 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए 6750/- रु प्रति माह की दर से सतत परिचर भत्ता (सी ए ए) देय होगा।

(ख) मृत्यु के मामले में

(1) निकट संबंधी को 12.5 लाख रु की अनुग्रह अनुदान राशि।

(2) निकट संबंधी को 9000/- रु प्रति माह की अनुग्रह अनुदान राशि।

(ग) कैडेटांे (स्वयं)/निकट संबंधियों को अनुग्रह अनुदान देने की मंजूरी केवल अनुग्रह आधार पर की जाएगी और इसे किसी भी उद्देश्य से पेंशन नहीं माना जाएगा। फिर भीए लागू दरों पर मासिक अनुग्रह तथा अनुग्रह विकलांगता अनुदान पर भी महंगाई राहत प्रदान की जाएगी (प्राधिकार: भारत सरकार/रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17(02)/2016-डी(पेंशन/नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017 के पैरा 11 व 12 के तहत यथा संशोधित भारत सरकार का पत्र सं० 17(01)/2017(01)डी(पेंशन/नीति) दिनांक 04 सितंबर 2017)।

3. सेवा की शर्तें :

(1) तैनाती :

थलसेना अधिकारी को भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

(2) पदोन्नति

स्थायी पदोन्नति

उच्चतर रैकों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :

समयमान द्वारा:

लेफ्टिनेंट	(प्रशिक्षण पूर्ण होने पर)
कैप्टन	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर	6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल (टीएस)	26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा

चयन द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हेतु अर्हक सेवा निम्नानुसार है :

ब्रिगेडियर	23 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबंध नहीं

(ख) भारतीय नौसेना अकादमी, इझीमाला, केरल में पदभार ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों के लिए

(i) भारतीय नौसेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, स्नातक कैडेट विशेष प्रवेश योजना (जीएसईएस) कोर्स के अंतर्गत कैडेट के रूप में की जाएगी। कैडेटों का चयन, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) में उनके अर्हक होने के उपरांत एसएसबी साक्षात्कार तथा चिकित्सा जांच के आधार पर किया जाएगा। मेधावी उम्मीदवार जो चिकित्सकीय रूप में योग्य हैं, उन्हें जनरल सर्विस एग्जीक्युटिव एंट्री की 22 रिक्तियों (हाइड्रो एंट्री के लिए 03 और एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत नौसेना एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों के लिए 03 सहित आरक्षित हैं) पर नियुक्त किया जाएगा।

(ii) <u>राष्ट्रीय कैडेट कोर में से उम्मीदवारों का चयन</u> एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पात्रता, आयु सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताएं, निम्नलिखित को छोड़कर वही होंगी, जो जी एस ई एस उम्मीदवारों के मामले में हैं:-

(क) एनसीसी कैडेट ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग के सीनियर डिवीजन में न्यूनतम तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए सेवा अवश्य की हो और उसके पास प्रमाण पत्र 'सी' (नौसेना) अवश्य हो। वे उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, जिन्होंने प्रमाण पत्र 'सी' परीक्षा दी है, अथवा देने के इच्छुक हैं। परन्तु, ऐसे उम्मीदवारों का अंतिम चयन, कोर्स प्रारंभ होने से पहले उनके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर होगा।

(ख) एनसीसी कैडेट के पास उसके विश्वविद्यालय अथवा उसके कालेज के प्राचार्य द्वारा जारी उत्तम आचरण तथा चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(ग) एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय कैडेट कोर की नौसेना विंग का सीनियर डिवीजन छोड़ने के बारह महीनों के उपरांत आवेदन करने के पात्र नहीं रहेंगे।

(घ) आवेदन करने के लिए कैडेट, अपने आवेदन पत्र अपने कमान अधिकारी, एनसीसी यूनिट, नौसेना विंग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कमान अधिकारी, इन आवेदन पत्रों को संबंधित सर्किल कमांडर के माध्यम से एनसीसी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित करेंगे। एनसीसी निदेशालय, इन आवेदन पत्रों को नौसेना प्रमुख को अग्रेषित करेंगे। ये आवेदन, निर्धारित प्रपत्र में जमा किए जाएंगे। ये प्रपत्र सभी एनसीसी इकाइयों में उपलब्ध होंगे।

(ड.) प्रथम दृष्ट्या उपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार तथा अन्य परीक्षणों के लिए उपस्थित होना होगा।

(च) अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड की प्रक्रिया में कम से कम न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे। इस शर्त तथा उम्मीदवारों के चिकित्सकीय रूप से फिट होने की शर्त के अध्यधीन, सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम चयन, योग्यता क्रम के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैंडेट्स के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। 35000/- रु. की राशि उनके द्वारा दी जाएगी और बैंक एकाउंट में जमा की जाएगी जिसे वे आने पर भारतीय स्टेट बैंक, इझीमाला शाखा में खुलवाएंगे। क्योंकि यह बड़ी राशि है, यह सलाह दी जाती है कि वे स्वयं का देय डिमांड ड्राफ्ट लाएं। जमा की गई राशि निम्नलिखित व्यय के लिए उपयोग में लाई जाएगी:

(क)	पाकेट/निजी व्यय	5000/- रु. @ 1000 रु. प्रतिमाह की दर से
(ख)	धुलाई, सिविलियन बियरर, सिनेमा, बाल कटाई और अन्य विविध सेवाएं	4,250/- रु. @ 850 रु. प्रतिमाह की दर से
(ग)	अकादमी ब्लेजर, अकादमी टाई, अकादमी मुफ्ती, अकादमी खेल के कपड़े, जोगिंग शूज, जंगल बूट्स, स्विमिंग ट्रैक/सूट और बस्ता की स्टिचिंग/खरीद पर व्यय	20,000/- रु.
(घ)	अवधि के अंत में वापसी यात्रा, नौ सेना ओरियंटेशन	2,000/- रु.

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर अवकाश ड्यूटी स्टेशन/होम स्टेशन पर जाने के लिए यात्रा व्यय

(ड.) **बीमा :** जी एस ई एस कैडेटों को छह माह की अवधि के लिए रू.20,00,000/.(बीस लाख रूपये केवल) के बीमा कवर के लिए रू.2303/. की एक बारगी गैर-वापसी राषि अदा करनी होगी। यदि उन्हें निर्वासित किया जाता है तो उनकी विकलांगता कवर राषि और योगदान गैर-जी एस ई एस कैडेटों के बराबर होगा। (एन जीआई एफ पत्र संख्या बी ए/जीआई एस/215 दिनांक 06 नवंबर 2018)

(iv) **प्रशिक्षण** चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी में प्रवेश के बाद कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आरंभिक प्रशिक्षण, जिसका विवरण निम्नानुसार है, पूरा होने तक उम्मीदवार, परिवीक्षाधीन रहेंगे।

क)	आईएनए, इझीमला का नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम	44 सप्ताह
ख)	प्रशिक्षण पोत पर अधिकारी समुद्री प्रशिक्षण	06 माह
ग)	सब-लेफ्टिनेंट एफ्लोट प्रशिक्षण	06 माह
घ)	सब-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम) प्रदान किए जाने हेतु एफ्लोट अटैचमेंट	33 सप्ताह
ड.)	संपूर्ण नौसेना अभिरक्षा प्रमाण-पत्र	06-09 माह

(v) नियुक्ति तथा अन्य हितलाभ : लगभग 18 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत, कैडेटों, को सब- लेफ्टिनेंट के रैंक में नियुक्त किया जाएगा। कैरियर की संभावनाएं, अवकाश हितलाभ, अवकाश तथा यात्रा रियायत, पेंशन/सेवानिवृत्ति हितलाभ तथा नौसेना में अधिकारियों को प्रदत्त ऐसी समस्त अनुलब्धियां तथा विशेष सुविधाएं उसी प्रकार की होंगी, जो दो अन्य सेनाओं द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

(vi) भारतीय नौसेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, तब तक वे कैडेट रहते हैं, उनके पॉकेट तथा अन्य निजी खर्चों का भार उसके माता-पिता अथवा संरक्षक उठाएगें। यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने के इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन पत्र दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ प्रधान निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 के पास भेज देगा।

टिप्पणी : यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह मानव संसाधन एवं भर्ती निदेशालय, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) **वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :**

1. एफ (पी) कोर्स में तीन प्रकार से प्रवेश लिया जा सकता है यानि सी डी एस ई/एन सी सी विशेष प्रविष्टि/ए एफ सी ए टी ;।थ्ब्।ज्द्ध। जो उम्मीदवार एक से अधिक माध्यमों से वायु सेना के लिए आवेदन करते हैं उनकी प्रविष्टि की किस्म के ंअनुसार वायु सेना चयन बोर्ड के समक्ष उनकी परीक्षा/साक्षात्कार लिया जाएगा। कम्प्यूटर पायलट चयन प्रणाली (सी पी एस एस) में फेल होने वाले समान उम्मीदवारों की भारतीय वायु सेना में उड़ान शाखा के लिए परीक्षा नहीं ली जा सकती।

2. **प्रशिक्षण पर भेजना :**

   वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। डाइरेक्ट एंट्री उम्मीदवारों की वरीयता सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एनसीसी उम्मीदवारों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाती है। डायरेक्ट एंट्री उड़ान (पायलट) उम्मीदवारों की वरीयता सूची सं.लो.से.आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. **प्रशिक्षण:** वायु सेना अकादमी में उड़ानशाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

   उड़ान प्रशिक्षण के दौरान बीमा सुरक्षा (दरें परिशोधन के अधीन हैं)

   वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी दुर्घटना की स्थिति में उस फ्लाइट कैडेट के निकटतम संबंधी को रु. 800/- प्रतिमाह के मासिक अंशदान के लिए 1,00,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा करेगी जो सिविल क्षेत्र से आया हो और उड़ान प्रशिक्षण पा रहा हो। उड़ान प्रशिक्षण पा रहा कोई फ्लाइट कैडेट यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से अक्षम हो जाता है और प्रशिक्षण मुक्त कर दिया जाता है तो उसे शत-प्रतिशत अक्षमता के लिए 20,000/- रुपए अनुग्रह राशि के रूप में अदा किए जायेंगे तथा यह राशि इस अनुपात में घटकर 20% रह जाती है। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट रु॰ 21,000/- प्रतिमाह (रु. 15600/- पे बैंड में और रु. 5400/- ग्रेड पे) की नियत वृत्तिका प्राप्त करने के अधिकारी हैं। "सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात दी जाने वाली वृत्तिका को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि, प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा।"

   सरकार द्वारा फ्लाइट कैडेट को एक बार वेतन तथा भत्ते स्वीकृत कर लिए जाने पर मृत्यु सुरक्षा 50,000/- रुपए होगी और शत-प्रतिशत अक्षमता सुरक्षा 25000/- रुपए होगी। वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी द्वारा एक सुरक्षा उड़ान प्रशिक्षण पा रहे प्रत्येक फ्लाइट कैडेट द्वारा 76/- रुपए के मासिक अप्रतिदेय अंशदान के भुगतान करने पर दी जाएगी जिसके लिए सदस्यता अनिवार्य होगी।

वित्तीय सहायता पर लागू होने वाली शर्तें :

(i) यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, ठहराने और चिकित्सा उपचार सहित, प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तो भी उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अपना जेब खर्च स्वयं वहन करें। वायु सेना अकादमी में प्रतिमास कम से कम 14,000/- रुपए (परिशोधन के अधीन) से अधिक खर्च होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के अभिभावक या संरक्षक उस खर्च को भी पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वहन करने में असमर्थ हैं तो उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। जिस कैडेट के अभिभावक या संरक्षक की मासिक आय 750/- रुपए या इससे अधिक है वह वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं है। वित्तीय सहायता के पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल

संपत्ति तथा अन्य परिलब्धियां और सभी स्रोतों से होने वाली आय को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार के अभिभावक/संरक्षक को अपने पुत्र/बच्चे के वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुन लिए जाने के तुरंत बाद अपना आवेदन अपने जिले के जिलाधीश के माध्यम से प्रस्तुत कर देना चाहिए। जिलाधीश उस आवेदन को अपनी अनुशंसा सहित कमांडेंट, उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स, बेगमपेट को अग्रेषित कर देगा।

(ii) वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवार को आने पर निम्नलिखित रकम (परिशोधन अधीन) कमांडेंट के पास जमा करनी है।

(क)	140 रूपए प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए जेब भत्ता	840 रूपए
(ख)	वस्त्र और उपस्कर मदों के लिए	1500 रूपए
	योग	2340 रूपए

उपर्युक्त रकम में से निम्नलिखित रकम कैडेट को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति में वापस देय है।

140 रूपए प्रतिमास की दर से 6 मास के लिए पॉकेट भत्ता - 840 रूपए।

4. भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं :

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाइंग अफसर के रैंक पर पास आउट होते हैं तथा रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। फ्लाइट लेपिटिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर तथा ग्रुप कैप्टन के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति उड़ान (पाइलट) शाखा की क्रमश: 02 वर्ष, 06 वर्ष, 13 वर्ष तथा 26 वर्ष की सफलतापूर्वक सेवा पूरी करने पर दी जाती है। ग्रुप कैप्टन और उच्चतर पदों में पदोन्नति सिर्फ चयन के आधार पर की जाती है। उदीयमान अधिकारियों के लिए एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल तथा एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के अच्छे अवसर होते है।

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत :

वार्षिक अवकाश वर्ष में 60 दिन
आकस्मिक अवकाश वर्ष में 20 दिन।

एक बार में अधिकारी पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 60 दिन तक की यात्रा में होने वाले प्रासंगिक व्यय की पूर्ति हेतु अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के साथ 10 दिनों तक के वार्षिक अवकाश के लिए नकद भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए नि:शुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो, और तत्पश्चात प्रत्येक दूसरे वर्ष बिना किसी दूरी पर प्रतिबंध के गृह नगर के बदले में भारत में किसी भी स्थान के लिए या चयन किए गए निवास स्थान के लिए।

इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को, जो प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उड़ान ड्यूटी पर तैनात होते हैं, अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपर्युक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी।

जो अधिकारी छुट्टी लेकर अपने खर्च से यात्रा करने के इच्छुक हैं वे कैलेंडर वर्ष में 6 एक तरफा यात्रा फार्म 'डी' पर पत्नी तथा बच्चों के साथ पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी द्वारा यात्रा के किराए का 60 प्रतिशत भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे। इसमें दो उक्त फार्म 'डी' पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जाएगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया

आश्रित माता-पिता, बहन और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. **अन्य सुविधाएं :**

अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य नि:शुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाएं आदि के हकदार हैं।

(घ) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्ने में कार्यग्रहण करने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में कार्यग्रहण करें :

(क) उसे उस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए ऑपरेशन या ऑपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने के पूर्व वापस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निश्चित करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। उन उम्मीदवारों को जैंटलमैन/महिला कैडेट के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से जैंटलमैन कैडेट अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे।

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा, शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा।

कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम रु. 200/- प्रतिमास से अधिक होने की संभावना नहीं है, किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, सैर-सपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तो उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप से वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है। बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय 1500/- रु. प्रतिमास से कम हो। जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र को कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चैन्ने को भेज देगा।

4. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धनराशि जमा करनी होगी।

(क)	1000/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन महीने के लिए जेब खर्च भत्ता	3,000/- रु.
(ख)	वस्त्र तथा उपस्करों की मदों के लिए	5,000/- रु.
(ग)	2 माह के लिए समूह बीमा राशि (एजीआईएफ)	10,000/- रु.
	कुल	18,000/- रु.

यदि कैडटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी।

5. समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत परिधान भत्ता मिलेगा। कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी। यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग-पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापिस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं को सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

6. सामान्यत: किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्याग-पत्र देने वाले जैंटलमैन/महिला कैडेट का मुख्यालय ARTRAC द्वारा त्याग-पत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय का एक बांड भरना होगा।

7. अफसर प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद, कैडेटों को प्रशिक्षण के केवल पहले सत्र में सिविल सेंट्रल जाॅब साक्षात्कार/सेवा चयन बोर्ड के लिए आवेदन करने व जाने की अनुमति होगी। किन्तु, उन जेंटलमैन कैडेटों से, जो चयन हो जाने के बाद भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में अथवा नौ सेना और वायु सेना में सदृश कैडेट प्रशिक्षण संगठनों में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से त्याग पत्र देेंगे, उनसे मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा।

8. जिस जैंटलमैन/महिला कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रशिक्षण अवधि की लागत अदा करने के बाद सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट कोर में वापिस भेज दिया जाएगा।

9. **प्रशिक्षण :**

चुने गए उम्मीदवारों को जैंटलमैन/महिला कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के उपरांत जैंटलमैन /महिला कैडेटों को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी कैडेटों को मद्रास विश्वविद्यालय रक्षा प्रबंधन और सामरिक अध्ययन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करेगा। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से अनुशासनिक कार्रवाई के आधार पर वापस किए जाने वाले उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

10. **सेवा की शर्तें :**

(क) **परिवीक्षा की अवधि**

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अधिकारी 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है।

(ख) **सेवा का दायित्व:**

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर समय-समय पर आई.एच.क्यू./एम.ओ.डी. द्वारा यथा निर्धारित चुनिंदा नियुक्तियों पर उन्हें भारत

या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है।

(ग) **नियुक्ति की अवधि:**

अल्पकालिक सेवा कमीशन पुरूष एवं महिला को नियमित थल सेना में 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा अर्थात प्रारंभ में 10 वर्ष जो 4 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। पुरूष एवं महिला अधिकारी जो 10 वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होगें, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो समय-समय पर जारी संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के दसवें वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जायेगा।

वे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी (पुरूष एवं महिला) जिनका स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए चयन नहीं हुआ है लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिए (10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेवा निर्मुक्त किया जाएगा।

(घ) **सेवा का पांचवां वर्ष पूरा होने पर अल्पकालिक कमीशन प्रदान करने हेतु विशेष प्रावधान :**

वे अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी जिन्होंने डिग्री इंजीनियरी कोर्स अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स नहीं किया हो अथवा न ही कर रहे हों, जो पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा छोड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा के 5वें वर्ष में सेना मुख्यालय को सेवा छोड़ने हेतु आवेदन करना होगा। तत्पश्चात सेना मुख्यालय योग्यता के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और इस संबंध में सेना मुख्यालय का निर्णय अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा। अनुमोदन उपरांत इन अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष पूरा होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन वे अल्प सेवा कमीशन प्राप्त (गैर-तकनीकी) पुरुष व महिला अधिकारी, जो डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसा ही कोई अन्य विशेषज्ञ कोर्स कर रहे हैं, वे 14 वर्ष की पूरी अवधि समाप्त होने के पहले तब तक कमीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि उनसे ऐसे कोर्स करने की यथा निर्धारित लागत वसूल नहीं कर ली जाती। विमान चालकों के लिए प्रतिरोधक विमानन कोर्स अनिवार्य है, जो अल्पकालिक सेवा अधिकारियों के लिए विशेषज्ञ कोर्स है। उन्हें डिग्री इंजीनियरी कोर्स या ऐसे अन्य विशेषज्ञ कोर्सों के लिए नामांकित होने पर इस आशय का एक बॉण्ड भरना होगा। । अनुदेशो के विभिन्न पाठयक्रमों के लिए लागू सभी अनुदेशो के अलावा, निम्नलिखित प्रतिबंध, अनिवार्य पाठयक्रम को छोड़कर, सभी पाठयक्रमों के लिए सभी एसएससी अधिकारियों पर लागू होंगे:-

(i) सेना विमानन कोर अधिकारियों को छोड़कर सभी एसएससी अधिकारियों (पुरुष और महिला) को 'विशिष्ट/अन्य श्रेणी' पाठयक्रम में, अध्ययन करने से पहले एक वचन देना होगा कि वे कोर्स समाप्ति के बाद न्यूनतम पांच वर्ष तक सेवा करने के लिए वचनबद्ध होंगे।

(ii) सेना विमानन कोर के सभी एसएससीओ (पुरुष और महिला) कोर्स शुरू करने से पहले एक वचन देंगे:-

(iii) वे पाठयक्रम की समाप्ति से परे न्यूनतम 12 वर्ष तक सेवा देने के लिए वचनबद्ध होंगे।

(iv) वे विशेष पाठयक्रम के लिए वचन देते समय च्त्ब् के साथ-साथ एक्सटेंषन लेने के लिए बाध्य होंगे।

(ड.) **बढ़ाई गई अवधि के लिए विशेष प्रावधान** :

बढ़ाई गई अवधि के दौरान उन्हें निम्नलिखित आधारों पर सेना से सेवामुक्त होने की अनुमति दी जाएगी :

(i) सिविल पद प्राप्त करने पर

(ii) उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर

(iii) अपना व्यवसाय आरंभ करने पर/फैमिली व्यवसाय अपनाने पर

(च) **स्थायी पदोन्नति :**

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा इन नियमों के तहत अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिला अधिकारी निम्न प्रकार से स्थायी पदोन्नति के पात्र होंगे।

(i) दो वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर कैप्टन के रैंक में।

(ii) छः वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर मेजर के रैंक में।

(iii) तेरह वर्ष की संगणित कमीशन सेवा अवधि पूरी होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में।

(छ) **अनिवार्य शर्तें :**

स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त वास्तविक रैंक प्रदान करने हेतु अनिवार्य शर्तें तथा साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यथा स्वीकार्य पदोन्नति परीक्षा भाग ख तथा घ हेतु पात्रता, समय सीमा और शास्तियां अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरुष अधिकारियों तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त महिलाओं पर भी लागू होंगी।

(ज) **वरिष्ठता का समायोजन** :

एस॰एस॰सी॰ पुरुष तथा महिला अधिकारियों और साथ ही स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण को समायोजित करने के लिए एस॰एस॰सी॰ पुरुष व महिला अधिकारियों की वरिष्ठता के लिये, विचाराधीन एस॰एस॰सी॰ कोर्स तथा इसके समतुल्य स्थायी कमीशन कोर्स की प्रशिक्षण अवधि के बीच के अंतर की सदृश (कोरेसपौंडिंग) अवधि द्वारा कम कर दिया जाएगा। इस वरिष्ठता के समायोजन को कैप्टन का पहला वास्तविक रैंक प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाएगा। संशोधित, वरिष्ठता क्रम से कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में दिए जाने वाले वेतन और भत्ते प्रभावित नहीं होंगे।

(झ) **गणना योग्य (रेकनेबल) कमीशन सेवा :**

उपर्युक्त पैरा 10(ज) के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अध्यधीन, इस आदेश के प्रयोजनार्थ, गणना योग्य कमीशन सेवा अवधि की गिनती, किसी अधिकारी को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने की तिथि से की जाएगी। कोर्ट मार्शल अथवा सेना अधिनियम के अंतर्गत किसी दंड के कारण सेवाकाल में से घटाई

गई अवधि और बिना अवकाश वाली अनुपस्थिति की अवधि, गणना योग्य नहीं होगी। फर्लो दर पर प्राप्त वेतन वाली अवधि और वह अवधि गणना योग्य होगी, जो युद्धबंदियों (पीओडब्ल्यू) के मामले में लागू वेतन दर पर युद्धबंदी के रूप में बिताई गई हो। वेतन रहित अवकाश प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी के मामले में सेवा अवधि घटा दिए जाने के कारण उसकी पदोन्नति के प्रयोजनार्थ आवश्यक सेवा अवधि के कम पड़ने की स्थिति में भी घटाई गई उक्त अवधि को गणना योग्य माना जाएगा। हालांकि, ऐसे अधिकारी, उक्त अवधि को गणना में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए मूल उच्चतर रैंक का वेतन और भत्ते पाने के हकदार उस तारीख से होंगे, जिस तारीख से उन्हें अर्हक सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई होती यदि उक्त अवधि को गणना में शामिल नहीं किया गया होता, न कि उस तारीख से, जिस तारीख से उन्हें मूल रैंक प्रदान किया गया है।

(ञ) <u>अवकाश:</u> समय-समय पर यथासंशोधित, सेवा अवकाश नियमावली खंड-I सेना, के अनुसार अवकाश देय होंगे।

छुट्टी के संबंध में ये अधिकारी अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खंड-I थल सेना के अध्याय चार में उल्लिखित हैं, वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शासित होंगे।

एस एस सी महिला अफसर भी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टी के लिए हकदार होंगी:-

(i) **मातृत्व अवकाश-** सेना की महिला अधिकारी पर सेना खंड-1 - सेना, चैथे संस्करण के अध्याय-4 के नियम 56 में दिए गए छुट्टी संबंधी नियम लागू होंगे।

(ii) **शिशु देखभाल अवकाष (चाइल्ड केयर लीव)-** सेना की महिला अफसरों पर छुट्टी संबंधी नियम खण्ड-1- सेना, संस्करण-4 के नियम 56ए, यथा संषोधित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. बी/33922/एजी/पी एस-2(बी)/3080/डी (एजी-2) दिनांक 19 नवंबर 2018 में दिए गए नियम (छुट्टी संबंधी नियम) लागू होंगे।

(iii) **शिशु गोद लेने के लिए अवकाष-** सेना की महिला अधिकारी पर सेना खंड-1 - सेना, चौथे संस्करण के अध्याय-4 के नियम 56 बी में दिए गए छुट्टी संबंधी नियम लागू होंगे।

(ट) **कमीशन की समाप्ति :**

किसी भी अधिकारी के कमीशन को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कारण से किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है:-

(i) कदाचार करने या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या
(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर, या
(iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या
(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर।

तीन महीने के नोटिस देने पर किसी अफसर को करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु इसकी पूर्णत: निर्णायक भारत सरकार होगी। करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(ठ) **सेवांत उपदान :**

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एस॰एस॰सी॰ओ॰ सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए ½ माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे।

(ड) **रिजर्व के रहने का दायित्व :**

वर्ष की अल्पकालिक कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा (जैसा भी मामला हो) पूर्ण करने के बाद निर्मुक्त होने पर पांच वर्ष की अवधि तक अथवा अतिरिक्त दो साल स्वैच्छिक आधार पर पुरुष अधिकारियों के मामले में 40 वर्ष की आयु तक तथा महिला अधिकारियों के मामले में 37 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

(ढ) **विविध :**

सेवा संबंधी अन्य सभी शर्तें जब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिए लागू हैं।

*****